खण्ड–513, अंक–10
गुरुवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1942
(04 मार्च, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 513 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2021

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक की समस्त अनुदानों की माँग एवं मतदान सम्बन्धी मदों पर आज ही विचार किये जाने का प्रस्ताव (जारी)	7-14
प्रश्नोत्तर	15-46
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	46-50
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के वन-टंगिया बीट सं0-24, 26, 28 में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद-मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत ग्राम गुरूसण्डी भटेवरा से जिऊती पुल तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद-बरेली में बड़ा उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
कानपुर नगर में ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा मार्ग प्रकाश हेतु लाइट न लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद-जालौन के विकास खण्ड-कोंच अन्तर्गत उदय चौरसिया के घर से पंचायत भवन तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर का राजकीय सेवाओं से इस्तीफा न स्वीकार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद-आगरा के विकास खण्ड-बरौली अहीर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, जो दिनांक 31-12-2020 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, के समस्त सेवानिवृत्ति लाभों को रोक कर उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-लखनऊ स्थित गोमती नगर विस्ता सेक्टर-1 में सुलभ आवास में ए-1 सहित निर्मित कतिपय भवनों के निर्माण में निर्माता कम्पनी सेंटेक्स द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद अन्तर्गत गागन नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	56
जनपद-कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर अन्तर्गत जोन-5 में नई सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र आँवला अन्तर्गत ग्राम-बरसेर और अलीगंज के बीच 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	57
जनपद-लखनऊ के सेक्टर-1बी, वृन्दावन कालोनी के अन्तर्गत रोड, नालियों को बनवाने एवं पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद-अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर ओवरहेड टैंक बनाकर पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जनपद-हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ अन्तर्गत बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	58
जनपद-महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी अन्तर्गत चरखारी बाईपास का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद-अलीगढ़ के सदर विधान सभा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..... ...	58-59
मुरादाबाद मण्डल में पसिया जाति को पासी जाति मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड धर्मपुर में 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद-कुशीनगर में जर्जर आयुर्वेदिक अस्पताल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	60
जनपद-अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं मवई व मयाबाजार में रोगी आश्रय स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज अन्तर्गत रोडवेज बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	61
जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत कतिपय ब्लाकों में डोंगल न लगने से कई सरकारी योजना का लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
उत्तर प्रदेश आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर अन्तर्गत कतिपय गाँवों में किसानों का नाम खतौनी से कटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	62
कानपुर नगर पुलिस बादशाहीनाका की सांठ-गांठ से क्षेत्र कुली बाजार गुलियाना, बादशाहीनाका में संचालित चट्टों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत राजस्व गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद-शामली के अन्तर्गत एन0एच0-709 ए0डी0 के दोनों ओर गजट प्रकाशन (3ए) के बाद भी जमीनों के बैनामे होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-चन्दौली सदर अन्तर्गत मुख्यालय मुगलसराय भूपौली चहनिया मार्ग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर चौचकपुर मुख्य मार्ग से जैदपुरा गाँव तक के मार्ग को शहीद के नाम पर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
नगर निगम मेरठ अन्तर्गत पशु वधशाला पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में राजकीय नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	66
जनपद-मैनपुरी के विकास खण्ड घिरौर अन्तर्गत राम मधन से ग्राम खुशहालपुर तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद-सुल्तानपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-49 औरंगाबाद रजबहा पर बिना कार्य कराये सिल्ट की सफाई में हुई अनियमितता की जाँच एवं कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की मानवीय ऊर्जा के उपयोग के मद्देनजर ई-कामर्स को हतोत्साहित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद-देवरिया अन्तर्गत मुकदमा अपराध सं0-261/220 में उच्च स्तरीय जाँच कराकर श्रीमती रमादेवी को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	68-69
जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज अन्तर्गत कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर ऊर्जीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद-अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत ब्रम्हबाबा के स्थान पर ग्राम किसुनपुर कबीरहा में 132 के0बी0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	69

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत नगीना रेलवे लाईन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
जनपद-मेरठ में कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गोलमाल करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	71
उ0प्र0 के होमगार्डों को पुलिस के समान वेतन एवं भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	71-72
जनपद-सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन की ग्राम पंचायत पनारी टोला खाड़र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद-फिरोजाबाद में सैनिक स्कूल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद-अम्बेडकर नगर के ऐनवा-भड़सारी मार्ग से जौनपुर अशरफपुर बरवां होते हुए कटेहरी तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद-आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	74-75
जनपद-हरदोई के नगर पंचायत माधौगंज में हुए विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
जनपद-झाँसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा अन्तर्गत विद्युत दुर्घटनाओं में हुई मौतों का मुआवजा ऊर्जा विभाग द्वारा शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद-कानपुर देहात में ग्राम मड़ौली में सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद-अमेठी के थाना शिवरतनगंज अन्तर्गत रिपोर्टिंग चौकी इन्हौना को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	78
जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ई0ओ0 एवं नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
जनपद-बलरामपुर सदर अन्तर्गत नवनिर्मित आई0टी0आई0 में छात्रों का प्रवेश कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	79
जनपद-फतेहपुर के विकास खण्ड-भिटौरा में बहबलपुर से पिलखिनी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	79-80
जनपद-सहारनपुर के विश्वविख्यात हस्तशिल्प द्वारा निर्मित लकड़ी की नक्काशी के उत्पाद पर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जी0एस0टी0 लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद-वाराणसी के विकास खण्ड हरहुआँ अन्तर्गत श्री विजेन्द्र नाथ तिवारी के घर से श्री सीताराम यादव के घर तक मार्ग पर आ0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद-गाजीपुर के तहसील जखनिया के ग्राम सभा माधवटाण्डा में खलिहान खसरा संख्या-33 से सम्बन्धित लेखपाल व कानूनगो के खिलाफ मिलीभगत के आरोपों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद-सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित एवं विख्यात लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	81-82
जनपद-प्रयागराज में निषाद समुदाय की नांवों को सरकार के इशारों पर तोड़-फोड़ किये जाने एवं पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण किये गये उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82-83
जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में जिला अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	83

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-प्रयागराज के विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम संगम विहार हवेलिया में श्री संजय मिश्र के घर से श्री सी0पी0 सिंह के घर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना। ...	83-84
जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।	84
जनपद-लखनऊ के तहसील सरोजनी नगर में निगम भूमि गाटा संख्या-3655, 3657, 3662, 3676, 3660 पर (मा0 राजस्व परिषद की निगरानी में लम्बित होने के बावजूद भी) हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
जनपद-लखनऊ के बरगवां बाराबिरवा स्थित देवा विहार कालोनी में 03 वर्ष पूर्व स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद बदायूँ की तहसील सहसवान स्थित रोडवेज (बस स्टैण्ड) की जमीन पर कब्जा करने एवं बसों को रोडवेज तक नहीं ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	85-86
जनपद-अमेठी के विकास खण्ड-भेटुआ में टीकरी-भादर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
जनपद-लखनऊ के गोमती नगर में फन माल के पीछे स्थित नेहरू इन्क्लेव कालोनी में एल0डी0ए0/नगर निगम द्वारा उसका रख-रखाव न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद-देवरिया के विकास खण्ड भाटपार रानी के ग्राम पंचायत जगहथा में ग्राम निधि व सार्वजनिक शौचालय के निधि का ब्लाक के कर्मचारियों में बंदरबांट होने से दोषियों के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	87
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	87
श्री धर्मपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	87-88
श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-मथुरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	89

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	89
मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	89
श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य पप्पू भइया, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं) ...	89
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ तथा जनपद-सिद्धार्थनगर से सम्बधित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	90-91
श्री बाबूराम पासवान, सदस्य विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	91
श्री कमलेश शुक्ला, सदस्य विधान सभा की जनपद-देवरिया से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	91-92
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य विधान सभा की जनपद-बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	92
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद-मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	92-93
श्री मसूद अख्तर, सदस्य विधान सभा की जनपद-वाराणसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	93
श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	93-94
श्री विनय कुमार द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	94-95
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद-कानपुर देहात से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	95-96
श्री नितिन अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	96
श्री भूपेश चौबे, सदस्य विधान सभा की जनपद-सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	96
श्री पल्टूराम, सदस्य विधान सभा की जनपद-बलरामपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	96-97

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद-बाँदा से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	97
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	97-98
श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-झांसी से सम्बन्धित याचिका-(उपस्थित की हुई मानी गईं)	98
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 06 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	98-99
श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद-अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	99-100
श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	100
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-शाहजहांपुर से सम्बन्धित 08 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	100-101
श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद-सीतापुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	101-102
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	102
श्री संजीव कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-सोनभद्र से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	102-103
श्री सहेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद-बागपत से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	103
श्री सुभाष पासी, सदस्य विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	103
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	104
श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद-आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	104
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य विधान सभा की जनपद-सहारनपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	104-105

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद-हमीरपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	105
श्री अनिल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	105-106
श्री ओम कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	106
श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	106-107
श्री आनन्द शुक्ल, सदस्य विधान सभा की जनपद-चित्रकूट से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	107-108
श्री गौरी शंकर, सदस्य विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	108-109
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-खीरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	109
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	109-111
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	111
श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-अमेठी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	111-112
श्री मुकेश वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 12 याचिकाएँ तथा जनपद-हरदोई से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	112-114
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 08 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	114-115
डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	115
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 06 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	116-117

विषय	पृष्ठ-संख्या
डॉ0 अरुण कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	116
डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	116-117
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)	117-119
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)... ...	119-121
उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रुल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधयेक, 2021 (पारित)	121-122
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	123
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक की समस्त अनुदानों की मांगों एवं मतदान सम्बन्धी मदों पर आज ही विचार किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	123-124
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँग पर मतदान अनुदान सं0-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 95	124-134
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 (पारित)...	135-143
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	144-149
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार (जारी)...	149-155
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	156
सदन संचालन हेतु आभार प्रकट करने के पश्चात् नई मद लिए जाने पर आपत्ति (जारी)	156
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार (जारी)...	157-161
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 (जारी)	162
सदन संचालन हेतु आभार प्रकट करने के पश्चात् नई मद लिए जाने पर आपत्ति	162-165
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 (पारित)...	165-169
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार	169-172
सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	172
राष्ट्र-गान	172-173

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 04 मार्च, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-348

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
3. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
4. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
5. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
6. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
7. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
8. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
9. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
10. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
11. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
12. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
13. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
14. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
15. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
18. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
19. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
20. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
21. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
22. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
23. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
24. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
25. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
26. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
27. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
28. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
29. असलम अली, श्री — हापुड़
30. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
31. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
32. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
33. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
34. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
35. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
36. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
37. आशुतोष उपाध्याय श्री — देवरिया
38. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
39. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
40. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
41. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
42. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
43. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
44. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
45. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
46. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
47. ऊषा सिरोही, श्रीमती — बुलन्दशहर
48. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
49. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
50. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर

51. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
52. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
53. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
54. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
55. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
56. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
57. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
58. कुशाग्र सागर, श्री — बदायूं
59. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
61. केसर सिंह, श्री — बरेली
62. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री — बलरामपुर
63. कैलाश नाथ सोनकर, श्री — वाराणसी
64. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
65. गंगा, श्री — कुशीनगर
66. गरिमा सिंह, श्रीमती — अमेठी
67. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
68. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
69. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
70. गौरी शंकर, श्री — जालौन
71. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री — बांदा
72. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री — बस्ती
73. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री — चित्रकूट
74. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
75. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री — बरेली
76. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
77. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
78. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 — इलाहाबाद
79. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री — फतेहपुर
80. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
81. जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
82. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
83. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
84. जितेन्द्र वर्मा, श्री — आगरा
85. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
86. ज्ञानेन्द्र, श्री — महाराजगंज
87. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
88. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 — नाम-निर्देशित
89. ताजीन फातमा, डा0 — रामपुर
90. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
91. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री — शामली
92. त्रिवेणी राम, श्री — गाजीपुर
93. दल बहादुर, श्री — रायबरेली
94. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
95. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री — सन्तकबीर नगर
96. दिनेश चौधरी, श्री — जौनपुर
97. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही
98. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
99. देवमणि द्विवेदी, श्री — सुल्तानपुर
100. देवेन्द्र कुमार निम, श्री — सहारनपुर
101. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — कासगंज
102. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री — बुलन्दशहर
103. धनन्जय कन्नौजिया, श्री — बलिया
104. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
105. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री — बाराबंकी
106. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री — बदायूं
107. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
108. धीरेन्द्र सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
109. नईम उल हसन, श्री — बिजनौर
110. नन्द किशोर गुर्जर, श्री — गाजियाबाद
111. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — प्रयागराज
112. नफीस अहमद, श्री — आजमगढ़
113. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 — जालौन
114. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर

115. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
116. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
117. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
118. नाहिद हसन, श्री शामली
119. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
120. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
121. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
122. नीलकण्ठ तिवारी, डा0 वाराणसी
123. नीलम करवरिया, श्रीमती प्रयागराज
124. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
125. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
126. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
127. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
128. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
129. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
130. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
131. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
132. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
133. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
134. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
135. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
136. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
137. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
138. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
139. प्रवीण कुमार सिंह, श्री प्रयागराज
140. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
141. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
142. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
143. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
144. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
145. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
146. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
147. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
148. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
149. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
150. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
151. बावन सिंह, श्री गोण्डा
152. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
153. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
154. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
155. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
158. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
159. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
160. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
161. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
162. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
163. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
164. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
165. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
166. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
167. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
168. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
169. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
170. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
171. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
172. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
173. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
174. महबूब अली, श्री अमरोहा
175. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
176. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
177. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
178. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
179. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
180. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
181. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई

182. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
183. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
184. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
185. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
186. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
187. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
188. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
189. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
190. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
191. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
192. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
193. योगेश धामा, श्री बागपत
194. योगेश वर्मा, श्री खीरी
195. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
196. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
197. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
198. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
199. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
200. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
201. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
202. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
203. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
204. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
205. रवि शर्मा, श्री झांसी
206. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
207. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
208. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
209. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
210. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
211. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
212. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
213. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
214. राज करन कबीर, श्री बांदा
215. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
216. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
217. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
218. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
219. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
220. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
221. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
222. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
223. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
224. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
225. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
226. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
227. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
228. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
229. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
230. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
231. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
232. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
233. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
234. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
235. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
236. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
237. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
238. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
239. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
240. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
241. लकी यादव, श्री जौनपुर
242. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
243. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
244. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
245. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर

246. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
247. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
248. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
249. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
250. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
251. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
252. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
253. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
254. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
255. विनय शाक्य, श्री औरैया
256. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
257. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
258. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
259. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
260. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
261. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
262. वीरेन्द्र, श्री एटा
263. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
264. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
265. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
266. शशांक वर्मा, श्री खीरी
267. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
268. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
269. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
270. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
271. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
272. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
273. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू' श्री जौनपुर
274. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
275. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
276. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
277. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
278. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
279. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
280. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
281. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
282. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
283. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
284. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
285. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
286. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
287. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
288. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
289. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
290. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
291. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
292. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
293. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
294. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
295. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
296. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डा0 सिद्धार्थनगर
297. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
298. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
299. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
300. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डॉ0 देवरिया
301. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
302. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
303. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
304. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
305. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
306. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
307. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
308. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
309. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
310. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
311. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर

312. सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	331. सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर
313. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर	फर्रुखाबाद	332. सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
314. सुनील वर्मा, श्री	सीतापुर	333. सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
315. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री	बहराइच	334. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ
316. सुभाष राय, श्री	अम्बेडकर नगर	335. सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
317. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री	बलिया	336. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर
318. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री	वाराणसी	337. सौरभ सिंह, श्री	खीरी
319. सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर	338. स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
320. सुरेश कुमार, श्री	शामली	339. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
321. सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	340. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	341. हरी ओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
323. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	342. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
324. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	343. हरीराम, श्री	सोनभद्र
325. सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	344. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
326. सुरेश राही, श्री	सीतापुर	345. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
327. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	346. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
328. सुशान्त सिंह, कुँ0	बिजनौर	347. हेमलता दिवाकर, कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
329. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद	348. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव
330. सुशील सिंह, कुँ0	चन्दौली	349. रिक्त	

नोट :- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) तथा परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के समस्त अनुदानों की मांग एवं मतदान सम्बन्धी मदों पर आज ही विचार किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष आज विशेष रूप से एक प्रस्ताव के साथ खड़ा हुआ हूँ कि यह सदन आपके संरक्षण में 18 तारीख से चल रहा है और विशेष रूप से बजट के ऊपर चर्चा का आज 5वाँ दिन है। लेकिन कल मा0 मुख्य मंत्री जी ने जितने बिन्दु थे, उन सभी के ऊपर प्रकाश भी डाला और खासतौर से जितने भी प्रश्न मा0 नेता विरोधी दल ने, मा0 नेता बसपा ने, मा0 नेता कांग्रेस ने या अन्य लोगों ने यहाँ पर उठाये थे, उन सभी के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी में एक तरीके से, विशेष रूप से इंगित भी किया और इसका उत्तर भी दिया। मा0 अध्यक्ष जी, अब चाहते यह हैं कि जो यह बजट है तो बजट के ऊपर 05 दिन की चर्चा नियमावली में अनुमन्य है और आज उसका 5वाँ दिन है लेकिन बहुत से क्षेत्रों के विधायकों ने, विभिन्न जनपदों के लोगों ने यह इच्छा जाहिर की थी कि अब पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें अभी आपत्तियों का समय है और बहुत से लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में रहना है क्योंकि जो आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है उसमें लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में आपत्तियाँ करनी हैं और पंचायत चुनाव एक ऐसा कारण है जिसमें सभी लोग इन्वाल्व रहते हैं। चूँकि हम लोग भी चुनकर आते हैं इसलिए लोगों की अपेक्षा भी रहती है कि उनके संरक्षक के रूप में मा0 विधायक या मा0 नेता लोग वहाँ पर रहें। इसलिए मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की समस्त अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी सारी मदें आज ही टेकअप कर ली जाएँ ताकि आज ही सभी के ऊपर विचार हो जाए और सभी को पारित करा लिया जाय।

बजट चर्चा में 110 लोगों ने भाग लिया और मैं पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। पक्ष के बोलने वाले लोगों की संख्या 81 है और विपक्ष के 29 लोगों ने बजट चर्चा में भाग लिया।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने और आपने विधान सभा का जो शेड्यूल तय किया, वह 10 मार्च तक था। उसमें हम लोगों की सहमति नहीं थी, न नेता विरोधी दल की, न नेता बसपा की और न नेता कांग्रेस की, वह तो सरकार और आप दोनों लोगों ने मिलकर तय किया था, जिसको हम लोगों ने मान लिया। कार्य मंत्रणा की समिति में वर्मा जी ने यह जरूर आग्रह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया था कि मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि आप लोग बीच में भागेंगे, लेकिन कम से कम 10 मार्च तक तो सदन चला लीजिए। सदन की दिन-प्रतिदिन बैठकें कम होना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। हमारे मा0 सदस्य चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनके अधिकारों में कटौती करने जैसा है। सदन 10 मार्च तक ही चल जाता और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने तो हद ही कर दी, प्रश्नकाल भी नहीं होने दिया। खुद खड़े होकर प्रस्ताव पेश करने लगे। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मा0 मुख्य मंत्री से आप भी इस बात का आग्रह करें कि यह सदन कम से कम 10 मार्च तक चले जोकि शेड्यूल है और इसमें पूरी चर्चा बढ़िया तरीके से हो।

हम लोग बजट तो पास करायेंगे ही क्योंकि बजट तो उत्तर प्रदेश के विकास का एक अहम हिस्सा है। हम कब कहेंगे कि बजट पास न हो लेकिन इतनी जल्दी क्यों पास हो। मा0 मंत्री जी ने बहाना लिया कि हम लोगों को आब्जेक्शन करना है, किसी को कोई आब्जेक्शन नहीं करना है। आब्जेक्शन जिसको चुनाव लड़ना है, वह करेगा कि विधायक आब्जेक्शन करेगा ? विधायक आब्जेक्शन करेगा अथवा जिसको पंचायत प्रधान, बी0डी0सी0 का चुनाव लड़ना होगा, वह आब्जेक्शन करेगा ? विधायक कैसे आब्जेक्शन करेगा ? विधायक कहाँ चुनाव लड़ने जा रहा है ? हम लोग तो चुनकर आये हैं और मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, संसदीय परम्पराओं को मिटाने वाली यह सरकार है। अब ढूंढ रहे हैं किताब में (श्री सुरेश कुमार खन्ना को इंगित करते हुये), इसलिये हम इसका विरोध करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो सदन की परिपाटियाँ हैं, इस सदन की जो मर्यादाएं हैं और जो हमारे अधिकार हैं, इस सदन में उसमें कटौती न करें। यह तो परम्परानुसार हम लोग बजट का विरोध करते हैं, पास तो कराते ही हैं। पास करायेंगे। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से कि 10 मार्च तक जो शेड्यूल आपने स्वयं तय किया है, उस दिन तक इस सदन को चलाने की कृपा करें।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे संविधान में और हमारे नियमों में संविधान के द्वारा संसदीय लोकतंत्र को हमने एक्सेप्ट किया। संसदीय लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अकेले कुछ नहीं होता, जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता का जनता के लिए शासन होता है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी भी बहुत ही परम्पराओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लेख अपने भाषणों में लगातार करते हैं और मुझे याद है जब पहली बार आपने वर्ष 2017 में दलीय नेताओं की बैठक बुलाई थी तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 90 दिन नहीं बल्कि 90 दिन से भी ज्यादा सदन को चलाने पर विश्वास करते हैं। हम लोग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं चला पाये थे, उसका भी जिक्र किया। हमें खुशी हुई कि मा0 विधायकगण सदन के माध्यम से अपनी तमाम क्षेत्रीय समस्याओं का उल्लेख करेंगे और उनके क्षेत्र की समस्याओं का पूरा समाधान होगा।

मान्यवर, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस तरह की बात की थी और हमारी जो विधान सभा की नियमावली बनी, उस नियमावली में भी इस बात का उल्लेख किया गया था। उल्लेख करने के बाद में तो यह भी जोड़ा गया कि प्रत्येक 2 माह बाद एक बार कम से कम 10 दिन का सदन होगा। उसको तो छोड़ ही दीजिये, लेकिन जो सामान्य नियमावली थी, उसमें अनुदान की मांग, आय-व्ययक पर चर्चा हमारा सबसे बड़ा और प्रमुख कार्य है। हम उसमें समालोचना करते हैं। जब कटौती भी रखते हैं, तो उसका कारण देते हैं कि कटौती करने का कारण विभाग की नीतियों पर चर्चा करना और उसकी आलोचना करना है व सुझाव देना है। यानि हम विरोध नहीं करते हैं कि नहीं पास होगा। हमारा उद्देश्य कटौती का होता है कि हम उसमें सुझाव दें। मान्यवर, इसीलिए नियमावली में लिखा है कि अनुदान की मांगों के लिए अध्यक्ष नेता सदन के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिए 24 दिनों से अनधिक दिन नियत करेंगे, यानि 24 दिन से कम दिन नहीं हो सकता है। 24 दिन अनुदान की मांग के लिए होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया कि चलिए, 10 तारीख में ही सारी मांगें सरकार खत्म करना चाहती है। अब 10 मार्च तक कार्यक्रम था और आज 4 मार्च है, तो एक हफ्ता पहले ही कह रहे हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गयी ? जहां तक मा0 मंत्री जी ने ग्राम पंचायत के चुनाव का उल्लेख किया, तो हर विधायक चाहता है कि पंचायत के चुनाव में हमें न जाना पड़े, गांव सभा का भी चुनाव होता है परन्तु भाग नहीं लेना चाहता है, वह बचना चाहता है। आप उसको घसीट रहे हैं कि वह खामखा ग्राम सभा के चुनाव में इन्वाल्व हो। हमारी जो जिम्मेदारी है, वह सदन के प्रति है। हम सदन में आकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। मैंने देखा कि बड़ी अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्ष से ज्यादा अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है। नियम में है कि वह कार्य-स्थगन नहीं ला सकते हैं, तो नहीं लाये लेकिन याचिका के माध्यम से और इतनी अधिक याचिकाएँ प्रस्तुत करने का मतलब है कि क्षेत्र में, प्रदेश में कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए उन कार्यों की तरफ उजागर किया है।

मान्यवर, इसलिये मैं चाहूंगा चूंकि हम भागना नहीं चाहतें हैं और इतनी इमरजेंसी नहीं है। इतने बड़े बहुमत के बाद भी यह सरकार लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रही है, तानाशाही की तरफ बढ़ने का काम कर रही है। हर विधायक चाहता है कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले। सत्तापक्ष और विपक्ष सारे विधायक यह चाहते हैं कि जितने दिन यह सदन चलेगा, तो हमारी सुनवाई ज्यादा होगी। मान्यवर, इसलिए मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस पर आप व्यवस्था दें। 24 दिन का कार्यक्रम है, तो 10 तारीख तक तो अनिवार्य रूप से सदन चलना चाहिए। यह सरकार लोकतंत्र को कुचलने का कार्य कर रही है। यह 5 बार का पहला इतिहास

बन रहा है कि 2 बार से तो क्वेश्चन आवर भी नहीं होने दिया और क्वेश्चन आवर में ही सारी बजट की मांगें पास कर दी गयीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उदाहरण लेकर आ जाते हैं। आप एक ऐसा उदाहरण दिखाइये कि जिसमें क्वेश्चन आवर न हुआ हो और क्वेश्चन आवर में ही सारी अनुदान मांग पास हुई हो। एक भी उदाहरण किसी भी साल का आप दिखा दीजिये। किसी का भी दिखा दीजिये जिसमें क्वेश्चन आवर न चला हो और उसमें पास हुआ हो। मान्यवर, निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि सदन कम से कम 10 मार्च तक जरूर चले। धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने-आप को नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बसपा से, जो आज यह एक अपरिहार्य स्थिति सदन के सामने प्रस्तुत हुई, पर व्यक्त किये गये विचारों से सम्बद्ध करती हूँ। मैं नयी सदस्य हूँ और बहुत अनुभव नहीं है परन्तु जो नियमावली में पढ़ा, जिसको मा0 लाल जी वर्मा जी ने अभी बताया कि कम से कम 24 दिनों तक अनुदान मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। यह पहला सदन है, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नये सदस्य चुनकर आये हैं और विपक्ष से ज्यादा पक्ष में जो सदस्य बैठे हैं, यह पहली बार चुनकर आये हैं। हर सदस्य यह चाहता है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वह सदन में आये और अपने क्षेत्र की बात को रखे। इसीलिए उसको जनता ने चुनकर सदन में भेजा है। मुझे लगता है और जितना मैं जानती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 5 बजट में कटौती प्रस्ताव मदवार किसी भी सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा का यह पहला उदाहरण होगा। वरना हमेशा जब आय-व्ययक बजट पेश होता था, महत्वपूर्ण होता था, कम से कम जो महत्वपूर्ण विभाग थे, उनके ऊपर मदवार चर्चा होनी चाहिए थी। यह इस सरकार का अन्तिम बजट है, जो नये सदस्य चुन करके आये हैं उन्होंने न देखा है और इस बजट के बाद वो कभी देख भी नहीं पायेंगे कि मदवार कटौती प्रस्ताव क्या होता है, उनकी जानकारी में भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि यह पहला उदाहरण होगा।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस सदन में नियम और परम्पराओं की धज्जियां उड़ाई हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 10 तारीख तक का जो शेड्यूल था, तब तक सरकार को चर्चा करनी चाहिए। जब राम राज्य स्थापित है, तो आखिर क्या वजह है कि सरकार चर्चा करने से भागना चाहती है। सरकार का इतना बड़ा बहुमत है, इस पर चर्चा करानी चाहिए ताकि हम लोग अपनी बात सदन में कह सकें। अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूँ कि इसमें आपका संरक्षण होना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो परिस्थिति का उल्लेख किया है कि पंचायत चुनाव की वजह से सारे सदस्य जाना चाहते हैं, तो अगर यह परिस्थिति है, तो उसके बाद इस प्रस्ताव को ले लें। पंचायत चुनाव के बाद सदन को फिर से आहूत करें ताकि सदस्य सदन में फिर से

आ सकें और इस पर चर्चा हो सके। मैं चाहती हूँ कि इस पर आप संरक्षण दें और हम इसका विरोध करते हैं। ये सदन चलना चाहिए, यह सदस्यों के हित में है और विधान सभा की परम्पराओं और नियमों के भी पक्ष में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उपदेश देने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी हमने नेता विरोधी दल, वर्मा जी और कांग्रेस पार्टी की नेता का भी उपदेश सुन लिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की इतनी याचिकायें इसलिए आयीं क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, विकास की भूख बढ़ी है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। अपने क्षेत्र में अगर आदमी विकास चाहता है, तो इसमें गलत क्या है ? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। जो बात अभी नेता विरोधी दल और नेता बसपा ने कही। मान्यवर, जब 12 मार्च, 1991 में इनकी सरकार थी तो आप यहाँ बैठते थे।

श्री लाल जी वर्मा-

क्वेश्चन आवर में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी। लोक निर्माण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और आबकारी मंत्री, यहां नाम तो लेना मना है। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा-1 लगायत 30, 32 लागयत 94, वर्ष 1991 में इन्होंने यहां बैठकर कहा कि सुनिये, आज हम ये चाहते हैं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नाम पूछने पर)

नाम लेना तो मना है, लेकिन वैसे माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी थे। मान्यवर, ये आप ही के सचिवालय की किताब है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान)

वर्मा जी बैठे हैं, यही उपदेश दे रहे थे, इन्होंने 20 फरवरी, 2009 को जो कहा वह इस किताब में है, जरा इनका भाषण सुन लीजिये हमने उस पर ऐतराज भी किया। मान्यवर, वर्ष 2009 में सदन पूरे साल भर में केवल 13 दिन चला। 20 फरवरी, 2009 को इन्होंने कहा हम सदन खत्म करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि खन्ना साहब ये चर्चा से नहीं भाग रहे हैं। माननीय मंत्री जी, कह रहे हैं वह सही है, आज सदन तो उठना ही है। यह सच है मान्यवर और यह अध्यक्ष जी की पीठ से कहा गया। मैंने कहा, (जो 20 फरवरी की कार्यवाही में पेज नं0-39 पर है) मान्यवर, उठना है, हमने देख लिया, कार्य-मंत्रणा की सिफारिशें सुन ली, सुबह की कार्यवाही सब देख ली, लेकिन मान्यवर, अगर अलग-अलग मदें आयेंगी तो उसमें कोई आसमान नहीं फट जायेगा।

यह मैंने कहा, उसके बाद आपने क्या कहा, लाल जी वर्मा ने क्या कहा। माननीय खन्ना जी सदन में थे मेरे पास 11 मार्च, 2006 की सदन की कार्यवाही का विवरण है। इन्होंने उसी परम्परा को दोहराया। हमेशा सपूत वह होता है जो अपने पूर्वजों की परम्परा को दोहराये। इन्होंने पूरे सपूत होने की परम्परा का उदाहरण दे दिया।

श्री लाल जी वर्मा-

कभी क्वेश्चन ऑवर में हुआ हो, आप ऐसा एक उदाहरण बता दें। क्वेश्चन ऑवर को स्थगित करके मांग रखी गयी हो ऐसा आप बता दें।

श्री अध्यक्ष-

क्वेश्चन ऑवर का डिसीजन तो हम सबका है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, 1977 में मैं आया था और आप 1980 में आये थे तो आप 1977 और 1980 का भी उदाहरण दे दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 11 मार्च, 2006 को इन्होंने फिर से उसी परम्परा को दोहराया, यही बोल रहे हैं। इसके अलावा उस समय जो संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने सारी मांगें एक साथ रखीं। जब यह प्रस्ताव आया तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया, यह आप कह रहे हैं और एक लगायत पूरी 94 तक की मदें सारी इन्होंने पास करा दी। इसके बाद 20 फरवरी, 2009, 11 मार्च, 2006 और 12 मार्च, 1991 यह इनका इतिहास है और यह इनका इतिहास है, यह जो बता रहे हैं। यह दोनों जो है यह इसीलिए है कि जब उधर बैठते हैं तो सारी हरी किताबें इनके पास निकल आती हैं और जब इधर बैठते हैं तो इनका मामला दूसरा होता है और जब वहाँ पहुँचते हैं तो स्थिति बदल जाती है। इसलिए मान्यवर, यह कोई नई परम्परा नहीं है। आपको मालूम है कि डब्लू0एच0ओ0 ने परसों कहा कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ। हमारे नीति आयोग ने यह कहा कि अभी इस बात की आशंका है कि हमें कोरोना से लापरवाह नहीं होना चाहिए। कई स्टेट्स में रिकरेंस हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

जब कोरोना खत्म नहीं हुआ तो पंचायत चुनाव क्यों करा रहे हैं। 08 मार्च से पार्लियामेन्ट चल रहा है वहाँ कोरोना नहीं होगा ? आप कोरोना से भाग रहे हैं और एक उदाहरण बता दें जब क्वेश्चन ऑवर में ऐसा हुआ हो और किसी भी नेता ने दलीय नेताओं की बैठक में अगर यह कहा हो कि हम 90 दिन से भी ज्यादा चलाना चाहते हैं। ये तो खुद ही कहे थे कि हम सदन को 90 दिन से ज्यादा चलाना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन्होंने 15 मिनट में समाप्त कर दिया था और 20 मिनट तो यहाँ इसी पर चर्चा होते हो गया। 15 मिनट में पूरा बजट एक से लेकर चौरानबे तक पास करा दिया था। हम तो जनहित में ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए पहले कहा कि कोरोना की आशंका समाप्त नहीं हुई है, कोरोना का रिकरेंस अभी समाप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्ताव करिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

आप 17-18 पर जाना चाहते हैं। जो इन्होंने पाप किया है उसे आप पुण्य में बदल दें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले 282 आये थे। फिर इन्होंने कहा कि बहुमत नहीं मिलेगा तो 303 आये। यही लोक सभा के चुनाव से पहले 2019 में कहते रहे कि अबकी बार 282 नहीं आयेंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, जब कोरोना काल था, वैश्विक संकट था, तब यह सारे सदस्य इस सदन में बैठे थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि 1977 का उदाहरण दे दीजिये। 1977 में विधान सभा कितने दिन चली ? 1977 का भी उदाहरण दे दीजिये कि कितने दिन बजट पर चर्चा हुई और 1980 और 1989 का भी दे दीजिये, 2012-13 का भी दे दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप स्वयं साक्षात बैठे हैं तो देने की क्या जरूरत है। मान्यवर, किसी के पास कोई तर्क नहीं है।

(विपक्ष के सदस्य लोकतंत्र विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे)

(सत्तापक्ष के भी कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ और संसदीय कार्य मंत्री के गलत तथ्यों के उदाहरण देने के कारण हम और हमारा दल सदन से वाकआउट करता है।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया)

(व्यवधान के मध्य सदस्या श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' लगातार बोलने का प्रयास करती रहीं।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ये सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और परम्पराओं के नाम पर गलत उदाहरण पेश कर रही है। हमने कभी ये उपदेश नहीं दिया था। ये लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार के इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री लाल जी वर्मा ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, सरकार अपने संख्या बल पर लोकतंत्र का गला घोंट रही है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया)

***श्री कैलाश नाथ सोनकर-**

माननीय अध्यक्ष जी, इनका उदाहरण देकर कि इनके समय में तो 15 मिनट में हो रहा था तो अब पाँच मिनट का रिकार्ड बनाने का सरकार काम करे। पाँच मिनट में अपनी सारी मदों को पास करके अपना रिकार्ड बनाने का काम करें। हम भी अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री कैलाश नाथ सोनकर ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी दो-तीन बिल हैं, उनको पास करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले हम एजेण्डा ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज की कार्य-सूची के सभी प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न†

प्रदेश में आलू किसानों को सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में।

***1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू का वर्तमान मूल्य न्यूनतम स्तर तक गिर जाने से किसानों को हो रही आर्थिक क्षति के दृष्टिगत प्रदेश के आलू किसानों को सब्सिडी दिये जाने पर सरकार विचार करगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीराम चौहान)-

जी नहीं।

आलू उत्पादकों के लिए आलू विकास नीति-2014 संचालित है। वर्ष 2020-21 में किसानों के उत्पादित आलू का उचित मूल्य दिलाने हेतु आलू विकास नीति-2014 के अन्तर्गत प्रदेश के उत्पादित आलू को देश के अन्य प्रान्तों में विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए रांची (झारखण्ड), गुवाहाटी (असम), विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश), मैसूर (कर्नाटक), मुम्बई (महाराष्ट्र) एवं कोच्चि (केरल) में एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर सेलर मीट के कार्यक्रम किये जा रहे हैं।

उ0प्र0 में कृषक प्रक्षेत्रों पर प्रसंस्कृत प्रजाति के आलू बीज उत्पादन के लिए रु0 25000 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। जिन कृषकों द्वारा कुफरी चिप्सोना-1, 2 व 4, कुफरी सूर्या एवं कुफरी फ्राइसोना का प्रमाणित श्रेणी का आलू बीज लेकर उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की देख-रेख में आलू बीज उत्पादित किया जाता है, उन कृषकों को यह सुविधा देय है।

प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू किये जाने विषयक

***2-श्री हाकिम लाल बिन्द-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हुई है तथा उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार प्रदेश में जहरीली शराब से होने वाली मौतों को देखते हुए जनहित में पूर्ण नशाबन्दी लागू किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री राम नरेश अग्निहोत्री)-

प्रदेश में जहरीली शराब पीने से जनवरी, 2020 से दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक कुल 23 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

---

† नोट :- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अवधि	मृतकों की संख्या
1	सीतापुर	जनवरी, 2020	01
2	खीरी	मार्च, 2020	02
3	कानपुर नगर	अप्रैल, 2020	02
4	लखनऊ	नवम्बर, 2020	03
5	फिरोजाबाद	नवम्बर, 2020	03
6	प्रयागराज	नवम्बर, 2020	06
7	बुलन्दशहर	जनवरी, 2021	06
योग			23

उपरोक्त जनपदों में घटित विषाक्त काण्ड में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कृत कार्यवाही
1	सीतापुर (जनवरी, 2020)	माह जनवरी, 2020 में जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु के लिए दोषी 02 अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना इमलिया सुल्तानपुर में दिनांक 28-01-2020 को सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 0032/2020 दर्ज करायी गयी है एवं इस घटना के लिए जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है।
2	लखीमपुर खीरी (मार्च, 2020)	माह मार्च, 2020 में जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु के लिए दोषी 02 अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-60(ए) एवं भा0द0सं0-1860 की धारा-272 व 304 के अन्तर्गत थाना मैलानी में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस घटना के लिए क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही एवं आबकारी सिपाही को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई संस्थित की गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के स्थानीय प्रभारी निरीक्षक, मैलानी चौकी इंचार्ज कुकरा तथा कांस्टेबिल को निलम्बित किया गया।

3	कानपुर नगर (अप्रैल, 2020)	माह अप्रैल, 2020 में जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु के लिए देशी शराब के अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-60(क) एवं आई0पी0सी0 की धारा-272, 467, 468, 469, 471 के अन्तर्गत मु0अ0सं0 81/20 एवं मु0अ0सं0 83/20 थाना सजेती में पंजीकृत किया गया एवं इस घटना के लिए जिला आबकारी अधिकारी, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही एवं आबकारी सिपाही को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई संस्थित की गयी।
4	लखनऊ (नवम्बर, 2020)	माह नवम्बर, 2020 में जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु के लिए दोषी 03 अभियुक्तों के विरुद्ध आई0पी0सी0 की धारा-328 व 304 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 संख्या-0430 दर्ज कराते हुए जेल भेजा गया एवं इस घटना के लिए जिला आबकारी अधिकारी को मुख्यालय सम्बद्ध किया गया तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व आबकारी सिपाही को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।
5	फिरोजाबाद (नवम्बर, 2020)	माह नवम्बर, 2020 में जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु के लिए दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा-272, 304 तथा आबकारी अधिनियम की धारा-60, 60(क) व 63 के अन्तर्गत थाना खैरगढ़ में अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्तों के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा-2/3 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए एफ0आई0आर0 सं0-001 थाना खैरगढ़ में दर्ज करायी गयी। जहरीली शराब काण्ड के सभी 11 आरोपी जेल में निरुद्ध हैं। उक्त घटना में जिला आबकारी अधिकारी को मुख्यालय सम्बद्ध किया गया तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही व तीन आबकारी सिपाहियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।

6	प्रयागराज (नवम्बर, 2020)	माह नवम्बर, 2020 में जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु के लिए दोषी 03 अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा-304/308/272, 273 तथा आबकारी अधिनियम की धारा-60/63/64(क)/60(क) के अन्तर्गत थाना फूलपुर में एफ0आई0आर0 सं0-527/2020 दर्ज करायी गयी। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा देशी शराब दुकान का अनुज्ञापन निलम्बित कर दिया गया। इस घटना के लिए जिला आबकारी अधिकारी तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही व आबकारी सिपाही को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई संस्थित की गयी है।
7	बुलन्दशहर (जनवरी, 2021)	माह जनवरी, 2021 में जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु के लिए दोषी 03 अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा-272, 273, 304 तथा आबकारी अधिनियम की धारा-60(क) में एफ0आई0आर0 सं0-0014 दिनांक 08-01-2021 दर्ज करायी गयी तथा घटना में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त घटना के दृष्टिगत संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन, उप आबकारी आयुक्त, मेरठ प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी, बुलन्दशहर को मुख्यालय सम्बद्ध किया गया तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही व दो आबकारी सिपाहियों को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई संस्थित की गयी है।

नई पीढ़ी को मदिरा के दुष्परिणाम से अवगत कराये जाने हेतु प्रत्येक मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतल पर यह अंकित कराया जा रहा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी क्रम में शराब के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित किया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। नशाखोरी पर नियंत्रण स्थापित किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राजमार्गों के समीप स्थित दुकानों को अन्यत्र विस्थापित किया गया है। प्रदेश में अनुज्ञापित मदिरा की दुकानों से 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा विक्रय प्रतिबन्धित किया गया है।

शराब की दुकानों को पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जाने से मदिरा उपभोक्तओं को मानक मदिरा उपलब्ध नहीं हो पायेगी और वह अन्य स्रोतों से अवैध/तस्करी कर लायी गयी मदिरा का उपभोग करेंगे, जिससे जनहानि की सम्भावना बलवती होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खेती में पेस्टिसाइड, फंगीसाइड व हर्बीसाइड का प्रयोग पूर्णतः बन्द कर सुरक्षित पैदावार हेतु किये गये उपाय का ब्यौरा सम्बन्धी

***1-श्री मौहम्मद फईम इरफान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा फसलों में पेस्टिसाइड, (कीटनाशक), फंगीसाइड (फफूंद नाशक), हर्बीसाइड (तृणनाशक) का प्रयोग पूरी तरह रोकने व उसके प्रयोग से पैदावार को सुरक्षित व बेअसर रखने हेतु विगत तीन वर्षों में किये गये उपाय का ब्यौरा सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के कृषकों को सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड्स बोर्ड (सी0आई0बी0) फरीदाबाद द्वारा पंजीकृत कीटनाशकों की संस्तुति के अनुसार प्रयोग करने के लिए कृषकों को ब्लाक एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षण, गोष्ठी, किसान मेला के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा यह भी बताया जाता है कि अत्यधिक जहरीले लालत्रिकोण वाली दवाओं का प्रयोग न करें। किसानों को सबसे सुरक्षित हरे त्रिकोण वाले दवाओं के प्रयोग की सलाह के साथ-साथ यह भी सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो नीले एवं पीले त्रिकोण वाले दवाओं का प्रयोग किया जाये। राज्य सरकार द्वारा रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को लगातार हतोत्साहित किया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विष रहित खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में स्थित 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायो-पेस्टिसाइड्स, बायो एजेन्ट्स का उत्पादन कर विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट, रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के दृष्टिगत जैविक कीटनाशकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रति हेक्टेयर आलू की लागत घटाने, उपज बढ़ाने, आलू का प्रसंस्करण करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र खोलने की जानकारी सम्बन्धी

***2-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति हेक्टेयर आलू की उपज बढ़ाने, उत्पादन लागत घटाने तथा आलू का प्रसंस्करण करने तथा आलू हेतु अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र स्थापित करने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी, हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों को वर्ष 2019-20 में फसल बीमा का भुगतान कराने विषयक

***3-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्तमान में कितनी धनराशि अनुमन्य है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2019-20 में कितने किसानों को फसल बीमा का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार प्रदेश में सर्वे कराकर छूटे हुए लाभार्थी किसानों को फसल बीमा का भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत निश्चित धनराशि अनुमन्य नहीं है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रमुख फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित करते हुए संचालित कराया जा रहा है। योजना वास्तविक प्रीमियम दर पर लागू है। खरीफ मौसम में किसानों को बीमित राशि का अधिकतम 02 प्रतिशत तथा रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत और औद्यानिक एवं वार्षिक नगदी फसलों के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देय है।

अधिसूचित फसल की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में अधिसूचित स्तर पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की उपज का आंकलन कर योजना के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के खरीफ मौसम में बीमा कम्पनियों द्वारा 5.95 लाख बीमित कृषकों को रु0 803.92 करोड़ की क्षतिपूर्ति तथा रबी मौसम में 3.29 लाख बीमित कृषकों को रुपये 273.13 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल 9.24 लाख बीमित किसानों को रुपये 1077.05 करोड़ की नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार।

प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कोई औद्योगिक नीति बनाने विषयक

***4-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2016 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कितने उद्योग स्थापित हुए हैं तथा कितने उद्योगों का पलायन हुआ है क्या सरकार द्वारा प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कोई औद्योगिक नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

इन्वेस्ट यूपी के स्तर पर संकलित सूचना के अनुसार सन्दर्भगत अवधि में उद्योगों की कुल 223 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। उद्योगों के पलायन के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार के यू0ए0एम0 पोर्टल (www.udyogaadhar.gov.in) पर उपलब्ध विवरणों के अनुसार वर्ष 2016 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 722558 उद्योग आधार मेमोरेण्डम फाइल किये गये हैं। उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों में उद्योग के पलायन की कोई सूचना नहीं है।

जी हां। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को आकर्षित करने हेतु उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 तथा एम0एस0एम0ई0 नीति-2017 एवं कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 बनायी गयी है। इसके अतिरिक्त 18 सेक्टोरल पालिसी बनायी गयी है। (कुल-21)

उक्त नीति वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार

***5-श्री संजय गर्ग-**

[09वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न सं0-04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में ब्लाक, तहसील स्तर पर संचालित कौशल विकास केन्द्रों के विवरण व प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिये जाने विषयक

***6-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ब्लाक, तहसील स्तर पर कौशल विकास के कितने केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं तथा उक्त के अतिरिक्त कहां-कहां खोलने के लिए प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार उक्त केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार की गारण्टी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अनुबन्धित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाते हैं। वर्तमान में (दिनांक 12-02-2021) प्रदेश में मिशन द्वारा अनुमोदित कुल 739 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं व इनमें युवाओं को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आरपीएल (रिकग्नीशन ऑफ प्रायर लर्निंग) के अन्तर्गत भी 1394 सीमित अवधि के प्रशिक्षण केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं, जिन पर यथा आवश्यकता आरपीएल के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में प्रदेश की समस्त 350 तहसीलों में न्यूनतम एक निजी अथवा राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए अनुवर्ती अवधि में प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुमोदित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत सफल घोषित युवाओं के सापेक्ष न्यूनतम 70 प्रतिशत युवाओं को सवेतन अथवा स्वरोजगार में सेवायोजित कराने का दायित्व सेवा प्रदाता संस्थाओं का है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को सफल घोषित प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष प्रशिक्षण लागत का मात्र 80 प्रतिशत ही भुगतान किया जाता है तथा 20 प्रतिशत धनराशि युवाओं को रोजगार दिलाने के पश्चात् ही अवमुक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा भी अपने स्तर से रोजगार मेलों का नियोजित आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से भी प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन हेतु प्रयास किये जाते हैं, परन्तु सेवायोजित कराने की गारण्टी जैसा कोई विषय इसमें सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

***7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

[7वें मगलवार के तारांकित प्रश्न सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने व कृषकों को उपज का पूर्ण मूल्य दिलाने विषयक

***8-श्री नाहिद हसन-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु सरकार द्वारा कृषकों की किस-किस भूमि उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि कृषकों की कृषि उपज पर कितने प्रकार की कटौती की जाती है ? क्या सरकार ने कृषकों को उनकी कृषि उपज का पूर्ण मूल्य दिलाने हेतु कोई नीति बनायी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	फसल	खरीफ 2021 हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु0/कु0)
1	धान (i) सामान्य (ii) ग्रेड-ए	1868 1888
2	ज्वार (i) हाईब्रिड (ii) मालदण्डी	2620 2640
3	बाजरा	2150
4	रागी	3295
5	मक्का	1850
6	अरहर	6000
7	मूंग	7196
8	उर्द	6000
9	मूंगफली	5275
10	सूरजमुखी बीज	5885
11	सोयाबीन (पीली)	3880
12	तिल	6855
13	नाइजरशीड	6695
14	मीडियम स्टेपल कॉटन	5515
15	लाँग स्टेपल कॉटन	5825

कृषकों की उपज पर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है।

कृषकों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ, धान, दलहनी एवं तिलहनी फसलों का क्रय किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नकली खाद बिक्री प्रकरण में संलिप्त दोषियों पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

***9-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली खाद बिक्री रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश में वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में वर्षवार नकली खाद बिक्री के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा कितने प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में अमानक उर्वरकों की बिक्री को रोकने एवं कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य योजना बनाते हुए उर्वरक व्यवसाय पर छापे एवं नमूना ग्रहीत करने के जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके क्रम में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा छापे मारकर उर्वरक नमूने ग्रहीत करते हुए विश्लेषण हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाओं को प्रेषित किये जाते हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापे डलवाये जाते हैं। वर्तमान में वर्ष 2020-21 में दिनांक 19 जनवरी, 2021 तक प्रदेश में उर्वरक प्रवर्तन की कड़ी कार्रवाई करते हुए 39907 छापे आयोजित कर कुल 9277 नमूने ग्रहीत किये जा चुके हैं, जिनके प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोपरान्त 476 नमूने अमानक पाये गये। अमानक एवं अन्य अनियमितताओं में कुल 1462 उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किये गये, 865 उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निरस्त किये गये, 52 उर्वरक प्रतिष्ठान सील किये गये एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाईयों के विरुद्ध 333 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

प्रदेश में वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रहीत नमूनों के अधिसूचित प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोपरान्त अमानक पाये गये नमूनों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	ग्रहीत नमूनों की संख्या	अमानक नमूनों की संख्या	अमानक प्रतिशत
1	2017-18	10290	845	8.21
2	2018-19	11057	930	8.41
3	2019-20	10082	727	7.21

उपरोक्त समस्त प्रकरणों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्राविधानानुसार सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी/अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है।

प्रकरण में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए कुल 1292 उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किये गये, 1622 उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निरस्त किये गये, 83 उर्वरक प्रतिष्ठान सील किये गये एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाईयों के विरुद्ध 133 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***10-श्री सुभाष त्रिपाठी-**

[दिनांक 01-03-2021 को तारांकित प्रश्न सं0-19 के अन्तर्गत उत्तरित]

प्रदेश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने विषयक

11-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत की कृषि निर्यात नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को बढ़ाकर 60 बिलियन अमेरिकी डालर करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित कृषि निर्यात नीति के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 प्रख्यापित की गयी है।

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के मुख्य बिन्दु किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का आंकलन करने एवं उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत कार्य-प्रणाली बनाने, क्लस्टर्स की स्थापना, स्थापित क्लस्टर्स से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन व्यवस्था तथा उनके निकट स्थापित की जाने वाली नयी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था, कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान प्रदान दिये जाने इत्यादि की व्यवस्था नीति में की गयी है।

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसल बीमा योजनान्तर्गत मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा दिये जाने विषयक

***12-श्री अजय कुमार लल्लू-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में कितने किसानों का बीमा हुआ तथा उसके सापेक्ष कितने किसानों को मुआवजा मिल गया है ? क्या सरकार शेष किसानों को मुआवजा देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत विगत चार वर्षों में बीमित एवं लाभान्वित कृषकों का विवरण निम्नवत् है-

क्र0-सं0	मौसम/वर्ष	बीमित कृषकों की संख्या (लाख में)	लाभान्वित कृषकों की संख्या (लाख में)
1	खरीफ 2016	39.86	9.62
	रबी 2016-17	32.96	2.19
	योग 2016-17	**72.82**	**11.81**
2	खरीफ 2017	25.81	4.01
	रबी 2017-18	28.39	1.88
	योग 2017-18	**54.20**	**5.89**
3	खरीफ 2018	31.69	5.69
	रबी 2018-19	29.66	0.39
	योग 2018-19	**61.35**	**6.08**
4	खरीफ 2019	23.89	5.95
	रबी 2019-20	23.32	3.41
	योग 2019-20	**47.21**	**9.36**

योजनान्तर्गत उपर्युक्तानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

***13-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

[03सरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने के सम्बन्ध में

***14-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के क्रेडिट कार्ड की अवधि एक वर्ष को बढ़ाकर तीन वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन केवल अधिकृत संस्था (भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं भारत सरकार) द्वारा ही किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में मदिरा की तस्करी की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

***15-श्री मोहम्मद असलम राइनी (एडवोकेट)-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित दारू की दुकानों में अधिकारियों के मिलीभगत से हरियाणा राज्य से दारू सस्ते में मंगवा कर बेचने से प्रदेश सरकार को करोड़ों का नुकसान प्रतिमाह होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच एसआईटी अथवा एसटीएफ से कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में मदिरा की तस्करी की रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर अपराध निरोधक क्षेत्रों सहित मण्डल स्तर पर प्रवर्तन इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें तैनात आबकारी स्टाफ सहित पुलिस विभाग के स्टाफ द्वारा निरन्तर सीमावर्ती राज्यों से हो रही अवैध मदिरा की तस्करी एवं उस पर अंकुश लगाने हेतु अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाती है।

आबकारी विभाग द्वारा ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत शराब की बोतलों आदि पर क्यू0आर0 कोड चस्पा कर वैध मदिरा की पहचान उपभोक्ताओं के लिए आसान कर दिया गया है, जिससे कि दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री को नियंत्रित किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री को रोकने हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से तथा समय-समय पर स्थानीय प्रशासन एवं आबकारी विभाग की टीमें गठित कर दुकानों का औचक निरीक्षण कराया जाता है।

वर्ष 2020-21 में माह जनवरी, 2021 तक हरियाणा राज्य के सीमावर्ती जनपदों में अवैध मद्य निष्कर्षण के 509 मामले पकड़े गये, अवैध मदिरा की तस्करी (राज्य की सीमा के भीतर) के 1790 मामले, अन्तर्राज्यीय मदिरा तस्करी के 763 मामले एवं अन्य प्रकार के 03 मामले पकड़े गये। इस प्रकार कुल 3065 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं, जिसमें अन्य राज्यों की 80752 ब0ली0 अवैध मदिरा सहित कुल 171162 ब0ली0 अवैध मदिरा अपहृत की

गयी। इस कार्रवाई में 995 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त कुल 83 वाहन जब्त किये गये। अवैध मदिरा की बिक्री में संलिप्त माफियाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करने तथा प्रदेश स्तर पर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाये जाने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

अवैध शराब से होने वाली जनहानि एवं राजस्व की क्षति पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित 2018) के दण्डक प्राविधानों को और कड़ा करते हुए जुर्माने की धनराशि में वृद्धि की गयी है तथा अधिनियम में नई धारा-60(क) जोड़ते हुए अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में माह जनवरी तक 21225.37 करोड़ रुपया आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह जनवरी तक 23551.65 करोड़ रुपया का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष के सापेक्ष 2326.28 करोड़ रुपया अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्योगिक नगर इकाइयों में 25 प्रतिशत तक रोजगार योग्यतानुसार स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराने विषयक

***16-श्री धीरेन्द्र सिंह-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान की अधिग्रहीत भूमि पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इण्डस्ट्री में उक्त किसान के बच्चों को रोजगार के दृष्टिगत निवेश कर रही कम्पनियों से एम0ओ0यू0 में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरियों में रखने का प्राविधान पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

औद्योगिक विकास विभाग के अधीन विभिन्न प्राधिकरणों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान विद्यमान हैं-

1-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भू-खण्ड आवंटन नीति के अनुसार 4000 वर्ग मीटर से ऊपर के क्षेत्रफल के भू-खण्डों के आवंटन में वरीयता हेतु निर्धारित आब्जेक्टिव क्राइटेरिया में स्थानीय निवासियों को रोजगार देने वाली इकाइयों हेतु अधिकतम 15 अंक निर्धारित हैं। साथ ही आवंटी एवं प्राधिकरण के मध्य सम्पादित होने वाले पट्टा प्रलेख की धारा-20 के अनुसार आवंटी अपने उद्योग में कुशल व अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति के समय कुल श्रम शक्ति का 5 प्रतिशत उन परिवारों से नियुक्त करेगा जिनकी भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अधिग्रहीत की गई है।

2-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वर्तमान आवंटन नीति के अनुसार 4000 वर्ग मीटर से ऊपर के भू-खण्डों के आवंटन में वरीयता हेतु आवेदन पर प्रचलित आब्जेक्टिव क्राइटेरिया में रोजगार सृजन का प्राविधान वर्णित है, जिसके अन्तर्गत आवंटी को अधिकतम 10 अंक दिये जाने का प्राविधान निर्धारित है।

3-यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाई में उपलब्ध कुल रोजगार में स्थानीय लोगों के प्रतिशत के आधार पर कम्पनी को भूमि आवंटन में प्राथमिकता प्रदान किये जाने हेतु अधिकतम 10 अंक दिये जाने का प्राविधान है, जिसका समावेश आवंटी इकाई के पक्ष में जारी किये जाने वाले आवंटन-पत्र व निष्पादित की जाने वाली लीजडीड में किया जाता है। यह प्राविधान सितम्बर, 2017 के बाद हुए औद्योगिक भू-खण्ड आवंटनों पर लागू है।

4-यूपीसीडा में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि को विकसित करने के पश्चात् उद्यमियों को भू-खण्ड आवंटन किया जाता है। तत्पश्चात् उनके पक्ष में लीजडीड निष्पादित की जाती है। लीजडीड में निम्नवत् प्राविधान किया जाता है :-

''अर्जित भूमि पर संचालित औद्योगिक इकाइयों में भूमि अर्जन से प्रभावित काश्तकारों को उनके परिवार के एक या दो सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी में वरीयता दिये जाने अथवा आवंटी को नेशनल पालिसी फॉर रिहेबिलिटेशन एण्ड रिसेटलमेंट अथवा सरकार के तत्सम्बन्धी अन्य कानून के अनुपालन किये जाने का प्राविधान है।''

प्राधिकरण में औद्योगिक भू-खण्डों के आवंटन हेतु आवेदन के प्राप्त प्रस्ताव पर वरीयता हेतु अधिकतम 20 अंक दिये जाने का प्राविधान है।

5-उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अन्तर्गत किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किया गया है।

एम0ओ0यू0 करने वाली कम्पनियां डिफेंस कारीडोर हेतु स्थापित कम्पनियों में विशिष्ट उत्पादन करेंगी और उनके द्वारा स्थापित मापदण्डों के अनुसार योग्यता रखने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में

***17-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों हेतु सरकारी नौकरी का प्राविधान सरकार ने किया है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण, पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

जी हां।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-1809/42-2006-1/ए0क्यू0 04/05, दिनांक 11-09-2006 द्वारा प्रदेश के प्रतिभावन/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश की शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर नौकरी देने हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में तस्करी के माध्यम से आ रही नशे की हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने विषयक

***18-श्री फतेह बहादुर-**

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं को नशे की लत से मुक्ति दिलाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

जी नहीं, वर्तमान में मद्य निषेध विभाग द्वारा मद्यपान एवं मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जनसाधारण में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों यथा शिक्षण संस्थानों एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षात्मक, ज्ञानवर्धक व खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रदर्शन कक्षों का आयोजन, चलचित्र प्रदर्शन, रैलियों, वाल पेंटिंग्स, होर्डिंग्स, ट्री गार्ड्स, इलेक्ट्रिक पोल्स (कियास्क) व बस पैनल्स पर सुवाक्यों के माध्यम से संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षात्मक प्रचार तथा प्रचार साहित्यों का वितरण व आकाशवाणी के माध्यम से भी जागरूकता संदेश प्रसारित कराकर जनमानस में जागरूकता लाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदानित सामाजिक, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्रों में मद्यपान एवं मादक पदार्थों से ग्रसित व्यसनियों को उपचार कराने हेतु भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना ''एनएपीडीडीआर'' के तहत ड्रग की मांग में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम यथा टीचर्स को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना, टीचर्स द्वारा अपने विद्यालयों में ड्रग एब्यूज पर सत्रों का आयोजन कराया जाना, विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर्स बनाकर उनके माध्यम से अन्य स्टेक होल्डर्स को प्रशिक्षित किया जाना, विभिन्न स्वै0 संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम कराया जाना, सेमिनार/ओरिएन्टेशन कोर्स, वर्कशाप, हाई रिस्क ग्रुप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा नशे के दुष्परिणामों के प्रति युवाओं में संचेतना जागृत करने हेतु प्रदेश के

विभिन्न जनपदों में एफ0एम0, आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है तथा ''एनएपीडीडीआर'' योजना के तहत युवाओं में ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत व्यसनियों के उपचार हेतु प्रदेश के जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज तथा जनपद लखनऊ के किंग्स इंग्लिश चिकित्सालय, टूड़ियागंज में 30 शय्याओं वाले नशामुक्ति केन्द्र तथा जनपद रायबरेली के जिला चिकित्सालय में 10 शय्याओं वाले एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (एटीएफ) की स्थापना की गयी है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कम्पनियों को प्राप्त कुल प्रीमियम व किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में

1-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितनी संख्या में किसान सम्बद्ध हैं ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त योजना से सम्बद्ध सभी बीमा कम्पनियों को कुल कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ तथा उसके सापेक्ष किसानों को फसल क्षति प्रतिपूर्ति के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्तमान वर्ष 2020-21 में बीमित कृषकों का विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	मौसम/वर्ष	बीमित कृषकों की संख्या (लाख में)
1	खरीफ 2020	22.35
2	रबी 2020-21	19.78
	योग (वर्ष 2020-21)	**42.13**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्तमान वर्ष 2020-21 में सभी बीमा कम्पनियों को प्राप्त प्रीमियम एवं लाभार्थी कृषकों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	मौसम/ वर्ष	प्रीमियम (करोड़ रु0 में)				लाभार्थी कृषकों की संख्या (लाख में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ रु0 में)
		कृषक अंक	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल प्रीमियम		
1	खरीफ 2020	178.26	334.44	334.42	846.12	0.69	48.18

2	रबी 2020-21	153.23	308.96	308.96	771.15	मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए भुगतान किया जाता है।	
योग (वर्ष 2020-21)		331.49	643.40	642.38	1617.27	0.69	48.18

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में कृषि विभाग में तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पटल पर कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

2-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कृषि विभाग के कार्यालय में एक ही पटल पर 15-20 वर्षों से लिपिक संवर्ग के कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के विपरीत कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पटल पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डल में जिस कार्यालय में एक लिपिक संवर्ग कार्यरत है, को छोड़कर शासनादेशानुसार व कर्मचारियों के प्रदर्शन एवं कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत समय-समय पर पटल परिवर्तन किये जाते रहे हैं।

जनपद बस्ती में थ्रेशिंग जोन खलिहान पक्कीकरण योजना के अन्तर्गत पक्के कराये गये खलिहानों का विवरण

3-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में थ्रेशिंग जोन खलिहान पक्कीकरण योजना के अन्तर्गत पक्कीकरण कराये गये खलिहानों की संख्या का विवरण तहसीलवार सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ। केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत जनपद बस्ती में कुल 06 सामुदायिक थ्रेशिंग फ्लोर के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनमें से 04 के टोकन जेनरेट हो गये हैं और 01 प्रतीक्षा सूची में है एवं शेष 01 का टोकन नहीं कटा है।

सामुदायिक थ्रेशिंग फ्लोर निर्माण का तहसीलवार विवरण निम्नवत् है :-

तहसील का नाम	संख्या
हरैया	02
भानपुर	02

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती में वर्ष 2016-20 तक सीटू मैनेजमेंट के अन्तर्गत खरीदे गये यंत्रों व अनुदान के सम्बन्ध में

4-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में वर्ष 2016-20 तक सीटू मैनेजमेंट के अन्तर्गत खरीदे गये यंत्रों तथा किसानों को योजनान्तर्गत दिये गये अनुदान का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ। फसल अवशेष को जलाये जाने से रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित नई केन्द्रीय योजना ''प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू'' अनुमोदित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जनपद-बस्ती में वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक लाभार्थियों द्वारा स्थापित किये गये 94 कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक के सापेक्ष 363.85 लाख तथा किसानों द्वारा क्रय किये गये 569 कृषि यंत्रों के सापेक्ष 394.61 लाख का अनुदान वितरण कृषकों को किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मऊ, तहसील सदर के मोहल्ला भीटी (थाना मधुबन) में स्थित देशी ठेका शराब को अन्यत्र स्थानान्तरित करने विषयक

5-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ग-6 नं0-301161, दिनांक 11-01-2021 जोकि जनपद मऊ की तहसील सदर के मोहल्ला भीटी (थाना मधुबन) में घनी आबादी एवं विद्यालयों के मध्य स्थित देशी ठेका शराब को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने

विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

प्रश्नगत देशी शराब दुकान के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य विधान सभा का पत्रांक क-6 नं0-521303, दिनांक 11-01-2021 प्राप्त हुआ है, न कि पत्रांक ग-6 नं0-301161।

उक्त पत्रांक क-6 नं0-521303 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को दिनांक 04-02-2021 को भेजा गया। प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत देशी शराब दुकान भीटी-चौराहा, जनपद-मऊ घनी आबादी से दूर नदी पार संचालित है। अतः इसके स्थानान्तरण का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त किसानों को किसान सम्मान निधि का शत-प्रतिशत लाभ दिलाये जाने विषयक

6-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि गलत फीडिंग के कारण कतिपय किसानों को उक्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु तीन दिवसीय पी0एम0 किसान समाधान दिवस दिनांक 01 फरवरी से 03 फरवरी, 2021 तक आयोजित किया गया। किसान समाधान दिवस के समय कृषकों को आधार कार्ड में उल्लिखित नाम के अनुरूप डाटा बेस में नाम नहीं फीड होने (मिसमैच होने) एवं अन्य कारण से लाभ प्राप्त न होने वाली त्रुटियों का निराकरण किया गया। प्रत्येक विकास खण्ड में कृषि विभाग के बीज गोदामों पर बीज गोदाम प्रभारी की देख-रेख में अभियान का संचालन किया गया।

अभियान अवधि में कृषकों के 2.67 लाख प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उसमें से 1.08 लाख प्रार्थना-पत्र का अभियान अवधि में ही निस्तारण किया गया। अवशेष 1.59 लाख प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण प्रक्रियाधीन है। 1 से 3 मार्च के मध्य अभियान चलाया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार अभियान चलाये जा रहे हैं।

योजनान्तर्गत अपवर्जन श्रेणी के कृषकों को छोड़कर सभी कृषकों को लाभ दिये जाने का प्राविधान है। त्रुटियों का निराकरण करते हुए लाभ दिलाये जाने की कार्यवाही क्रमिक है। कृषकों को उनके पंजीकरण के तिथि से लाभ दिये जाने का प्राविधान है। यह प्रक्रिया क्रमिक है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये ऋण के सम्बन्ध में

7-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा पिछड़े वर्ग के कितने लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण ऋण योजना के अन्तर्गत कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली में आसान ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण वितरित किया जाता है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा वितरित ऋणों की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप न हो पाने के कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की अतिदेय धनराशि का पुर्नभुगतान समय से नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की अतिदेय धनराशि का भुगतान न हो पाने तथा गारण्टी की सीमा समाप्त हो जाने के कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2012-13 से ऋण देना बन्द कर दिया गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में निगम द्वारा पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण ऋण योजना अन्तर्गत कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कराने के सम्बन्ध में

8-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर छात्र-छात्राओं से शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन के सापेक्ष कितने छात्र-छात्राओं को

शुल्क प्रतिपूर्ति किया जाना वर्तमान में शेष है ? क्या सरकार शेष छात्र-छात्राओं की शुल्क पतिपूर्ति का भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन के सापेक्ष संगत नियमावली में निहित व्यवस्था तथा नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुसार उपलब्ध बजट के अन्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के तहसील कैम्पियरगंज में ग्राम सभा लोहरपुरवा में संचालित राजकीय आईटीआई में प्रधानाचार्य सहित रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने विषयक

9-श्री फतेह बहादुर-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम सभा लोहापुरवा में संचालित राजकीय आई0टी0आई0 में प्रधानाचार्य सहित 15 कार्मिकों के पद वर्तमान में रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद गोरखपुर के तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम सभा लोहापुरवा में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में विभिन्न श्रेणी के कुल 20 पद स्वीकृत हैं जिनमें 12 पद भरे हुए हैं एवं 08 पद रिक्त हैं।

उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानाचार्य के रिक्त पद को भरने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज तथा अनुदेशक, सहायक भण्डारी एवं कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

10-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[02सरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न सं0-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

11-डॉ0 आर0के0 वर्मा-

[03सरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0-197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरकारी आवास ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग, लखनऊ में पानी की सप्लाई सुनिश्चित कराने विषयक

12-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जयदेवी, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-क-6 नं0-458765, दिनांक 05-10-2020 एवं आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157200053786, दिनांक 05-10-2020 जो सरकारी आवास ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग, लखनऊ में पानी की सप्लाई सुचारु रूप से सुनिश्चित कराये जाने एवं उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हाँ।

प्रकरण की जाँच हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा जाँच कमेटी का गठन किया गया। जाँच के दौरान स्थलीय निरीक्षण, अभलेखीय परीक्षण में किसी भी अभियन्ता की लापरवाही प्रकट नहीं हुई है तथा ट्रांजिट हास्टल व डालीबाग कालोनी में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से हो रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती में शेष किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़े जाने के सम्बन्ध में

13-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कितने किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि प्राप्त हो रही है तथा वर्तमान में कितने किसान उक्त योजना से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जोड़ेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कुल 427689 कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

विभिन्न त्रुटियों के कारण जनपद में कुल 42027 कृषक प्रभावित हैं।

जी हां।

अपवर्जन श्रेणी के कृषकों को छोड़कर सभी कृषकों को उनके पंजीकरण की तिथि से लाभ दिये जाने का प्राविधान है। कृषकों के आवेदन-पत्रों में त्रुटियों के निवारण हेतु दिनांक

01 फरवरी, 2021 से 03 फरवरी, 2021 तक पी0एम0 किसान समाधान दिवस आयोजित किया गया था, जिसमें कृषकों के आवेदन-पत्रों की त्रुटियों का निवारण किया गया। आयोजन की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए पुनः प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 से 03 मार्च, 2021 तक पी0एम0 किसान समाधान अभियान का आयोजन किया गया है।

त्रुटियों के निराकरण करते हुए कृषकों को उनके पंजीकरण की तिथि से लाभ दिये जाने की कार्यवाही क्रमिक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद श्रावस्ती अन्तर्गत बौद्ध परिपथ नेशनल हाई-वे पर कस्बा इकौना में मण्डी स्थल बनाने विषयक

14-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत बौद्ध परिपथ नेशनल हाई-वे पर स्थित कस्बा इकौना में मण्डी स्थल न होने के कारण किसानों को उपज विक्रय में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इकौना में मण्डी स्थल स्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जनपद श्रावस्ती में भिनगा में नवीन मण्डी स्थल निर्माणाधीन है तथा इस स्थान से इकौना कस्बे की दूरी लगभग 25 किमी0 है। भिनगा में मण्डी स्थल निर्मित हो जाने के उपरान्त श्रावस्ती के सभी कृषकों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

जी नहीं।

वर्तमान में इकौना क्षेत्र पयागपुर मण्डी समिति बहराइच के निकटतम है जिसकी दूरी 25 किमी0 है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर राजकीय प्रक्षेत्र कसया, कुशीनगर स्थित कार्यालय/भवन की मरम्मत विषयक।

15-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर राजकीय प्रक्षेत्र कसया, कुशीनगर पर स्थित कार्यालय/भवन मरम्मत का आगणन शासन को दिनांक 27-09-2018 को जिला उद्यान अधिकारी ने प्रेषित किया है ? क्या सरकार

उक्त जर्जर कार्यालय/भवन का मरम्मतीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी हाँ।

आवश्यकता नहीं।

आवश्यकता नहीं।

राजकीय औद्यानिक प्रक्षेत्र कसया, कुशीनगर पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर पोटैटो की स्थापना के लिए रु0 8.59 करोड़ की योजना स्वीकृत की जा चकी है जिसमें कार्यालय भवन, टिश्यू कल्चर लैब, ऐरोपोनिक लैब, प्रदर्शन प्लाण्ट, सौर ऊर्जा प्लाण्ट, गोदाम इत्यादि का निर्माण कराया जाना सम्मिलित है, इसलिए पुराने कार्यालय/भवन के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

जनपद गाजीपुर, विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में मण्डी निर्माण कराने विषयक

16-श्री सुभाष पासी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर, विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी निर्माण के लिए सैदपुर शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) को क्रय किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मण्डी का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

मण्डी समिति सैदपुर के प्रस्ताव पर मण्डी परिषद् द्वारा सैदपुर कोल्ड स्टोरेज परिसर में सरप्लस व रिक्त भूमि 3826 वर्गमीटर क्रय किया गया है।

जी नहीं।

क्रय की गयी भूमि शीतगृह के दोनों तरफ स्थित है। भूमि अत्यन्त कम और दो टुकड़ों में होने के कारण मण्डी स्थल का निर्माण कराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर, विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में नवयुवकों हेतु व्यायामशालाओं की स्थापना कराये जाने विषयक

श्री सुभाष पासी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में नवयुवकों के व्यायाम हेतु कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

युवा कल्याण विभाग में पूर्व में संचालित व्यायामशाला की योजना बन्द हो चुकी है तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित व्यायामशालाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद-गाजीपुर में पूर्व से ही श्री मेघबरन सिंह स्टेडियम, करमपुर में स्थापित है। उक्त स्टेडियम खेल विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में इसका संचालन खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है।

18-श्री हाकिम लाल बिन्द-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

प्रदेश में किसानों को अन्य राज्यों की भाँति सोलर फैन्सिंग के लिए सब्सिडी दिलाये जाने के सम्बन्ध में

19-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को अन्य राज्यों की भांति सोलर फेन्सिंग पर सब्सिडी दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं। सोलर फैंसिंग की योजना कृषि विभाग में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में कारखानों के बीच मानक के विपरीत स्कूल को जगह देने की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

20-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में मानकों के विपरीत कारखानों के बीच में स्कूल हेतु जगह आवंटित की गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं, अपितु प्राधिकरण के स्वीकृत तलपट मानचित्र में शैक्षणिक कार्य हेतु निर्धारित भूमि पर ही 60714 वर्ग मी0 का आवंटन दिनांक 27-03-1999 को मे0 रोमन कैथोलिक डायोसीज ऑफ आगरा प्रा0लि0 को स्कूल, कालेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हेतु आवंटित किया गया है तथा 60713.80 वर्ग मी0 भूमि मे0 दाउ दयाल महिला विद्यालय सोसाइटी को दिनांक 17-03-1999 को नियमानुसार आवंटित किया गया है।

आवंटन नियमानुसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिव्यांग कल्याण अधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों के मध्य उपकरण वितरण प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब करने व कार्यालय द्वारा बिना सुविधा शुल्क के कार्य न करने सम्बन्धी शिकायतों की जाँच विषयक

21-श्री मनीष असीजा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिव्यांग कल्याण अधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों के मध्य उपकरण वितरण प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब करने, कार्यालय द्वारा बिना सुविधा शुल्क के कार्य न करने आदि शिकायतों में जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक क-6 नं0 505231, दिनांक 10-02-2021 के क्रम में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लखनऊ को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्रांक 996/ओ0एस0डी0 दिनांक 03-02-2021 पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

मा0 सदस्य का उक्त पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करते हुए जाँच कराकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन नवनिर्मित विधायक निवास दारुलशफा, लखनऊ में संविदा सफाई कर्मियों के भुगतान विषयक

22-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन नवनिर्मित विधायक निवास दारुलशफा, लखनऊ में कितने सफाई कर्मी संविदा पर वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कर्मियों को नामवार कितना-कितना मानदेय का भुगतान कबसे किया जा रहा है तथा कितनी-कितनी धनराशि ई0पी0एफ0 खाते में जमा की जा रही है एवं अब तक कुल कितनी धनराशि ई0पी0एफ0 खाते में जमा की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन नवनिर्मित विधायक निवास दारुलशफा, लखनऊ में जेम पोर्टल के माध्यम से सफाई कार्य कराये जाने हेतु मे0 एल0बी0 बोनाफाइड प्रा0लि0 का

चयन किया गया है। सम्बन्धित सेवा प्रदाता द्वारा वर्तमान में 06 सफाई कर्मी संविदा पर एवं 02 सफाई कर्मी दैनिक दर पर, इस प्रकार कुल 08 सफाई कर्मी तैनात किये गये हैं।

उक्त कर्मियों को नामवार भुगतान किये गये मानदेय तथा ई0पी0एफ0 खाते में जमा की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

संविदा पर कार्यरत कार्मिक

क्रमांक	नाम	न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मासिक वेतन (रु0 में)	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि दिनांक 15-07-2020 से वेतन के रूप में कुल दी गयी धनराशि (रु0 में)	ई0पी0एफ0 खाते में जमा की जा रही मासिक धनराशि (रु0 में)	ई0पी0एफ0 खाते में दिनांक 15-07-2020 से 31-01-2021 तक जमा की गई कुल धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5	6
1	सर्वश्री बिन्दा प्रसाद	10075.00	64935.00	1453.00	11334.00
2	मो0 दानिश	8625.50	49427.00	1244.00	8459.00
3	अशरफ	8625.50	58745.00	1244.00	9703.00
4	शकील	8625.50	58456.00	1244.00	9620.00
5	अरविन्द मौर्या	8625.50	55851.00	1244.00	8874.00
6	अरशद उल्ला	8625.50	58745.00	1244.00	9703.00
	योग	**53202.50**	**346159.00**	**7673.00**	**57693.00**

दैनिक दर पर कार्यरत कार्मिक (रिलीवर)

क्रमांक	नाम	दैनिक मजदूरी	दैनिक मजदूरी के रूप में दिनांक 15-07-2020 से दी गयी धनराशि (रु0 में)
1	श्री सलमान	331.75	34502.00
2	श्री मनीष	331.75	34502.00

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में सरकार द्वारा संचालित कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अन्तर्गत कृषि उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

23-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में संचालित कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विगत पाँच वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत की गई कृषि यंत्रों की खरीद की जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

कृषि निदेशक, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 03-03-2021 द्वारा प्रकरण की जाँच शीघ्र पूर्ण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु उप कृषि निदेशक (भू0सं0), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के वृद्धाश्रम में अव्यवस्थाओं की जाँच उच्च कमेटी द्वारा कराने व दोषियों पर कार्रवाई विषयक

24-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के वृद्धाश्रम की बाउण्ड्रीवाल टूटी होने, आश्रम में बन रहे खाने की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने तथा आश्रम परिसर में गन्दगी की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वृद्धा आश्रम की अव्यवस्थाओं की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पीलीभीत द्वारा दिनांक 23-02-2021 को स्वैच्छिक संस्था सूर्या चैरिटेबिल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि बाउण्ड्रीवाल कुछ जगह पानी के रिसाव के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे ठीक करवा दिया गया। इसके अतिरिक्त भवन के परिसर के पूरब, पश्चिम एवं उत्तर की तरफ नवीन बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जाना है, जिसकी लम्बाई लगभग 250 फीट है, जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ है। निरीक्षण के समय आश्रम में निवासरत् वृद्ध के भोजन की गुणवत्ता की जाँच पंजिका में निर्धारित किये गये दैनिक मीनू के अनुसार सही पायी गयी और निवासरत् वृद्ध संवासियों ने भोजन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। वृद्धों द्वारा स्वयं भी भोजन की गुणवत्ता चेक की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में वर्ष 2020-21 में किसानों को सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल हेतु आवश्यक उपकरण वितरित करवाने विषयक

25-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्ष 2021 में किसानों द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करने पर भी सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल हेतु आवश्यक उपकरण वितरित नहीं किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल हेतु आवश्यक उपकरण वितरित करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

जी हाँ। जनपद झांसी हेतु आवंटित लक्ष्य 315 के सापेक्ष 303 बैंक ड्राफ्टों का सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है तथा 54 सोलर पम्पों की आपूर्ति कराते हुए 33 सोलर पम्पों की स्थापना कृषकों के प्रक्षेत्रों पर कराई जा चुकी है तथा शेष सोलर पम्पों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में मसूर, राई, चना आदि की खरीद पर मण्डी शुल्क समाप्त करने विषयक

26-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मसूर, राई, चना, उरद एवं मूंगफली की खरीद पर मण्डी शुल्क अन्य प्रदेशों की भांति समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

भारत सरकार द्वारा 05 जून, 2020 को पारित अध्यादेश, अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत मण्डी समितियों का कार्य क्षेत्र निर्मित परिसरों तक ही सीमित रह गया है और मण्डी के बाहर अवधारित ट्रेड एरिया में क्रय-विक्रय पर कोई भी मण्डी शुल्क किसी नाम से आरोपित नहीं किया जा सकता। अतः मण्डी के बाहर ट्रेड एरिया में क्रय-विक्रय के लिए स्वतंत्र है। अब मण्डी परिक्षेत्र की बाध्यता नहीं रह गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में नसीरपुर-फुलवरिया मार्ग का मरम्मतीकरण कराने विषयक

27-श्री नफीस अहमद-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में नसीरपुर-फुलवरिया मार्ग के किलोमीटर 02 से जियनपुर मुख्य मार्ग तक का मार्ग जर्जर होने से आम-जनमानस को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग बिलरियागंज हाईडिल कालोनी से मुहम्मदपुर के नाम से 2.50 किमी0 लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग के लगभग 600 मीटर लम्बाई में आबादी भाग होने के कारण जल भराव से मार्ग क्षतिगस्त हो गया है तथा कहीं-कहीं लेपन सतह उखड़ गयी है। आबादी वाले भाग को ऊँचा कराकर दिनांक 31-03-2021 तक मरम्मत कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04-03-2021 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 73 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें सभी मा0 सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गई हैं।

पहली सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवाँ के वनटांगिया बीट सं0-24, 26, 28 में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी अन्तर्गत ग्राम गुरूसण्डी भटेवरा से जिउती पुल तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डॉ0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में बड़ा उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर नगर में ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा मार्ग प्रकाश हेतु लाइट न लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री गौरीशंकर वर्मा की जनपद जालौन के विकास खण्ड कोंच अन्तर्गत उदय चौरसिया के घर से पंचायत भवन तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री शीतला प्रसाद पप्पू पटेल की लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर का राजकीय सेवाओं से इस्तीफा न स्वीकार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के

विधान सभा क्षेत्र कालपी अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा की जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर की डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक नियोजन विभाग जो दिनांक 31-12-2020 को से0नि0 हो गये हैं, के समस्त सेवानिवृत्तिक लाभों को रोककर उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद लखनऊ स्थित गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में सुलभ आवास में ए-1 सहित निर्मित कतिपय भवनों के निर्माण में निर्माता कम्पनी सेंटेक्स द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद अन्तर्गत गागन नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर अन्तर्गत जोन-5 में नई सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला अन्तर्गत ग्राम बरसेर और ग्राम अलीगंज के बीच 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद लखनऊ के सेक्टर-1बी वृन्दावन कालोनी के अन्तर्गत रोड, नालियों को बनवाने एवं पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती अनीता कमल की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर ओवरहेड टैंक बनाकर पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के अन्तर्गत बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी अन्तर्गत चरखारी बाईपास का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री संजीव राजा की जनपद अलीगढ़ सदर के अन्तर्गत राजकीय कन्या महाविद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री बैजनाथ रावत की मुरादाबाद मण्डल में पसिया जाति को पासी जाति मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड धर्मपुर में 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर में जर्जर आयुर्वेदिक अस्पताल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं मवई व मयाबाजार में रोगी आश्रय स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज अंतर्गत

रोडवेज बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत कतिपय ब्लाकों में डोंगल न लगने से कई सरकारी योजना का लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री शशांक त्रिवेदी की उ0प्र0 आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, सत्ताइसवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर अन्तर्गत कतिपय गाँवों में किसानों का नाम खतौनी से काटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की कानपुर नगर पुलिस बादशाही नाका की सांठ-गांठ से क्षेत्र कुली बाजार, गुलियाना, बादशाही नाका में संचालित चट्टों के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत राजस्व गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के अन्तर्गत एन0एच0-709, ए0डी0 के दोनों गजट प्रकाशन (3ए) के बाद भी जमीनों के बैनामे होने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली सदर अन्तर्गत मुख्यालय मुगलसराय भूपौली-चहनिया मार्ग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर-चौचकपुर मुख्य मार्ग से जैदपुरा गाँव तक के मार्ग को शहीद के नाम पर कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की नगर निगम मेरठ अन्तर्गत पशु वधशाला पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज अन्तर्गत राजकीय नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री सोबरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड घिरौर अन्तर्गत ग्राम मधन से ग्राम खुशहालपुर तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-49 औरंगाबाद रजबहा पर बिना कार्य कराये सिल्ट की सफाई में हुई अनियमितता की जाँच एवं कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की उ0प्र0 में व्यापारियों की मानवीय ऊर्जा के उपयोग के मद्देनजर ई-कामर्स को हतोत्साहित करने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद देवरिया अन्तर्गत मुकदमा अपराध सं0-261/220 में उच्च स्तरीय जाँच कराकर श्रीमती रमादेवी को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री लकी यादव की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज अन्तर्गत कतिपय विद्युत उप केन्द्रों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

बयालीसवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत ब्रम्हबाबा के स्थान पर ग्राम किसुनपुर कबीरहा में 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत नगीना रेलवे लाइन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री नईम उल हसन की जनपद मेरठ में कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गोलमाल करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे की उ0प्र0 के होमगार्डों को पुलिस के समान वेतन एवं भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री संजीव कुमार की जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन अन्तर्गत ग्राम पंचायत पनारी टोला खाड़र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में सैनिक स्कूल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के ऐनवा-भड़सारी मार्ग से जौनपुर अशरफपुर बरवां होते हुए कटेहरी तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों के मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री आशीष सिंह पटेल ''आशू'' की जनपद हरदोई के नगर पंचायत माधौगंज में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा अन्तर्गत विद्युत दुर्घटनाओं में हुई मैतों का मुआवजा ऊर्जा विभाग द्वारा शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की जनपद कानपुर देहात में ग्राम मड़ौली में सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री मो0 फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी अन्तर्गत मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत नगर में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद अमेठी के थाना शिवरतनगंज अन्तर्गत रिपोर्टिंग चौकी इन्हौंना को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवी सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत ई0ओ0 एवं नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर सदर अन्तर्गत नवनिर्मित आई0टी0आई0 में छात्रों का प्रवेश कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री विनय शाक्य की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा में बहबलपुर से पिलखनी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के विश्वविख्यात हस्तशिल्प द्वारा निर्मित लकड़ी की

नक्कासी के उत्पाद पर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जी0एस0टी0 लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के विकास खण्ड हरहुआँ अन्तर्गत श्री विजेन्द्र नाथ तिवारी के घर से श्री सीताराम यादव के घर तक आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद गाजीपुर के तहसील जखनिया के ग्राम सभा माधवटाण्डा में खलिहान खसरा संख्या-33 अन्तर्गत लेखपाल व कानूनगो के खिलाफ जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी अन्तर्गत अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित एवं विस्थापित लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद प्रयागराज में निषाद समुदाय के नावों को सरकार के इशारों पर तोड़-फोड़ किये जाने एवं पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण किये गये उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद अन्तर्गत जिला अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहादुरपुर अन्तर्गत ग्राम संगम विहार हवेलिया में श्री संजय मिश्र के घर से श्री सी0पी0 सिंह के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखनऊ के तहसील सरोजनी नगर अन्तर्गत निगम भूमि गाटा संख्या-3655, 3657, 3662, 3676, 3660 पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ अन्तर्गत बरगवां, बाराबिरवा स्थित देवा विहार कालोनी में 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूँ की तहसील सहसवान स्थित रोडवेज (बस स्टैण्ड) की जमीन पर कब्जा करने एवं बसों को रोडवेज तक नहीं ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्रीमती गरिमा सिंह की जनपद अमेठी के विकास खण्ड-भेटुआ अन्तर्गत टीकरी भादर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ की गोमती नगर में फन माल के पीछे स्थित नेहरू इन्क्लेव कालोनी में एल0डी0ए0, नगर निगम द्वारा उसका रख-रखाव न किये जाने के सम्बन्ध में है तथा तिहत्तरवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के विकास खण्ड भाटपार रानी के ग्राम पंचायत जगहथा में ग्राम निधि व सार्वजनिक शौचालय के निधि का ब्लाक के कर्मचारियों में बंदरबांट होने से दोषियों के खिलाफ जाँच कराकर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवाँ के वनटांगिया बीट सं0-24, 26, 28 में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सागर पटेल-

[महोदय, आग्रह करना है कि 24, 26, 28 वनटांगिया गाँव तहसील निचलौल, विधान सभा क्षेत्र सिसवाँ में कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं है, जिससे उक्त क्षेत्र के बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। वनटांगिया बीट संख्या-24, 26, 28 में प्राइमरी स्कूल बनवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर वनटांगिया बीट संख्या-24, 26, 28 में तत्काल प्राइमरी स्कूल बनवाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की माँग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत ग्राम गुरूसण्डी भटेवरा से जिउती पुल तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र 397, मझवां, जनपद मीरजापुर अन्तर्गत विकास खण्ड सीटी में पचेरमोड-सिनहर को जाने वाले रास्ते से ग्राम-गुरूसण्डी-भटेरवा से जिउती पुल तक की सड़क जोकि नहर की पटरी पर बनी है तथा दर्जनों गाँवों को जोड़ती है, वर्तमान में अत्यन्त जर्जर है, जिसे गड्ढामुक्त किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करती हूँ।]

जनपद बरेली में बड़ा उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद-बरेली में कोई बड़ा उद्योग नहीं होने के कारण वहां के नौजवानों में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बरेली में कई बड़े उद्योग जैसे रबड़ फैक्ट्री, टर्पनटाइन फैक्ट्री, बिमको आदि फैक्ट्री बन्द हो गयी हैं, जिसके कारण जनपद के नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। यदि जनपद-बरेली में सरकार द्वारा कोई बड़ा उद्योग लगा दिया जाता है तो इस उद्योग के साथ कई और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या कम हो जायेगी।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर उचित कार्रवाई किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर नगर में ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा मार्ग प्रकाश हेतु लाइट न लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूँ। नगर क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश का काम पहले नगर निगम करते थे, परन्तु बाद में नई लाइट लगाने का कार्य एल0ई0डी0 लाइट लगाने हेतु ई0ई0एस0एल0 कम्पनी को इस शर्त के साथ दे दिया गया कि एल0ई0डी0 लाइटों से होने वाली बिजली की बचत का आधा धन ई0ई0एस0एल0 कम्पनी को दिया जायेगा, जिससे ई0ई0एस0एल0 कम्पनी रख-रखाव भी करेगी व नई लाइटों का भी काम करेगी, परन्तु ई0ई0एस0एल0 कम्पनी का लगभग 38 करोड़ बकाया हो जाने के कारण उक्त कम्पनी ने नई लाइट लगाने का कार्य व रख-रखाव बन्द कर दिया है। नगर निगम का मार्ग प्रकाश विभाग पहले ही समाप्त हो चुका है जिससे शहर की गलियों में अंधेरा रहता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से उक्त के विषय में वक्तव्य दिये जाने व मार्ग प्रकाश के लिए तत्काल व्यवस्था किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड कोंच अन्तर्गत उदय चौरसिया के घर से पंचायत भवन तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-221, उरई, जनपद जालौन विकास खण्ड-कोंच, तहसील-कोंच में उदय चौरसिया के घर से पंचायत भवन तक लगभग 500 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर का राजकीय सेवाओं से इस्तीफा न स्वीकार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शीतला प्रसाद 'पप्पू पटेल'-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ कि डॉ0 मो0 सेराज उद्दीन, लखनऊ विश्वविद्यालय में जन्तु विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में चयनित [प0स0-4498(5)/15(17) 199570(12/95) दिनांक 18 दिसम्बर, 1995] होकर विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 23-12-1995 से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

16-07-2007 तक कार्यरत रहें। डॉ0 मो0 सेराज उद्दीन द्वारा दिनांक 27-07-2007 को बतौर रीडर, लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात् राजकीय सेवाओं से त्याग-पत्र पत्रांक सं0-1075/2013-14, दिनांक 31-03-2014 को उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 एवं तत्पश्चात् शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा मांगे गये अभिलेख/सूचना/आख्या (डिग्री सेवा/7240/2015-16, दिनांक 07-09-2015) को दिनांक 18-09-2015 को प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में शासन को दिनांक 08-06-2016 तथा 12-04-2019 को त्याग-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन भी किया गया किन्तु अभी तक त्याग-पत्र स्वीकृत नहीं किया गया। फलस्वरूप सामान्य भविष्य निधि अंशदान लखनऊ विश्वविद्यालय में हस्तांतरण नहीं हो सका है। जनहित में उक्त प्रोफेसर का त्याग-पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[महोदय, निवेदन है कि 220, कालपी विधान सभा क्षेत्र के निम्न कार्य करवाने की आवश्यकता है :-

1-ग्राम सींगेपुर से अटराकलां मार्ग तक 02 किमी0, वि0ख0 महेवा।

2-ग्राम कोड़ा किर्राही से जरारा मार्ग तक 01 किमी0 वि0ख0 महेवा।

मान्यवर, उक्त मार्ग बनवाने की कृपा करें।]

जनपद आगरा के विकास खण्ड-बरौली अहीर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के ब्लाक बरौली अहीर में देवरी रोड से कोल्ड स्टोर होते हुए हेतसिंह कुशवाहा के मकान तक लगभग 1 किमी0 मार्ग की हालत काफी जर्जर होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग जो दिनांक 31-12-2020 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, के समस्त सेवानिवृत्तिक लाभों को रोक कर उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमप्रकाश राजभर-

[महोदय, सदन के संज्ञान में लाना है कि डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग जो नियोजन विभाग में संयुक्त निदेशक एवं जनसूचना अधिकारी के पद को भी धारित कर रहे थे, अपने पद, प्रभाव एवं अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करके श्रीमती इन्द्रावती, ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ का कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण हेतु उत्पीड़न, अनेक अपराधिक षडयंत्र प्रायोजित करके मानहानि, शासकीय कार्यों को बाधित करने के साथ ही साथ अनेक नीतिगत अनियमितता, भ्रष्टाचार, शासकीय धन का दुरुपयोग, अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक तथ्यों के साथ पत्रावली पर इनके विरुद्ध टिप्पणियां की गईं एवं पत्रों को लिखा गया। श्रीमती इन्द्रावती पीड़िता महिला अधिकारी को न्याय दिलाने हेतु विभिन्न स्तरों से मा0 मुख्य मंत्री जी के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भेजे गये दसों पत्र जो लम्बित थे, पर संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से जाँच रिपोर्ट बनवाकर सारे प्रकरण निक्षेपित करा दिये गये जबकि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम/नियम 2013 की धारा-3 (1) एवं धारा 3(2) की उपधारा (i), (ii), (iii), (iv), (v) में निहित व्यवस्था के साथ-साथ महिला उत्पीड़न के ऐसे प्रकरण में न्यूनतम तीन सदस्यीय जाँच समिति बनवाकर एवं पीड़ित को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। श्रीमती इन्द्रावती ने अपने पत्र दिनांक 28-12-2020 द्वारा भी न्याय की मांग की गई है। वह काफी व्यथित हैं। इस पीड़ित महिला अधिकारी के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण में श्रीमती इन्द्रावती पीड़ित महिला अधिकारी के उत्पीड़न हेतु दोषी डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, जो 31 दिसम्बर 2020 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, के समस्त सेवानिवृत्तिक लाभों को रोककर उच्च स्तरीय जाँच कराकर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे महिला एवं बाल विकास समिति, विधान सभा को संदर्भित करने की सदन से माँग करता हूँ, जिससे एक पीड़ित महिला अधिकारी को समय से न्याय मिल सके।]

जनपद लखनऊ स्थित गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में सुलभ आवास में ए-1 सहित निर्मित कतिपय भवनों के निर्माण में निर्माता कम्पनी सेंटेक्स द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भईया''-

[महोदय, नियम-51 के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में सुलभ आवास

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में निर्मित ए-1 सहित कतिपय भवनों के निर्माण में निर्माता कम्पनी सेंटेक्स द्वारा व्यापक रूप से अनियमितताएं की गई हैं। उक्त कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किये जाने के फलस्वरूप आर0सी0सी0 दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, खिड़कियों के छज्जों का प्लास्टर प्रतिदिन गिर रहा है, दीवालों में सीलन है, छतों से पानी टपकता है व दरारें भी आसानी से दृष्टव्य हैं।

उक्त समस्त समस्याओं के सम्बन्ध में सर्वोदय जन कल्याण समिति (संरक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार पालीवाल-9415545393, 9628694934) द्वारा समय-समय पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में पत्राचार किया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09-01-2020 को प्रमुख समाचार पत्रों में 40/ई-निविदा/मु0अ0/2019-20 मुख्य रूप से ई-निविदा सूचना प्रकाशित की थी, किन्तु लगभग एक वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के उपरान्त भी तत्क्रम में एल0डी0ए0 के इंजीनियरों की सांठगांठ के फलस्वरूप कार्य आरम्भ नहीं कराया गया है क्योंकि इसमें लगभग एल0डी0ए0 के कुछेक इंजीनियरों की फंसने की संभावना है।

अतएव नियम-51 के माध्यम से गोमती नगर विस्तार में सेक्टर-1 में सुलभ आवास में निर्मित कतिपय भवनों के निर्माण में निर्माता कम्पनी सेंटेक्स द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने एवं अध्यासियों को हो रही परेशानियों को तत्काल दूर किये जाने हेतु मरम्मत कार्य यथाशीघ्र आरम्भ कराये जाने हेतु वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद अन्तर्गत गांगन नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-नजीबाबाद के नजीबाबाद झक्काकी जोगीरम्पुरी नेकपुर मार्ग के किमी0 8 में गांगन नदी बहती है जो विशेषकर वर्षा ऋतु में विकराल रूप धारण कर लेती है। उपरोक्त मार्ग से आसपास के लगभग दो दर्जन से अधिक ग्रामों के ग्रामवासियों का दैनिक आवागमन है। वर्षा ऋतु में नदी में तेज बहाव आ जाने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। कई गाँवों का सम्पर्क उपरोक्त मार्ग से पूरी तरह टूट जाता है तथा स्कूली बच्चों एवं मरीजों को अन्यत्र लम्बे मार्ग से होकर अपने गन्तव्य तक जाना पड़ता है। मान्यवर, उपरोक्त नदी पर लघु सेतु का होना अति आवश्यक है।

अतः उक्त लघु सेतु के निर्माण की मैं सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नहटौर, जनपद बिजनौर मार्गों के निर्माण के क्षेत्र की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। मार्गों का निर्माण न होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जैसे 1-नूरपुर बिजनौर मार्ग, छजूपुरा रौद से नसीरपुर नैनसिंह मार्ग, 2-चाकरपुर से सलावा चौराहे तक, 3-गोपालपुर से गड़ाना मार्ग, 4-गोपालपुर से सिरोही गिरधर मार्ग, 5-गोगली से जलालपुर मार्ग, 6-शेरपुर कल्याण से अतापुर खतारपुर मार्ग, 7-सल्हापुर क्रेशर से नसीपुर नैनसिंह मार्ग, 8-छजूपुरा रौद से हल्दौर अम्हेडा सम्पर्क मार्ग, 9-मीरपुर गागू से उमरी नहर तक मार्ग, 10-बाकर नगला से मालीवाला नहर मार्ग का नवनिर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर अन्तर्गत जोन-5 में नई सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

[महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थीगण गोविन्द नगर, विधान सभा क्षेत्र कानपुर के अन्तर्गत जोन-5 के निवासी हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र मलिन बस्तियों का है। हमारे यहाँ वार्ड नं0-9 रविदासपुरम मलिन बस्ती एवं गुजैनी गाँव, वार्ड नं0-34 बर्रा 7 माली प्लांट बस्ती नहर किनारे, वार्ड नं0-34 महादेव नगर मलिन बस्ती, वार्ड नं0-7 संजय नगर मलिन बस्ती, वार्ड नं0-2 विवेकानन्द नगर मलिन बस्ती, सेवाग्राम कालोनी, दादा नगर मलिन बस्ती एवं गोविन्द नगर कच्ची बस्ती, वार्ड नं0-72 नौरेयाखेड़ा गाँव मलिन बस्ती, वार्ड नं0-53 सरायमीता गाँव मलिन बस्ती, वार्ड नं0-57 शाहपुर गाँव मलिन बस्ती, वार्ड नं0-20 फजलगंज में संगम सिनेमा के सामने एवं बगल में रेलवे लाइन बस्ती व उचवा मलिन बस्ती में नई सीवर लाइन का निर्माण अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ की आबादी 3.5 लाख के करीब है जिससे इस क्षेत्र में गंदगी के कारण लोग बीमार रहते हैं, महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण व्याप्त है। इसी कारण यहाँ की जनता विकास से कोसों दूर है। गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाया जाना जनहित के आधार पर अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला अन्तर्गत ग्राम बरसेर और अलीगंज के बीच 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय, आंवला विधान सभा क्षेत्र, जनपद बरेली का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। बिजली केन्द्र कम है। इस कारण विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है। जनता को बहुत परेशानी होती है।

अतः ग्राम बरसेर और ग्राम अलीगंज के बीच ग्राम बड़ा गाँव में 33/11 के0वी0 का एक विद्युत उपकेन्द्र बना दिया जाय। उस गाँव में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि भी निःशुल्क मिल जायेगी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के सेक्टर-1बी, वृन्दावन कालोनी के अन्तर्गत रोड, नालियों को बनवाने एवं पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि वृन्दावन कालोनी, लखनऊ के सेक्टर-1बी में काफी समय से रोड एवं नालियों की हालत बहुत ही खस्ता हो गई है, नालियों का निर्माण न होने के कारण नालियों का पानी रोड पर बहता नजर आता है। बारिश के दिनों में रोड में चलना भी मुश्किल हो गया है।

अतएव नियम-301 के माध्यम से बारिश के दिनों में रोड में चलना भी मुश्किल हो गया है। रोड एवं नालियों को बनवाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर ओवरहेड टैंक बनाकर पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनीता-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर के चहोड़ा, शाहपुर, कस्बा जहांगीरगंज, जल्लापुर (गिरैया बाजार) राजेसुल्तानपुर बाजार, कौड़ाही, रामनगर, सिंघलपट्टी, अछती, ढोलबजवा में शुद्ध पेयजल का संकट है। इन क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निदान हेतु ओवरहेड टैंक बनाकर पेयजल की आपूर्ति किया जाना जनहित में आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कई बार जिला एवं शासन को पत्र लिख कर अनुरोध किया गया, परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्रवासियों में निराशा व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चहोड़ा, शाहपुर, कस्बा जहांगीरगंज, जल्लापुर (गिरैया बाजार) राजेसुल्तानपुर बाजार, कौड़ाही, रामनगर, सिंघलपट्टी, अछती, ढोलबजवा में ओवरहेड टैंक बनाकर पेयजल की आपूर्ति कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करती हूँ।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ अन्तर्गत बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-80, सिकन्द्राराऊ, जनपद हाथरस अन्तर्गत तहसील सिकन्द्राराऊ में कोई बस स्टेशन न होने के कारण क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी द्वारा चयनित ग्राम सभा महामई सलावतनगर की उपलब्ध भूमि पर बस स्टेशन का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी अन्तर्गत चरखारी बाईपास का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-231, चरखारी जनपद महोबा के अन्तर्गत चरखारी बाईपास का निर्माण लगभग 5 किमी0 एवं बौरा सतारी पनास गौरहारी मार्ग दूरी लगभग 12 किमी0 तथा कबरई-रिबई मार्ग दूरी लगभग 10 किमी0 मार्ग विधान सभा क्षेत्र चरखारी के मुख्य मार्ग हैं। जिन पर भारी मात्रा में क्षेत्रीय जनता का आवागमन रहता है। जिस कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जनहित में उक्त महत्वपूर्ण मार्गों का चौड़ीकरण, सौन्दर्यीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव राजा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र अलीगढ़ शहर, जनपद अलीगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है, जिस कारण से बड़ी संख्या में छात्राओं को शिक्षा अध्ययन से वंचित रहना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 प्रधानमंत्री जी व मा0 मुख्य मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ-बेटी पढाओ है, जनहित में जनपद अलीगढ़ की शहर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

मुरादाबाद मण्डल में पसिया जाति को पासी जाति मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ रावत-

[महोदय, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मण्डल में पसिया जाति को पासी जाति एक ही मानकर अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये जाते हैं। जबकि पसिया पासी जाति का ही अपभ्रंश शब्द है। जिसके कारण पसिया और पासी जाति एक ही मानकर अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जबकि इसी मण्डल के जिला रामपुर, सम्भल, अमरोहा तथा बिजनौर में पसिया (पासी) जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र बने हुए हैं तथा बदायूँ, बरेली तथा मेरठ में पसिया (पासी) जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड धर्मपुर में 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल बहादुर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड कौशाम्बी के अन्तर्गत धर्मपुर में विद्युत आपूर्ति दूरस्थ सब स्टेशन से होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या एवं आये दिन विद्युत तार टूटने से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। अत्यधिक दूरी से विद्युत आपूर्ति होने के कारण फाल्ट ठीक करने में समय भी लगता है। जनहित में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु धर्मपुर में 33 के0वी0 का एक विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए धर्मपुर में 33 के0वी0ए0 का एक विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर में जर्जर आयुर्वेदिक अस्पताल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण होना था जोकि प्रक्रिया में भी था लेकिन शासन की लापरवाही के कारण उक्त प्रक्रिया आगे शुरू नहीं हो सकी। जबकि क्षेत्र में उक्त अस्पताल अभी भी जर्जर स्थिति में है और यहाँ पर कार्य कर रहे चिकित्सक एवं कर्मचारियों को कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है। जर्जर अस्पताल का जीर्णोद्धार कर 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं मवई व मायाबाजार में रोगी आश्रय स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या, विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत ग्राम पंचायत जखौली, विकास खण्ड रुदौली में वर्ष 2020-21 की जिला योजना समिति द्वारा ग्राम पंचायत जखौली, विकास खण्ड रुदौली में नवीन प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 135.86 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है एवं जनपद अयोध्या में ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल मवई व मयाबाजार में भूमि उपलब्ध कराते हुए रु0 56.68 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, परन्तु अभी तक जनपद अयोध्या के वर्ष 2020-21 के जिला योजना समिति द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदित परिव्यय का बजट शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, जिसके कारण जनपद अयोध्या के इस पिछड़े हुए क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय जनपद अयोध्या अन्तर्गत ग्राम पंचायत जखौली, विकास खण्ड रुदौली में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं मवई व मयाबाजार में रोगी आश्रय स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार से कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज अन्तर्गत रोडवेज बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-103 अलीगंज, जनपद-एटा में कोई रोडवेज डिपो स्थित नहीं है। अलीगंज से 52 किलोमीटर दूर जनपद एटा है और लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर फर्रुखाबाद जनपद स्थित है। सैकड़ों की तादाद में रोडवेज बसें अलीगंज से होकर गुजरती हैं। जनहित में अलीगंज में रोडवेज बस डिपो बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत कतिपय ब्लाकों में डोंगल न लगाने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर के 133-तिलहर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही, सिधौली, तिलहर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, शादी अनुदान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन ब्लाकों में डोंगल न लगने की वजह से हजारों की संख्या में लम्बित पड़े रहते हैं जिस पर गरीब, निर्धन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसमें गरीब लोगों के यहाँ रोजी-रोटी का संकट व्याप्त है। जिस पर मेरे द्वारा एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा शासन एवं प्रशासन में कई बार लिखित-मौखिक शिकायत की गई जिस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। जनहित में उपरोक्त लम्बित आवेदनों को स्वीकृत कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

उ0प्र0 आश्रम पद्धति विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शशांक त्रिवेदी-

[महोदय, उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं का विनियमितीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण शिक्षक-शिक्षिकाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं का विनियमितीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं का विनियमितीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एतमादपुर अन्तर्गत कतिपय गाँवों में किसानों का नाम खतौनी से काटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[महोदय, जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र-86, एतमादपुर के गाँव रहनकला, रायपुर, गढ़ी सम्पत्ति व अन्य अनेकों गाँव के कई सौ किसानों की भूमि लैण्ड पार्सल के नाम पर ली गयी, न तो करार हुआ और ना ही मुआवजा दिया गया और ना ही भूमि को कोई उपयोग में लिया गया और ना ही कब्जा लिया गया परन्तु किसानों का नाम खतौनी से काट दिया गया है जिससे किसान परेशान हैं। किसानों का नाम पुनः खतौनी में जुड़ना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के 60 किमी0 परिधि में कोई विश्वविद्यालय नहीं होने से जनपद के छात्र-छात्राओं को इण्टरमीडिएट की परीक्षा के पश्चात् उच्च शिक्षा हेतु प्रयागराज, लखनऊ एवं अन्य महानगरों में जाकर अपना अध्ययन कार्य करना पड़ता है। जनपद प्रतापगढ़ का प्रमुख व्यवसाय कृषि होने से मध्यम तथा निम्नवर्गीय अभिभावकों को आर्थिक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से जनपद प्रतापगढ़ में एक विश्वविद्यालय जनहित में स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र-250, रानीगंज के ग्राम सभा शिवसत या कुशफरा में एक विश्वविद्यालय बनाये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

कानपुर नगर में पुलिस बादशाहीनाका की सांठ-गांठ से क्षेत्र कुली बाजार, गुलियाना, बादशाहीनाका में संचालित चट्टों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि कानपुर नगर के जोन-1 में वार्ड सं0-89 के चेक सं0-76, सब्जी मण्डी, बादशाहीनाका, कुली बाजार, गुलियाना में म0नं0 76/228 राजकिशोर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यादव उर्फ राजू यादव, मकान सं0-76/228ए, विश्वजीत यादव उर्फ मुन्ना यादव व मकान सं0-76/241 अरविन्द यादव उर्फ चीनी पहलवान, के इन सभी मकानों में गाय, भैंस के चट्टे बड़े ही वृहद रूप से संचालित लगातार होते आ रहे हैं। उक्त सभी चट्टों के संचालकों पर कानपुर नगर निगम द्वारा चट्टा हटाने हेतु कार्रवाई की गई थी एवं पुलिस थाना बादशाही नाका को अवगत कराते हुए पत्र भेजा गया था कि उक्त मकानों में चट्टे पुनः संचालित न हो सकें, उसके लिए दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, परन्तु पुलिस थाना द्वारा बादशाहीनाका की इन सभी चट्टे मालिकों से सांठ-गांठ होने के कारण चट्टे पुनः संचालित आज भी हैं।

महोदय, निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा :-

1-उक्त सभी चट्टा संचालक सुबह 07:00 बजे से 10:00 एवं शाम 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे के बीच में गाय, भैंस का चारा, दुहान करना आदि सरकारी सड़क पर करते हैं, जिससे आम जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2-उक्त सभी चट्टा संचालक गाय, भैंस का गोबर, नाली एवं सीवर लाइनों में बहा रहे हैं, जिस कारण नालियाँ व सीवर लाइनें चोक हो रही हैं, जिसके कारण नवीन पार्क, कुली बाजार के आसपास जलभराव होने के कारण आम-जनमानस को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3-उक्त सभी चट्टा संचालकों के कारण क्षेत्र में भीषण गन्दगी व्याप्त हो गई है, हर समय दुर्गन्ध आती रहती है। गन्दगी व दुर्गन्ध के कारण क्षेत्र में महामारी फैलने की आशंका है।

4-उक्त चट्टा संचालक सरकारी सड़क पर कीले गाड़कर गाय, भैंस को बांधते हैं, जिस कारण आम-जनमानस को निकलने में दिक्कतें होती हैं व जानवर हटाने के लिए कहा जाता है तो सभी चट्टा संचालक लड़ाई-झगड़ा करने लगते हैं एवं उक्त मकान के आगे लगी पानी की टंकी से पीने का पानी भरने में बच्चों, महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

5-उक्त सभी चट्टा संचालक अपने-अपने जानवर 10:00 बजे सुबह से शाम 06:00 बजे के बीच कोपड़गंज स्थित मालगोदाम, गेट नं0-4 के अन्दर पीछे की तरफ बाँध आते हैं, जिस कारण नगर निगम, कानपुर दिन के समय कार्रवाई करने आता है तो वहाँ पर जानवर नहीं मिलते हैं। नगर निगम की कार्रवाई से सभी चट्टा मालिक बच निकलते हैं, क्योंकि सभी चट्टा संचालक अपने-अपने जानवरों को 06:00 बजे शाम को अपने घर लाकर बाँध लेते हैं।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि सम्बन्धित पुलिस थाना बादशाहीनाका, कानपुर नगर को निर्देशित करें कि भविष्य में सरकारी सड़क पर उक्त सभी चट्टा संचालकों के कोई भी जानवर न बाँध पाएं व सरकारी सड़क पर निम्न मकान सं0-76/228, 76/228ए, 76/241 एवं 76/180, सब्जी मण्डी, कुलीबाजार, गुलियाना, थाना बादशाहीनाका, कानपुर पर

लगे कीले/खूँटे हटवाते हुए इन सभी चट्टा संचालकों पर दण्डात्मक कार्रवाई कर पुलिस बादशाहीनाका को नियमित गस्त कराकर इन चट्टा संचालकों को पूर्ण रूप से हटवाने की माँग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत राजस्व गाँवों में चकबन्दी की प्रक्रिया लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जिन राजस्व ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया लागू हुई, किन्तु बाद में किसी कारणवश चकबन्दी रोक कर चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। उनके अभिलेख तहसील को वापस कर दिये गये किन्तु उन ग्रामों में नामान्तरण एवं विरासत सम्बन्धी कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिससे जन सामान्य को परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में जनहित में उक्त व्यवस्था सुचारु रूप से करने हेतु कार्रवाई कराई जाए।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद शामली के अन्तर्गत एन0एच0-709 ए0डी0 के दोनों गजट प्रकाशन (3ए) के बाद भी जमीनों के बैनामे होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[महोदय, जनपद शामली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709 एडी के चौड़ीकरण का कार्य आरम्भ हुआ है, जिसमें चौड़ीकरण हेतु कृषकों से सरकार द्वारा भूमि क्रय की गई है। इस हेतु गजट (3ए) का प्रकाशन दिनांक 14-11-2018 को हो गया था तथा जिलाधिकारी, शामली ने उपरोक्त राजमार्ग के एक निश्चित दूरी तक जमीनों के क्रय-विक्रय को प्रतिबन्धित कर दिया था परन्तु कुछ भू-माफियाओं ने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर गजट प्रकाशन के बाद भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, कैराना, जनपद शामली में भूमि का बैनामा करवाया तथा तहसीलदार कैराना ने उपरोक्त बैनामों का दाखिल-खारिज किया। भू-माफियाओं ने कुछ प्रकरणों में तो एडीएम शामली से सांठ-गांठ कर ऐसी प्रतिबंधित खसरा नम्बरान का मुआवजा भी प्राप्त कर लिया, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है।

अतः मैं सम्मानित सदन के माध्यम से उपरोक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद शामली में विशेषकर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, कैराना में सम्पादित उपरोक्त प्रकृति के समस्त बैनामों व एडीएम, शामली द्वारा गजट प्रकाशन के बाद के बैनामों में दिये गये मुआवजे के प्रकरणों की जाँच कराने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा बैनामों को शून्य घोषित करने एवं मुआवजा धनराशि की वसूली कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली सदर अन्तर्गत मुख्यालय मुगलसराय भूपौली-चहनिया मार्ग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र में स्थित चन्दौली-कैली मार्ग के तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह मार्ग जनपद मुख्यालय मुगलसराय भूपौली-चहनियां मार्ग के माध्यम से मुगलसराय रेलवे स्टेशन को भी जोड़ता है। वर्तमान समय में उक्त मार्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। पूरी सड़क में गड्ढा ही दिखाई दे रहा है। उक्त मार्ग से जनपद मुख्यालय व मुगलसराय रेलवे स्टेशन के लोगों का आवागमन बड़े पैमाने पर होता है। जनता की माँग को देखते हुए उपरोक्त मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जाना पूर्ण रूप से जनहित में आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण प्रकरण के तरफ दर्शाते हुए इसकी मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यानाकर्षण चाहता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर-चोचकपुर मुख्य मार्ग से जैदपुरा गाँव तक के मार्ग को शहीद के नाम पर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर के गाजीपुर-चोचकपुर मुख्य मार्ग से ग्राम सभा जैदपुरा तक लगभग 2 किमी0 चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। यह गाँव शहीद महेश कुशवाहा का गाँव है, जो प्रदेश सरकार के घोषणा में भी था। इसको कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की माँग करता हूँ।

नगर निगम मेरठ अन्तर्गत पशु वधशाला पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अन्सारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जोकि मेरठ नगर के नगर निगम मेरठ से सम्बन्धित है। नगर निगम मेरठ पिछले पचासों वर्ष से मेरठ नगर की खाद्य आपूर्ति हेतु पशु वधशाला का संचालन स्वयं व ठेका प्रथा पर करता आ रहा था, परन्तु पिछले पाँच वर्षों से नगर निगम मेरठ पशु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वधशाला का संचालन नहीं कर रहा है। जबकि आधुनिक पशु वधशाला बनाने में नगर निगम मेरठ का 20 करोड़ रुपया लगा है। जिसके लगने के उपरान्त भी पशु वधशाला बन्द है तथा नगर निगम मेरठ को भी राजस्व की हानि हो रही है। इसके कारण प्राइवेट पशु वधशालाओं से नगर में मीट की आपूर्ति कराई जा रही है जोकि आम रेटों से अधिक भाव में बेचा जा रहा है जिससे आम जनता को भी महँगाई की मार झेलनी पड़ रही है तथा प्राइवेट पशु वधशाला स्वामी को इसका लाभ पहुँच रहा है और नगर निगम मेरठ को राजस्व की हानि हो रही है। उक्त प्रकरण में मैं इस सदन के माध्यम से चाहूँगा कि उक्त पशु वधशाला को तत्काल प्रारम्भ किया जाये। साथ ही ऐसे लोगों को जिनके कारण नगर निगम को राजस्व की हानि व आम जनता को महँगाई झेलनी पड़ रही हो, के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाय।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में राजकीय नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए साधन न होने के कारण फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है तथा विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम करनपुर में किसानों के लिए राजकीय नलकूप लगाने की मांग पूर्व में मेरे द्वारा की जाती रही है। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर सहायता रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया परन्तु आज तक राजकीय नलकूप की स्थापना नहीं हो पायी है। किसान नलकूप स्थापित किये जाने के लिए ग्राम करनपुर में उत्तरी दिशा में अपनी भूमि देने को तैयार हैं।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड घिरौर अन्तर्गत ग्राम मधन से ग्राम खुशहालपुर तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोबरन सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड घिरौर के राजस्व ग्राम मधन के ग्राम खुशहालपुर जिसकी आबादी लगभग 400 है। सम्पर्क मार्ग विहीन होने के कारण महिला, बच्चों, छात्र एवं बुजुर्ग लोगों को आवागमन में अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 2.00 किमी0 का मार्ग डामरीकृत कराया जाना आवश्यक है।

अतः जनहित के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 2.00 किमी0 का मार्ग डामरीकृत किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-49 औरंगाबाद रजवाहा पर बिना कार्य कराये सिल्ट की सफाई में हुई अनियमितता की जाँच एवं कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-49 के सुल्तानपुर की औरंगाबाद रजवाहा पर बिना कार्य कराये सिल्ट की सफाई में की गई अनियमितता है, जिसमें समिति के पूर्व अध्यक्ष हरि बक्स सिंह एवं वर्तमान अध्यक्ष व उनके पुत्र राजेश सिंह द्वारा फर्जी तरीके से विभाग की मिलीभगत से लाखों का भुगतान बिना कार्य कराये ही अपने चहेते ठेकेदार के नाम से करवा लिया गया है जिसका खुलासा दिनांक 19 जून, 2019 में 2016643 रुपये का भुगतान कर लिया गया है। फिर नई समिति बनने के पश्चात् दिनांक 3-11-18 से दिनांक 8-8-19 तक खाते से 3120196 रुपये निकाले गये हैं। इसी तरह से विभाग की मिलीभगत से लाखों-लाख रुपये का भुगतान कर लिया गया है। इस तरह कई ऐसे प्रकरण संज्ञान में आये हैं और इस प्रकरण में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को भी शिकायती-पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को दिया गया है। इस तरह से पूरे प्रकरण में अधिकारी एवं कर्मचारी एवं ठेकेदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिसकी जाँच कराकर कार्रवाई किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।

उ0प्र0 में व्यापारियों की मानवीय ऊर्जा के उपयोग के मद्देनजर ई-कॉमर्स को हतोत्साहित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश के छोटे-बड़े स्टोर और पारम्परिक दुकान पर व्यापार करने में व्यापारी को ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव से बहुत दिक्कत है। अपने परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। नीति आयोग सी0ई0ओ0 श्री अमिताभ का बयान आया है कि 8 वर्ष में मोहल्ले के दुकानदार गायब हो जायेंगे, न दुकानें दिखेंगी और न सामान बेचते दुकानदार। प्रदेश में अपनी छोटी-छोटी पूँजी लगाकर व्यापारी अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। उसके पास आय की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। अतः प्रदेश के व्यापारियों की मानवीय ऊर्जा के उपयोग के मद्देनजर ई-कॉमर्स को हतोत्साहित करना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देवरिया अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 261/2020 में उच्च स्तरीय जाँच कराकर श्रीमती रमा देवी को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। श्रीमती रमा देवी पत्नी योगेन्द्र यादव सा0 अमाव, थाना बरहज, जनपद देवरिया के निवासी हैं। देवरिया शहर में आवास बनाकर रह रहे हैं। दिनांक 29-10-2020 को इनके परिवार तथा कामेश्वर मिश्रा एवं अभिषेक मिश्रा के परिवार से कहा-सुनी हो गयी थी। उस दौरान मुकदमा अपराध संख्या-261/2020 जो निम्न धाराओं में अनूप मिश्रा की तरफ से पंजीकृत कराया गया जबकि जो झगड़ा हुआ था वह अभिषेक मिश्रा एवं कामेश्वर मिश्रा के परिवार से हुआ था। अनूप मिश्रा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, झगड़ा के 7 दिन के बाद बीमारी के कारण अनूप मिश्रा की मृत्यु हो गयी। पुलिस अधीक्षक, देवरिया ने स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर श्रीमती रमा देवी का नाम उक्त मुकदमे में 8 दिन के बाद शामिल कर दिया जबकि प्रार्थिनी का उक्त घटना से कोई लेना-देना नहीं है और न ही उनकी संलिप्तता है। रमा देवी को विवेचक द्वारा फर्जी रूप से फँसाया गया है। उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराकर रमा देवी को न्याय दिलाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराकर रमा देवी, जो निर्दोष हैं, को न्याय दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लकी यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विधान सभा क्षेत्र मल्हनी, जनपद जौनपुर की जर्जर लोक निर्माण विभाग की सड़कों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र मल्हनी, जनपद जौनपुर की निम्न सड़कें बुरी तरह से जर्जर हो गयी हैं, जिनकी मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना आवश्यक है :-

1-जौनपुर-प्रयागराज रोड, लाला बाजार से शिवगुलामगंज होते हुए करन्जाकलां बाजार तक, लम्बाई लगभग 15 किमी0।

2-तेजी बाजार चौराहा से बक्शा थाना तक, लम्बाई लगभग 20 किमी0।

3-भीलमपुर चौकी से डमरुआ बाजार के आगे तक, लम्बाई लगभग 10 किमी0।

4-जौनपुर-प्रयागराज रोड सिकरारा चौराहा से बरईपार चौराहा तक, लम्बाई लगभग 15 किमी0 (मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी की थी)।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-जौनपुर-प्रयागराज रोड सिकरारा चौराहा से झिम्मलगंज तिराहा तक, लम्बाई लगभग 08 किमी0।

अतः इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मरम्मत कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज अन्तर्गत कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर ऊर्जीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहगंज, जनपद जौनपुर अन्तर्गत स्थित 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन पट्टी नरेन्द्रपुर, 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन बूढ़ूपुर, 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन सबरहद में ऊर्जीकृत किये जाने का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है जिससे लोगों को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न मिलने के कारण स्थानीय लोगों में रोष एवं आक्रोश की भावना व्याप्त है। जनहित में उपरोक्त विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर ऊर्जीकृत किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं मा0 सदन के माध्यम से इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर ऊर्जीकृत कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत ब्रम्हबाबा के स्थान पर ग्राम किशुनपुर कबिरहा में 132 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष राय-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव में ब्रम्हबाबा के स्थान पर ग्राम किशुनपुर कबिरहा में 132 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन लगाने हेतु लगभग 5 वर्ष से स्वीकृत है, लेकिन उपरोक्त सब-स्टेशन का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। जिसके कारण इस क्षेत्र की जनता को नेवादा और रफीगंज विद्युत सब-स्टेशन जो ओवरलोड है, जिसकी सप्लाई देने में समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि लोड अधिक होने के कारण परेशानियां होती हैं।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत नगीना रेलवे लाइन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को नियम-301 में स्वीकृत करने की कृपा करें।

1-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत कस्बा नगीना में एन0एच0-74 राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगीना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर उपरिगामी सेतु बनाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, यह रेलवे लाइन हिन्दुस्तान की सबसे व्यस्ततम रेलवे लाइन है, क्योंकि यह रेलवे लाइन हावड़ा से लखनऊ, मुरादाबाद होते हुए देहरादून एवं जम्मू-कश्मीर तक जाती है। इसलिए इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही रेलवे लाइन पर उपरिगामी सेतु निर्माण की माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बलिया एक बड़ी आबादी और बड़ा क्षेत्रफल का जिला है परन्तु यहाँ पर कोई भी इंजीनियरिंग कालेज स्थापित नहीं है जिससे यहाँ के गरीब मेधावी छात्र/छात्राएं पैसे के अभाव में दूरस्थ स्थानों पर इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और कुंठा के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं कोई भी इंजीनियरिंग कालेज जनपद बलिया से 200 से 250 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

मान्यवर, जनपद बलिया की रसड़ा तहसील में कताई मिल की 50 एकड़ से ज्यादा जमीन वर्षों से खाली पड़ी हुई है तथा इस कताई मिल के आसपास भी काफी जमीन उपलब्ध है। यदि यहाँ पर मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कर दी जाती है तो जनपद बलिया के साथ ही साथ इससे सटे जनपदों के छात्र/छात्राओं को भी इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनपद बलिया की रसड़ा तहसील में स्थित कताई मिल की खाली पड़ी 50 एकड़ से अधिक जमीन पर एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की माँग करता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ में कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गोलमाल करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नईम उल हसन-

[महोदय, जनपद मेरठ में कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न की योजना में धांधली की गई है। जनपद मेरठ के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय आंकड़ों के अनुसार उक्त अवधि में 498066 (चार लाख अठानवे हजार छियासठ) राशन कार्डों पर माह अगस्त 2020 से जनपद मेरठ के उचित दर विक्रेताओं को एक किलो चने का वितरण किया जाना था परन्तु जनपद मेरठ में माह अगस्त 2020 में चने का उठान नहीं हो पाया था इस कारण अगस्त व सितम्बर 2020 दोनों महीनों का एक साथ दो किलो चने का वितरण राशन कार्ड धारकों को दिनांक 30-09-2020 तक समस्त उचित दर विक्रेताओं के द्वारा किया जाना था। जनपद मेरठ में उचित दर विक्रेताओं व पूर्ति निरीक्षकों की मिलीभगत से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को एक किलो ग्राम चने का वितरण किया गया। प्रचार माध्यमों से राशन कार्ड धारकों को जानकारी हुई कि प्रत्येक राशन कार्ड पर माह अगस्त व सितम्बर 2020 का 2 किलो चने का एक साथ वितरण किया जाना है। जानकारी होने के पश्चात् राशन कार्ड धारकों व नरेन्द्र सिंह राठी, सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम व पोस्ट रोहटा, जनपद मेरठ द्वारा दिनांक 12-10-2020 को कम चने के वितरण का शिकायती पत्र जिलाधिकारी मेरठ को दिया गया है। पत्र की जांच हेतु श्री पशुपति, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी क्षेत्र प्रथम, जनपद मेरठ को नामित किया गया है। कई माह पश्चात् दिनांक 10-01-2021 को नामित अधिकारी ने उक्त शिकायत के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं से शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ताओं ने शपथ-पत्र भी नामित अधिकारी को दे दिया है। फिर भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जांच अधिकारी दोषियों को बचाने के लिए अवसर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न की योजना में गोलमाल करने वाले दाषियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से समस्त राशन कार्ड धारकों में सरकार के प्रति काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

अतः लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

उ0प्र0 के होमगार्डों को पुलिस के समान वेतन एवं भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार दोहरे-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश सरकार के होमगार्ड्स विभाग में कतिपय अधिकारियों के निजी स्वार्थ के चलते उनके द्वारा अवैतनिक कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ घोर मनमानी व उदासीनता बरती जा रही है। होमगार्ड्स विभाग में उनको मिलने वाले लाभों एवं अधिकारों को मनमाने ढंग से खत्म किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अवैतनिक कर्मचारियों/अधिकारियों तथा वैतनिक कर्मचारियों/अधिकारियों के रैंक बैच भिन्न-भिन्न हैं। जिससे अवैतनिक कर्मचारी/अधिकारी आपसी भेदभाव व ऊँच-नीच की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। होमगार्ड्स अधिनियम/नियमावली एवं होमगार्ड्स अनुदेश संकलन 1975 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पृष्ठ संख्या-42 के पैरा नं0-5 व 6(क) में रैंक बैजेज में एकरूपता किये जाने का उल्लेख है। यहाँ तक कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में पुलिस पर्सनल (पदानुरूप) वेतन भत्तों के सम्बन्ध में आदेश पारित किये जा चुके हैं जिसका अनुपालन पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाया है जोकि शासन स्तर पर विचाराधीन है। अवैतनिक कर्मचारियों/अधिकारियों को लगभग 15-16 वर्षों से वर्दी भत्ता/वर्दी धुलाई भत्ता नहीं दिया गया है। संगठन द्वारा लिपिक संवर्ग को वर्दी धारण की अनुमति प्रदान किये जाने, विभाग द्वारा उपलब्ध सुविधाएं यथा मोटरसाइकिल, पिस्टल की अनुमति पुलिस के साथ ड्यूटीरत अवैतनिक कर्मचारियों/अधिकारियों को भी प्रदान किये जाने की मांग शासन स्तर पर की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि होमगार्ड्स ऐक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि ड्यूटी के दौरान अवैतनिक कर्मचारी/अधिकारी को वही अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जोकि एक पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान प्राप्त है। होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक कर्मचारियों/अधिकारियों की उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु श्री रामनरेश अग्निहोत्री माननीय मंत्री, आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग उ0प्र0 का पत्र दिनांक 30-09-2020, डॉ0 स्वामी साक्षी जी महाराज, संसद सदस्य (लोक सभा), उन्नाव का पत्र दिनांक 30-09-2020, श्री रवि किशन शुक्ला, संसद सदस्य (लोक सभा), गोरखपुर का पत्र दिनांक 06-10-2020 एवं श्री राकेश गोस्वामी, मा0 सदस्य विधान सभा, सदर महोबा का पत्र दिनांक 06-10-2020 आदि के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार से अनुरोध किया गया है किन्तु विभागीय अधिकारियों के निजी स्वार्थ के चलते उनके द्वारा होमगार्ड्स ऐक्ट/नियमावली के अनुरूप कोई भी सकारात्मक कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है जिससे होमगार्ड्स विभाग के सभी अवैतनिक कर्मचारियों, अधिकारियों में घोर निराशा व्याप्त है। इस प्रकार पुलिस समान (पदानुरूप) होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक कर्मचारियों/अधिकारियों को भी वेतन भत्ता एवं अधिकार प्रदान किया जाना ही न्यायोचित होगा।

अतएव, महोदय जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक कर्मचारियों/अधिकारियों के रैंक बैजेज एक समान किये जाने तथा पुलिस समान (पदानुरूप) वेतन भत्ते एवं अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई किये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन की ग्राम पंचायत पनारी टोला खाड़र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ओबरा, जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पनारी में लगभग 50 कि0मी0 की परिधि में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। जिसके कारण यहाँ की गरीब जनता को इलाज में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। समुचित इलाज के अभाव में अधिकतर गरीब समय से इलाज न मिलने पर दम तोड़ देते हैं। सरकार सबको समुचित इलाज देने हेतु प्रयासरत है। परन्तु यहाँ पर अधिकारियों की उदासीनता के कारण काफी समय से मांग करने पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है जिससे आम जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन अन्तर्गत ग्राम पंचायत पनारी टोला खाड़र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद में सैनिक स्कूल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, फिरोजाबाद अपने काँच उत्पाद के लिए पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध औद्योगिक नगर के रूप में पहचान रखता है। फिरोजाबाद के परम्परागत काँच उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के परिवार अपना जीवनयापन करते हैं। पूरे फिरोजाबाद नगर में मुख्य रूप से श्रमिक परिवार, छोटी एवं मध्यम स्तर की निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले परिवारों की बहुतायत है।

इसके सापेक्ष फिरोजाबाद में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में काफी आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निम्न वर्गीय एवं निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा मिल सके और वे इस शिक्षा के माध्यम से अपना और अपने परिवारों के भविष्य को संवार सकें।

इस क्रम में केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना कराये जाने की योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद में सैनिक स्कूल की स्थापना कराये जाने से यहाँ के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा में बहुत बड़ा आशाजनक परिणाम प्राप्त होगा।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृट करते हुए फिरोजाबाद में सैनिक स्कूल की स्थापना कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकर नगर के ऐनवा-भड़सारी मार्ग से जौनपुर अशरफपुर बरवां होते हुए कटेहरी तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[महोदय, अम्बेडकर नगर जिले में ऐनवा-भड़सारी मार्ग से जौनपुर अशरफपुर बरवां होते हुए कटेहरी तक का मार्ग महत्वपूर्ण है परन्तु उक्त मार्ग जर्जर एवं संकरा है। क्षेत्र की जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग घोषित कराते हुए चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की माँग करता हूँ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्ड में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-ठेकमा के ग्राम सरांय मोहन से मुड़हर होते हुए हरिश्चन्द्र की तरफ सड़क मरम्मत कार्य।

1-विकास खण्ड-ठेकमा के ग्राम-गोसाई की बाजार नहर चौराहे से नहर पटरी तक सड़क मरम्मत कार्य।

2-विकास खण्ड-ठेकमा के ग्राम-जीवली में आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग से जिवली अनुसूचित बस्ती तक सड़क मरम्मत कार्य।

3-विकास खण्ड-ठेकमा के ग्राम-जिवली में गैस एजेन्सी से आलोक सरोज के घर तक सड़क मरम्मत कार्य।

4-विकास खण्ड-ठेकमा के ग्राम खनियां पारा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य।

5-विकास खण्ड-ठेकमा के ग्राम-पारा में देवगाँव जिवली मुख्य मार्ग से पारा तक मरम्मत कार्य।

6-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम-सिधौना बेलाचौर अनुसूचित बस्ती तक सड़क मरम्मत कार्य।

7-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम-सलीमपुर मार्ग से अकबालपुर बसही मौजा अन्तिमपुर तक सड़क मरम्मत कार्य।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

8-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम-दोमनपुर में देवगाँव केराकत मार्ग से ग्राम-भुड़की के श्यामबली के घर के तरफ सड़क मरम्मत कार्य।

9-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम-सरूपहा पिच रोड से डॉ0 अम्बेडकर मूर्ति तक सड़क मरम्मत कार्य।

10-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम-दौना पिच रोड से ट्यूबवेल से ग्राम खेतौरा तक सड़क मरम्मत कार्य।

11-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम-सिधौना बाजार से गंगवल सरसड़ा होते हुए उघनी तक सड़क मरम्मत कार्य।

12-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम-सिधौना बाजार पिच रोड से विशम्भरपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क मरम्मत कार्य।

उक्त सड़कों की मरम्मत कार्य न होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्गों के निर्माण हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के नगर पंचायत माधौगंज में हुए विकास कार्यों में हुई अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष सिंह पटेल ''आशू''-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत माधौगंज, हरदोई में दिनांक 23-06-2015 को अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु टेण्डर निकाला गया था, परन्तु आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया जबकि अन्त्येष्टि स्थल के लिए शासन से स्वीकृत धनराशि 33 लाख रुपया बिना कार्य कराये फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। इसी तरह दिनांक 03-08-2015 को निकाले गये टेण्डर में सिंह द्वार से तिकोनिया पार्क तक रोड के दोनों साइड इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य जिसकी अनुमानित लागत 31,95,000 रुपया बिना निर्माण के धनराशि निकाल ली गयी। दिनांक 17-01-2014 एवं दिनांक 24-02-2014 को डाले गये टेण्डरों में माधौगंज रेलवे क्रासिंग से माधौगंज बस स्टॉप तक सड़क के दोनों तरफ बनाये गये नालों का पैसा फर्जी निकालने के उद्देश्य से पाँच लाख से कम आगणन बनवाकर एक ही नाले को कई टुकड़ों में बांट दिया गया और एक ही फर्म को वर्कआर्डर दिया गया। किसी भी आगणन व बिल को अधीक्षण अभियन्ता से सत्यापित नहीं कराया गया। दिनांक 17-08-2013

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को जारी टेण्डर में मोहल्ला-पटेल नगर पूर्वी में बस स्टॉप से सेलापुर रोड पर शिवदयाल के मकान तक नाला निर्माण कार्य जिसकी अनुमानित लागत 13,18,064 रुपया बिना कार्य कराये निकाल लिये गये। दिनांक 07-03-2013 को तेरहवें वित आयोग से 10 पुलिया का निर्माण एवं दिनांक 31-12-2014 को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 20 पुलिया तथा दिनांक 12-06-2015 को 16 पुलिया में से 36 पुलिया का कार्यादेश कोटेशन पर एक ही फर्म को जारी किया गया एवं उनमें से अधिकतर पुलिया पहले से बनी थी अथवा नगर पंचायत द्वारा बनाये गये नाले जिसका अलग से भुगतान कराया गया था, उस पर पड़े पत्थरों को पुलिया दर्शाकर भुगतान फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। दिनांक 17-08-2013 को निकाले गये टेण्डर में 100 बिजली के खम्भे जिनका आगणन मूल्य 9,64,000 रुपया एवं दिनांक 27-03-2015 को 150 बिजली के खम्भे जिसका भुगतान 44,76,240 रुपया बिना खम्भे लगाये, पूर्व में लगे खम्भों को दर्शाकर फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त नगर पंचायत माधौगंज में लाखों रुपये का भुगतान विगत 7 वर्षों से व्यक्तिगत खाते के माध्यम से आउटसोर्सिंग का पैसा निकाला गया तथा डीजल एवं निर्माण कार्यों के फर्जी कार्यादेश बनाकर फर्जी तरीके से भुगतान निकाल लिया गया और किसी भी भुगतान का उच्च तकनीकी अधिकारी से सत्यापन नहीं कराया गया।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अनुरोध है कि नगर पंचायत माधौगंज में बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग, बंदरबांट एवं भ्रष्टाचार की जाँच कर कानूनी कार्रवाई करने हेतु सरकार से अपने वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा अन्तर्गत विद्युत दुर्घटनाओं में हुई मौतों का मुआवजा ऊर्जा विभाग द्वारा शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में कई स्थानों पर जैसे धर्मशाला, बरमाईन, बामौर, शाहपुर स्टैण्ड व घटियारी में हाई टेंशन अथवा घरेलू विद्युत की लाइनों की चपेट में आने से जनहानियां हुईं लेकिन उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला है। जबकि मृतकों के परिजनों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए था। सरकार द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था कराया जाना जनहित में है।

अतः लोक महत्व एवं जनहित के मामले में आवश्यक कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर देहात में ग्राम मड़ौली में सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी-

[महोदय, ग्राम व पोस्ट मड़ौली, जनपद कानपुर देहात में रेलवे क्रासिंग से रूरा जाने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क के दायीं ओर गाँव के बरसाती पानी का निकास है। सड़क निर्माण के बाद यह नाले के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी सड़क से डॉ0 आर0के0 सार्वजनिक विद्यालय और रेलवे स्टेशन जाने का चकरोड है। पी0डब्लू0डी0 की सड़क और चक रोड के मध्य नाले पर एक पुलिया का निर्माण अति आवश्यक है। पुलिया न होने से विद्यालय के बच्चों को और रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को अत्यन्त असुविधा होती है। बरसात में पानी भर जाने से रास्ता बन्द हो जाता है। विद्यालय में कक्षा-1 से लेकर 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं। इस पुलिया के निर्माण हेतु कई प्रार्थना-पत्र नागरिकों ने दिये हैं परन्तु अभी तक पुलिया नहीं बन सकी है जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष है तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पुलिया का निर्माण बरसात से पूर्व कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 फईम इरफान-

[महोदय, मुरादाबाद जनपद के तहसील बिलारी में समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन विधायक मोहम्मद इरफान द्वारा मण्डी समिति बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया था। मण्डी समिति बनाने की सपा सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही मण्डी समिति की स्थापना रुक गई। मण्डी समिति की जगह मौजूद होने के बाद भी अभी तक मण्डी समिति की स्थापना नहीं हो पायी है। मण्डी समिति की स्थापना को लेकर कई बार पैरवी भी की जा चुकी है परन्तु अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। बिलारी तहसील के लगभग 400 गांवों के किसान दूर-दराज जाकर अपनी फसलों को बेचते हैं, अगर बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना हो जाती है तो किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा। अतः बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना कराया जाना जनहित में होना आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में मण्डी समिति की जगह में उसकी स्थापना शीघ्र कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत फायर स्टेशन एवं बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है। जिसके कारण नगर ट्रैफिक लोड अत्यधिक होने की सम्भावना है। जिसके लिए नगर में बाईपास का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-56 से प्रयागराज गोरखपुर मार्ग को जोड़ेगी। जो निम्नवत है-

1-एन0एच0-56 से राम जानकी मन्दिर होते हुए पट्टी दयाल उदयपुर-घाटमपुर एवं सराय त्रिलोकी मार्ग को पार करते हुए प्रयागराज गोरखपुर मार्ग तक बाईपास का निर्माण कार्य।

2-एन0एच0-56 से राम जानकी मन्दिर होते हुए पट्टी दयाल से रैभानीपुर अनुसूचित जाति बस्ती-अलाउद्दीन नेवादा मुखलिसपुर में नहर की पटरी होते हुए प्रयागराज गोरखपुर मार्ग तक बाईपास का निर्माण कार्य।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के थाना शिवरतनगंज अन्तर्गत रिपोर्टिंग चौकी इन्हौंना को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद अमेठी के थाना शिवरतनगंज की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी इन्हौना बहुत महत्वपूर्ण चौकी है। इसका क्षेत्र भी काफी वृहद स्तर पर फैला है। कानून व्यवस्था को देखते हुए रिपोर्टिंग चौकी इन्हौना को थाना बनाया जाना अति आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय पर सरकार के संज्ञान में लाते हुए जनपद अमेठी के थाना शिवरतनगंज के अन्तर्गत रिपोर्टिंग चौकी इन्हौना को अतिशीघ्र बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ई0ओ0 एवं नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, कृपया विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत नगर पंचायत सफीपुर में ई0ओ0 एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा राज्य वित्त से मिलने वाले अनुदान के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुरुपयोग, निविदाएं आमंत्रित और प्राप्त करने में नियमों का उल्लंघन एवं निविदाओं से माँगी जाने वाली धनराशि एवं अनुबन्धों के गठन में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो निम्नवत हैं-

1-वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि का माहवार किन-किन कार्यों हेतु कार्य/मात्रा/एजेन्सी धनराशि का भुगतान किया गया।

2-वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 किन-किन कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित कर प्राप्त की गईं और अनुबन्ध गठित किये गये। उस समय सम्बन्धित कार्य की धनराशि उपलब्ध थी अथवा नहीं ?

3-वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 जो निविदायें आमंत्रित करते समय जमानती धनराशि की माँग की गई, अनुबन्ध गठित करते समय उसका पालन किया गया अथवा नहीं।

4-वर्तमान में नगर पंचायत के अधीन कितने हैण्डपम्प हैं जिनका रख-रखाव किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त तथ्यों की जाँच कराकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद बलरामपुर सदर अन्तर्गत नवनिर्मित आई0टी0आई0 में छात्रों का प्रवेश कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र के बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्तगंज के ग्राम जिगना (तेदुई) में नवनिर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) बनकर तैयार है। उक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) में छात्रों का प्रवेश किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा में बहबलपुर से पिलखिनी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय शाक्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा में बहबलपुर से पिलखिनी मार्ग की हालत काफी जर्जर होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विश्वविख्यात हस्तशिल्प द्वारा निर्मित लकड़ी की नक्काशी के उत्पाद पर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जी0एस0टी0 लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना ओ0डी0ओ0पी0 में शामिल होने के बावजूद सहारनपुर के लकड़ी की नक्काशी के उत्पाद को जी0एस0टी0 के दायरे में शामिल कर, छोटे उत्पाद पर 12 प्रतिशत, बड़े उत्पाद पर 18 प्रतिशत तथा फर्नीचर पर 28 प्रतिशत जी0एस0टी0 के दायरे में रख दिया है, जिससे सभी निर्यातक, मझोले उत्पादक एवं लाखों की संख्या में दस्तकार बहुत परेशान हैं। सहारनपुर से लगभग 300 करोड़ का सीधे एवं लगभग 700 करोड़ का अन्य निर्यातकों का कारोबार किया जाता है। जी0एस0टी0 लागू होने से पहले इस पर कोई वैट अथवा टैक्स नहीं था, अपितु निर्यातकों को 5 प्रतिशत मोडवेट मिलता था। जी0एस0टी0 के कारण निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण लाखों दस्तकार एवं उनसे जुड़े लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हो गये हैं। अतः लकड़ी की दस्तकारिता को संरक्षण देने एवं प्रोत्साहित करने हेतु इसे करमुक्त श्रेणी में रखने हेतु जी0एस0टी0 काउन्सिल को प्रस्ताव भेजना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड हरहुँआ अन्तर्गत श्री विजेन्द्र नाथ तिवारी के घर से श्री सीताराम यादव के घर तक मार्ग पर आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[महोदय, जनपद वाराणसी के ग्राम सभा कोईराजपुर, विकास खण्ड हरहुँआ में श्री विजेन्द्र नाथ तिवारी के घर से श्री सीताराम यादव के मकान तक कच्चे रास्ते को आर0सी0सी0 बनवाने के सम्बन्ध में कई बार जिला प्रशासन वाराणसी को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पायी, उस मार्ग से छात्रों एवं नागरिकों को आवागमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अति लोक महत्व के इस प्रकरण पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए, इस मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर के तहसील जखनियां के ग्राम सभा माधवटाण्डा में खलिहान खसरा संख्या-33 के अन्तर्गत सम्बन्धित लेखपाल व कानूनगो के खिलाफ जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामनरेश रावत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर की तहसील जखनियां की ग्राम सभा माधवटाण्डा में खलिहान खसरा संख्या-33 जो (अकृषित भूमि स्थल, सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हों, के नाम दर्ज हैं) की भूमि और खसरा संख्या-138 के नाम दर्ज भूमि (जोकि कृषि योग्य बंजर-स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ) को सम्बन्धित लेखपाल, कानूनगो व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से वहाँ के कुछ ग्रामीण उक्त सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं तथा कुछ अपना मकान भी बना रहे हैं, जब कुछ ग्रामीणों के द्वारा मना किया जाता है, तो हल्का लेखपाल आकर कह देता है कि जो भी निर्माण हो रहा है, वह सही हो रहा है। ऐसे ही लेखपाल की मिलीभगत के कारण सरकारी जमीन की लूट-खसोट की जा रही है, जिस कारण वहाँ की समस्त आम जनता में सरकार के प्रति गंभीर रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सरकारी जमीनों को खाली कराये जाने व सम्बन्धित लेखपाल व कानूनगो के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई कराये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी अन्तर्गत अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित एवं विस्थापित लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीराम-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र दुद्धी, जनपद सोनभद्र में सरकार की महत्वाकांक्षी अमवार कनहर सिंचाई परियोजना जो 5 दशक से निर्माणाधीन है। इस परियोजना से प्रभावित गाँव के लोगों को पिछली सरकार द्वारा धोखा देकर अभी तक आवश्यक विस्थापितों को प्लाट उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे विस्थापित परिवारों में पिछली सरकार से विश्वास उठ चुका था। जबकि वर्तमान सरकार चुनाव में विस्थापितों को भरोसा दिलाया है कि जो लोग विस्थापन पैकेज से वंचित रह गये हैं उन्हें पुनः सर्वे कराकर विस्थापन सूची में सम्मिलित कर पूर्ण रूप से विस्थापन पैकेज व प्लाट उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से वार्ता के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी लगभग 2000 प्लाट की आवश्यकता है जिससे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रारम्भिक आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करा लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के आदेश के साथ ही ब्लाक जे0के0एल0एम0 के रूप में चार भागों में विभक्त कर लगभग 2000 प्लाट तैयार किया जा सकता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में शीघ्र अमवार कनहर सिंचाई परियोजना से विस्थापित लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज में निषाद समुदाय की नावों को सरकार के इशारों पर तोड़-फोड़ किये जाने एवं पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण किये गये उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र करछना, जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत तहसील करछना, ग्राम-बसवार, ठकुरी का पुरवा, ग्राम मोहब्बतगंज दिनांक 04 फरवरी, 2020 को दिन में लगभग 2:00 बजे 3 पी0ए0सी0 गाड़ी के साथ जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस के द्वारा नदी के बाहर किनारे पर खड़ी नाव को तोड़ने लगे। ग्रामीणों द्वारा जब इसका विरोध किया गया तब पुलिस वालों द्वारा महिलाओं, बुजुर्गों को भी दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें मुख्य रूप से 18 नाव तोड़ी गईं एवं लगभग 15 से 20 लोग घायल हुए। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से बार-बार अनुरोध किया जा रहा था, परन्तु जिला पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई।

जिन लोगों की नाव टूटी है, उनके नाम निम्नवत् हैं -

श्री उमाशंकर, श्री रामसजीवन, श्री अनिल यादव, श्री द्वारिका निषाद, श्री विनोद निषाद, श्री भैय्यन, श्री सहदेव निषाद, श्री प्रमोद निषाद, श्री भारत लाल निषाद, श्री रामसुख नीरज पुत्र श्री मेवालाला, बुद्धराम, श्रीराम प्रकाश, बुद्धराम पुत्र श्री पप्पू, श्री भगवती निषाद, श्री भोला निषाद, श्री राजकुमार निषाद आदि।

घायल हुए लोगों का नाम मुख्यतः निम्नवत् है :-

1-श्रीमती रेनू देवी निषाद पत्नी श्री सुरेश

2-श्रीमती मुन्नी देवी निषाद पत्नी श्री धुन्नी

3-श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री शिव लोचन

4-श्री लाल बहादुर पुत्र श्री नन्कू यादव

5-श्री करन निषाद पुत्र श्री संतोष निषाद

6-श्री गौतम निषाद पुत्र श्री बब्लू निषाद

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7-श्री दीपक निषाद पुत्र श्री धुन्ना निषाद

8-श्री चन्दन निषाद पुत्र श्री मुन्ना निषाद

9-श्री अनजोला पुत्र श्री राम लोचन

10-श्री शिव बाबू यादव

11-श्री राहुल

12-श्री शुभम

13-निशाद

14-बुद्धराम

15-उदय राज

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 4 फरवरी, 2020 को पुलिस द्वारा निषाद समुदाय के लोगों के ऊपर किये गये अत्याचार, उनकी नावों को तोड़े जाने एवं महिलाओं एवं बच्चों सहित कइयों को लाठी-डण्डे से पीटकर हाथ-पैर तोड़ देने की इस घटना के इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में जिला अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल को राजकीय मेडिकल कालेज में सम्बद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण वर्तमान समय में जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल नहीं है। जनपद में जिला अस्पताल न होने के कारण व मेडिकल कालेज फिरोजाबाद में होने के कारण दूर-दराज क्षेत्रों के मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम सोफीपुर की गाटा संख्या-38 में एक जिला अस्पताल की स्थापना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त समस्याओं के निदान की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम संगम विहार हवेलिया में श्री संजय मिश्र के घर से श्री सी0पी0 सिंह के घर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर, विकास खण्ड बहादुरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम-संगम विहार हवेलिया में श्री संजय मिश्र के दरवाजे से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सी0पी0 सिंह के दरवाजे तक कच्चा मार्ग होने के कारण बरसात के दिनों में जलभराव हो जाता है, जिससे वहाँ के क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहती हूँ।

जनपद रामपुर में कार्यरत जिला विद्यालय निरीक्षक भ्रष्टाचार एवं अराजकता में सम्पूर्ण रूप से लिप्त हैं। इनके द्वारा परीक्षा केन्द्रों के आवंटन तथा नवीनीकरण में गंभीर अनियमितता अपनाई गई है। नवीनीकरण तथा नये आवंटन में जिन विद्यालयों से निरीक्षक महोदय को धन की प्राप्ति हुई है सिर्फ उन्हीं का आवंटन अथवा नवीनीकरण किया गया है। जिन विद्यालयों द्वारा निरीक्षक को धन नहीं दिया गया, उनका नाम सूची से हटा दिया गया है।

उक्त आवंटन तथा नवीनीकरण की रिपोर्ट, जो निरीक्षक महोदय द्वारा शासन के उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई है, वह शासन को गंभीर रूप से भ्रमित करने वाली है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रायः मेरा एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों का फोन नहीं उठाते हैं तथा जनता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि निरीक्षक महोदय बिना पैसों के लेन-देन के कोई कार्य नहीं करते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शासन से वक्तव्य/ध्यानाकर्षण की माँग करती हूँ।

जनपद लखनऊ के तहसील सरोजनीनगर में निगम भूमि गाटा संख्या-3655, 3657, 3662, 3676, 3660 पर (माननीय राजस्व परिषद की निगरानी में लम्बित होने के बावजूद भी) हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत अमौसी, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर की नगर निगम भूमि गाटा संख्या-3655, 3657, 3662, 3676, 3660 पर नगर निगम के लेखपाल की रिपोर्ट में अवैध कब्जा दर्शाया गया है और गाटा संख्या-3658 और 3675 में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नक्शा में संशोधन मा0 न्यायालय श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की निगरानी में विचाराधीन है। इस पर आई0जी0आर0एस0सं0-40015720077391 पर लेखपाल की रिपोर्ट पर निगरानी विचाराधीन होने पर उक्त खसरा संख्या पर नया निर्माण कार्य जारी है। उपरोक्त प्रकरण पर कार्रवाई किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के बरगवां, बाराबिरवा स्थित देवा विहार कालोनी में 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से राजधानी लखनऊ में नगर निगम की कार्य-प्रणाली के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। लखनऊ, बरगवां, बाराबिरवा, थाना कृष्णानगर स्थित देवा विहार कालोनी की लगभग 200 मीटर से भी कम सड़क निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2018 को पत्र संख्या-613 के माध्यम से सम्बन्धित सड़क पर आने वाला व्यय का आगणन प्रस्तुत करते हुए धन उपलब्ध होने की स्थिति में निर्माण कराये जाने का उल्लेख किया गया था, जोकि आज (दो) 03 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात् भी धन उपलब्ध नहीं हो सका है और यह कार्यवाही से दूर है। सड़क पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच गयी है। सम्बन्धित विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, सड़कों पर गड्ढे हो गये, जिनको यथासम्भव स्थानीय निवासियों द्वारा समय-समय पर स्वयं के वहन पर मरम्मत आदि करानी पड़ रही है। विभाग की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से स्थानीय जनता के बीच असंतोष और रोष व्याप्त है।

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व की इस सड़क के निर्माण हेतु अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।]

जनपद बदायूं की तहसील सहसवान स्थित रोडवेज (बस स्टैण्ड) की जमीन पर कब्जा करने एवं बसों को रोडवेज तक नहीं ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद बदायूँ की तहसील सहसवान में रोडवेज का पुराना बस स्टेशन है जो पिछले कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है। स्थानीय लोगों द्वारा पालिका की मिलीभगत से कब्जा किया जा रहा है। यही नहीं, बसें जो जाती हैं, बस स्टैण्ड तक न ले जाकर यात्रियों को बाहर ही उतार दिया जाता है। बसों को बस स्टैण्ड तक ले जाया जाय, कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में बसों को बस स्टैण्ड तक ले जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के विकास खण्ड-भेटुआ में टीकरी-भादर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गरिमा सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। जनपद-अमेठी के विधान सभा क्षेत्र अमेठी के विकास खण्ड-भेटुआ के अन्तर्गत आने वाले टीकरी-भादर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 15 किमी0 है, की स्थिति अत्यन्त जर्जर है। आये दिन जनमानस द्वारा दुर्घटनाओं की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। उक्त मार्ग के निर्माण हो जाने से हजारों हजार क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा प्रदान होगी।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की माँग करती हूँ।]

जनपद लखनऊ के गोमती नगर में फन मॉल के पीछे स्थित नेहरू इन्क्लेव कालोनी में एल0डी0ए0/नगर निगम द्वारा उसका रख-रखाव न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[महोदय, सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि लखनऊ की गोमती नगर में फन मॉल के पीछे स्थित नेहरू इन्क्लेव की इमारत का रख-रखाव एल0डी0ए0/नगर निगम द्वारा किया जाता है परन्तु अब कई वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। इमारत जर्जर हो गई है। लोगों की जानमाल का खतरा हो रहा है। कालोनी की सड़कें खराब हो गई हैं। भूतल पर रहने वाले अध्यासियों द्वारा निर्धारित नक्शे से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। कालोनी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। छतों पर नक्शे के अतिरिक्त तल का निर्माण कर लिया गया है। कालोनी में स्कूल/पार्क आदि की व्यवस्था की गई थी परन्तु इसका निर्माण नहीं किया गया है। उक्त कार्यों को कराया जाना अनिवार्य है।

अतः सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि जनहित में कालोनी के उक्त कार्यों को कराने का कष्ट करें। सदन की आभारी रहूँगी।]

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भाटपार रानी के ग्राम पंचायत जगहथा में ग्राम निधि व सार्वजनिक शौचालय के निधि का ब्लाक के कर्मचारियों में बंदरबांट होने से दोषियों के खिलाफ जाँच कराकर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष उपाध्याय-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी जनपद देवरिया के ग्राम पंचायत जगहथा, विकास खण्ड

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भाटपार रानी में ग्राम निधि व सार्वजनिक शौचालय का पैसा बिना कार्य कराये और बिना शौचालय बनवाये ही पुराने कार्य को नया दिखाकर स्थानीय ब्लाक के कर्मचारियों की मिलीभगत से निकाल लिया गया है। इन्टरलाकिंग सड़क व होम पाइप, नाली आदि का भी कार्य दिखाकर फर्जी तरीके से बिल-वाउचर लगाकर पैसा निकाल लिया गया है। विकास कार्य न होने के कारण स्थानीय लोगों में रोष की भावना व्याप्त है।

अतः जनहित के इस विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्रकरण की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

[11:28] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04-03-2021 को नियम-300 के अन्तर्गत 03 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री लकी यादव की बहुखण्डी मॉल एवेन्यू कालोनी, लखनऊ स्थित आवास सं0-101, श्रेणी-4 में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा साफ-सफाई एवं फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था न कराये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की वर्ष 2021-2022 के बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा माननीय विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों में हैण्डपम्प हेतु बजट प्राविधानित कराये जाने के सम्बन्ध में और

तीसरी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की विधान सभा में वर्ष 2017 से तदर्थ रूप में कार्यरत 25 सहायक समीक्षा अधिकारियों एवं 01 समीक्षा अधिकारी को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

हम माननीय उज्जवल रमण सिंह जी वाली सूचना पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री का ध्यानाकर्षण करते हैं। बाकी को संदर्भित करते हैं।

[11:29] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 की सूचनाएँ नहीं ली जायेंगी।

मद सं0-2 में कुछ नहीं है। मद सं0-3 से मद सं0-50 तक की सभी याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं

श्री धर्मपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ†

श्री धर्मपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद बरेली के तहसील आँवला के अन्तर्गत ग्राम कुड़रिया फैजुल्लापुर व ग्राम शिवनगर के बीच छूटे खड़न्जा मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होशियार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली के तहसील आँवला के अन्तर्गत ग्राम उरला रसूला के बीच ग्राम सभा व अन्य उपलब्ध भूमि पर राजकीय इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली के तहसील आँवला के अन्तर्गत आवागमन की दृष्टि से रोडवेज का डिपो बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली के तहसील आँवला के अन्तर्गत बरेली-अलीगढ़ रेल मार्ग के मध्य ग्राम रेवती बहोड़ा रेलवे स्टेशन से आगे ग्राम कन्धरपुर के पास आवागमन हेतु अन्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरद्वारी लाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली के तहसील आँवला के अन्तर्गत ग्राम राजापुर कला से ग्राम पैना तक पक्के सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवीदास मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली के तहसील आँवला में क्षेत्र पंचायत मझगवां के ग्राम बड़ागाँव में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली के तहसील आँवला में ग्राम शिवपुरी के पास कैलाश गिरि आश्रम के पास रामगंगा नदी पर पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 कृष्णपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8-जनपद बरेली के तहसील आँवला के ब्लाक मझगवाँ के अन्तर्गत ग्राम हाजीपुर व ग्राम रौतापुर के बीच पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

9-जनपद बरेली के तहसील आँवला के अन्तर्गत ग्राम व्यौधन खुर्द-नवाबपुरा में व्यक्तिगत भवन में चल रहे होम्योपैथिक अस्पताल का सरकारी भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

10-जनपद बरेली के तहसील आँवला के अन्तर्गत ग्राम गुलड़िया उपराला, ब्लाक मझगवाँ में ग्राम सभा में उपलब्ध भूमि पर एक मिनी स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान चन्द प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मथुरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मथुरा में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री छेदालाल पाठक व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका

2-जनपद मथुरा की बन्द पड़ी छाता चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास जटवारी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

3-जनपद मथुरा की तहसील मांट के नौहझील में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मन प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास के अन्तर्गत ग्राम हाजीपुर गोसा में श्री गेंदे लाल मास्टर के दरवाजे से लवकुश के दरवाजे तक दूरी लगभग 400 मीटर पर नाली एवं इण्टरलॉकिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में समान वेतनमान एवं ग्रेड-पे के स्थानिक अभियन्ता/अपर परियोजना प्रबन्धक के पदों को लोक निर्माण विभाग की भाँति समान एवं ग्रेड-पे के पद अधिशासी अभियन्ता पद नामित किये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0डी0 द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में वर्ष 1994 के पूर्व से कार्यरत उप अभियन्ता/अवर अभियन्ता के रिक्त 139 पदों के सापेक्ष तत्समय कार्यरत (सि0/वि0/यॉ0) संवर्ग के उप अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को पूर्व तिथि से विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवेश चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ तथा जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत पिपौली से बैरम नगर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बासुदेव व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत मोहद्दीनपुर नहर की पुलिया से देवधा की पुलिया तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिजेन्द्र पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत नगरिया कला से रजपुरा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेत्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत बसुधरन-शेरगढ़ मार्ग से सिद्धबाबा के मंदिर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूपराम व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत खाता ग्राम से गुनाह हटटू तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेद प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम कमालपुर से गनू नगरा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धारा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत गनू नगला से नगरिया खुर्द तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत उदयपुर से श्मशान भूमि तक मिट्टी खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

9-जनपद सिद्धार्थनगर में गाँव बनकटा, पोस्ट खैरा-खास, ब्लाक खुनियांव में निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीमती सुशीला देवी, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

10-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम पखुनी में मुख्य मार्ग से मंदिर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री बाबूराम पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ †

श्री बाबूराम पासवान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद पीलीभीत, ब्लाक पूरनपुर के अन्तर्गत धनारा रोड से ग्राम भगवन्तापुर होते हुए टाण्डा छत्रपति तक जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका

2-जनपद पीलीभीत, ग्राम पंचायत अजीतपुर विलहा अन्तर्गत नाला निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका

3-जनपद पीलीभीत, विकास खण्ड पूरनपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत जितौर टाडा का मजरा पुन्नापुर में पूरे ग्राम में नाला एवं सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

4-जनपद पीलीभीत, ग्राम पंचायत महुआ गुन्दे में ग्राम के दक्षिण से उत्तर की तरफ 500 मी0 सड़क एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री आनन्द मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका

श्री कमलेश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-देवरिया से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ †

श्री कमलेश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद देवरिया के विकास खण्ड देवरिया के अन्तर्गत बाबु बड़हरा में सुरजही में छूटी कड़ी का निर्माण कार्य एवं नौनिया झापड़ में छूटी कड़ी का निर्माण कार्य तथा धुरांवा से सिसुआं सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया के विकास खण्ड तरकुलवा अन्तर्गत राजस्व ग्राम कमधेनुवा, परासखाण एवं कंचनपुर के सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

3-जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत खुखुन्दु, भटनी मार्ग से सिसई बैकुण्ठ मार्ग का विशेष मरम्मतीकरण एवं पिपराशुक्ल से नूनखार रेलवे स्टेशन सड़क का विशेष

† छापी नहीं गयीं।

मरम्मतीकरण कार्य के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ †

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-तुलसीपुर में स्थित सुहेली नाला की ग्राम महादेव हरिहरनगर से हडपुर जनकपुर होते हुए हरहटा तक खुदाई एवं तटबंध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्यापति पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका

2-जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-हरैया सतघरवा में मथुरा बाजार चौराहे से मथुरा घाट जाने वाले ध्वस्त मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-हरैया सतघरवा में बूढ़ी राप्ती नदी को दरगाह (शिवानगर) से ग्राम ओदरहिया तक खुदाई एवं तटबंध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीप पासवान व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री मौ0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री मौ0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कलालखेड़ा से ग्राम असालतनगर बघा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इरशाद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नगलिया जट के मुख्य मार्ग पर स्थित राजकीय इण्टर कालेज में हाई मास्ट लाइट और पेयजल के लिए फिल्टर आर0ओ0 मशीन लगवाने के सम्बन्ध में श्री खालिद इमाम, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर मिर्जा में मुख्तयार के घर से जूनियर हाई स्कूल इब्राहीमपुर मिर्जा तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री शमीम इदरीसी, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नियामतपुर में जूनियर हाईस्कूल खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनव चौधरी, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में शाहबाद रोड से ग्राम अबूसैदपुर से ग्राम खरसौल तक 03 किमी0 सड़क का नवनिर्माण किये जाने विषयक श्री ढाकन सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री मसूद अख्तर, सदस्य विधान सभा की जनपद-वाराणसी से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री मसूद अख्तर, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद वाराणसी के लहरतारा में श्री जाफर अब्बास जैदी के मकान संख्या-डी 65/174ए-जे पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने विषयक श्री जाफर अब्बास जैदी, निवासी जनपद वाराणसी की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेडी के ग्राम उग्राहू से ग्राम खनपुरा तक लगभग 2.5 किमी0 सड़क का निर्माण तथा हिन्डन नदी पर रपटा पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री निसार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम तिवाया से मोहिद्दीपुर व ग्राम तिवाया से माजरी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेडी के खजुरी अकबरपुर के उग्राहू वाले रास्ते पर हिन्डन नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीना व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका

5-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम सोन्ना में राजकीय कन्या हाईस्कूल को उच्चीकृत कर इण्टर कालेज किये जाने विषयक श्री जफर अहमद व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

6-जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका के ग्राम मुगल माजरा से नेवादा तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखलाक व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अन्तर्गत जहांगीरपुर स्थित बन्द चीनी मिल को चालू कराने के सम्बन्ध में श्री संजय शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अन्तर्गत एन0आर0ई0सी0 महाविद्यालय खुर्जा बुलन्दशहर को विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय का नाम प्रो0 राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जू भईया के नाम पर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के अन्तर्गत एन0एच0-91 एस0आर0 पेट्रोल पम्प के बराबर से ग्राम रोहिन्दा तक सड़क का नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अरनिया के अन्तर्गत एन0एच0-91 से पहासू तक काली सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर कलां मोड़ से पिसावाँ तक काली सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री तोषपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री विनय कुमार द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ †

श्री विनय कुमार द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील गोण्डा के अन्तर्गत जमुनही से दुल्हापुर बनकट मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील गोण्डा के अन्तर्गत सदाशिव से करमडीह मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेकारू वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत रामपुर दुबावल से मुजेहना मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष सोनी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत दुल्हापुर बनकट से ढुढाव मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत जवाहर नगर से जहदरिया पूरे धन्नी मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

6-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कठौआ से बिनोहनी मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चंदन दुबे व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

7-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बाबागंज से नदावर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माधवी वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

8-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बहेराकुँआ से सहिबागंज मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

9-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत भवानीपुर खुर्द से जनकौरा मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संकटा प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

10-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत रामनगर चौराहा से लालपुर-गोपालपुर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर देहात से सम्बन्धित 07 याचिकायें तथा जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ †

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर देहात में नगर पालिका पुखरायां के कतिपय ग्रामों में इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

2-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत कतिपय तालाबों एवं स्थानों को प्राथमिकता के आधार पर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर, विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम बाजपेयी खेड़ा में जयकरन के मकान के मोड़ से लेकर ग्राम अकवारा की पक्की सड़क लगभग 1.5 किमी0 तक का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत नगर पालिका पुखरायां में विवेकानन्द, मीरपुर में सीवर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर के अन्तर्गत नवगठित नगर पंचायत अचलगंज के मलिन बस्ती में राज्य नगरीय विकास अभिकरण से नाली व इण्टरलॉकिंग

† छापी नहीं गयीं।

का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा में ग्राम पंचायत सुजौर में पंचायत घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

7-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा में ग्राम शाहजहाँपुर में एवं विकास खण्ड सरवन खेड़ा के ग्राम जूनिया नाही, कठेठी, कोरारी, रघुनाथपुर, गंगरौली एवं खनपना में समस्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल के तहत पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

8-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा में ग्राम पंचायत बहेरी माह में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका तथा

9-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मलासा के ग्राम मदारीपुर से बहोरापुर तक सड़क का नवनिर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका।

श्री नितिन अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री नितिन अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, जनपद लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ओमेक्स, न्यू हजरतगंज के सामने सरस्वतीपुरम्, सरसवां, अर्जुनगंज में नालियों एवं सीवर की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्रीमती नीलम मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका†

श्री भूपेश चौबे, सदस्य विधान सभा की जनपद-सोनभद्र के विकास खण्ड नगवा के सेमरिया नलराजा तक सड़क व पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लखन साहनी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बलरामपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ तथा जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री पल्टूराम, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत उतरौला बलरामपुर मार्ग से आगे चूल्हाभारी के आगे सेखुईया प्रेमनगर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग की मरम्मत एवं सेतु का

† छापी नहीं गयीं।

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोला सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा घूघुलपुर में स्वीकृत पालीटेक्निक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद लखनऊ के कन्हैया माधौपुर द्वितीय वार्ड में अलमास बाग में समीर हास्पिटल से निहाल अहमद सिद्दीकी के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निहाल अहमद सिद्दीकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बाँदा से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ †

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बाँदा की विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम गंछा में श्रीराम जानकी पम्प कैनाल की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनमोहन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका,

2-जनपद बाँदा के विकास खण्ड महुआ के खुरहण्ड में राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रावेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका,

3-जनपद बाँदा के विकास खण्ड बिसण्डा के ग्राम तेन्दुरा में राजकीय इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका तथा

4-जनपद बाँदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम गिरवां में राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-36 पर बने सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम बासुपुर नहर की पुलिया से बिझवट तक नहर की पटरी ल-08 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-36 पर बने सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम भटपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से तेजी बाजार सम्पर्क मार्ग तक मेनुउद्दीनपुर की पटरी लं0-09 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-36 पर बने सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम सराय पडरी नहर से भटपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग तक नहर की पटरी लं0-07 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-36 पर बने सिंचाई विभाग द्वारा प्रयागराज-गोरखपुर रोड से भटौली नहर की पटरी शारदा सहायक खण्ड-36 से करसूलनाथ धाम तक लं0-10 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-36 पर बने सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम बासुपुर से हरखपुर तक नहर की पटरी लं0-02 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी महानगर के प्रेमनगर (नगरा) क्षेत्र में राजकीय अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री तरुण अरोड़ा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 06 याचिकाएँ†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-बाँगरमऊ में ग्राम सभा-गोंदरी में प्राथमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राधा कृष्ण व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-बाँगरमऊ में नगर पंचायत-कुरसठ में एक बारातघर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-गंजमुरादाबाद, ग्राम-भगवन्तपुरवा, मजरा-मिखारीपुर पतसिया में शिव नारायण निषाद के घर के पास में भुड्डा से गहरापुरवा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया

† छापी नहीं गयीं।

का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के तहसील-बाँगरमऊ परिसर में 2 हाल एवं अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार गौतम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-गंजमुरादाबाद के ग्राम सभा-अटवा में विवेकानन्द इण्टर कालेज से ग्राम-अटवा होते हुए कमलापुर की पुलिया तक डामरीकरण का नवीन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

6-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-गंजमुरादाबाद के ग्राम सभा-अटवा में किसानों को कृषि कार्य हेतु सिंचाई करने के लिए राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा जाफरगंज-सैदापुर सम्पर्क मार्ग से बढ़ईपुर यहिया कमालपुर होते हुए करतोरा पोखरा तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (लं0 2 किमी0) का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयाराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम खड़वा से सैदपुर भितरी तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (लं0 लगभग 1 किमी0) का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयाराम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम अकबरपुर-महरुवा सम्पर्क मार्ग से आर0जे0एस0 पब्लिक स्कूल के बगल से ग्राम सभा कसेरुआ (ईशापुर) तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (लं0 लगभग 2 किमी0) का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा तुलसीपुर दौनापुर से बरौरा कल्याणपुर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा राजेपुर धावाँ (महमुदियापुर) दाउदपुर माइनर लक्ष्मण सिंह के खेत से रामकरन राजभर के आवास तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (लं0 लगभग 300 मी0) का सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर क्षेत्र कप्तानगंज में बोदरवार से मंसूरगंज तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनीम प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर क्षेत्र रामकोला में विशुनपुरा चौराहे से सनेरामल छपरा होते हुए बरवा महादेवा तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज यादव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर क्षेत्र रामकोला में लक्ष्मीगंज से रामबाग तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरली पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर क्षेत्र रामकोला के लक्ष्मीगंज में आधुनिक टेक्नोलाजी वाली नई चीनी मिल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका, तथा

5-जनपद कुशीनगर क्षेत्र कप्तानगंज में सुधियानी से मंसूरगंज तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहांपुर से सम्बन्धित 08 याचिकाएँ †

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर के तहसील तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही में नेशनल हाईवे पतराजपुर तिराहे से ईसापुर होते हुए भटपुरा भदेग तक सड़क चौड़ीकरण/उच्चीकृत कर डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनपाल राठौर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील पुवायां के अन्तर्गत विकास खण्ड सिंधौली में तेरा डामर रोड से तेरा गांव के अन्दर तक कच्ची सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद शाहजहाँपुर के तहसील पुवायां के अन्तर्गत विकास खण्ड सिंधौली में पिपरिया प्रहलाद से कंजा तक कच्ची सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहाँपुर के तहसील पुवायां के अन्तर्गत विकास खण्ड सिंधौली में पिपरिया दास नहर पुलिया से जलालाबाद नहर पुलिया तक कच्ची सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

5-जनपद शाहजहाँपुर के तहसील पुवायां के अन्तर्गत विकास खण्ड सिंधौली में कोटावारी से नहर हेड तक कच्ची सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परवेन्द्र राज व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

6-जनपद शाहजहाँपुर के तहसील पुवायां के अन्तर्गत विकास खण्ड सिंधौली में पाता से रखिया बुजुर्ग तक पक्की सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवानदीन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

7-जनपद शाहजहाँपुर के तहसील पुवायां के अन्तर्गत विकास खण्ड सिंधौली में पिपरिया प्रहलाद से सुतनेरा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

8-जनपद शाहजहाँपुर के तहसील पुवायां के अन्तर्गत विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम रक्शा से महासिर तक कच्ची सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सीतापुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सीतापुर के महोली बड़ा गांव में टमाटर केचप फैक्ट्री लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के अन्तर्गत ग्राम बद्दापुर में बारात घर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर के महोली के पिसावां से गोपामऊ तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

4-जनपद सीतापुर के महोली से एथनाल बनाने की फैक्ट्री लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र चौहान व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली में अन्तर्गत ग्राम ब्रम्हावली में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ †

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत पिरैली से आल्हेकुइयां होते हुए नउआ गांव तक जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

2-जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत बस्ती-डुमरियागंज स्टेट हाइवे से भानपुर से तेनुआ असनहरा जाने वाले मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री संजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सोनभद्र से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री संजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सलखन मुनगा टोला में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग से रामधार गोड के घर तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

2-जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चिरूहली में भोला कोल के घर से पंचायत भवन तक लम्बाई लगभग 800 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

3-जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुण्डी टोला बाडी में छुन्नू कोल के घर से शिव मन्दिर तक लम्बाई लगभग 1 किमी0 पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरा लाल व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

4-जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुण्डी (बिल्ली) टोला में जायसवाल बिल्डर्स से मोतीचन्द्र चौराहा तक लम्बाई लगभग 1 किमी0 पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुण्डी टोला गड़ईडीह में गौशाला से श्याम लाल गोड के घर तक लम्बाई लगभग 800 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबा लाल गोड व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका।

श्री सहेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बागपत से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ †

श्री सहेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बागपत के विकास खण्ड छपरौली के ग्राम नांगल (कुरडी) में बाईपास लिंक मार्ग पर निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका,

2-जनपद बागपत की नगर पंचायत छपरौली में श्री विद्या मन्दिर इण्टर कालेज से लेकर टांडा बड़ौत मार्ग तक (देवगौड़ा मार्ग) का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका तथा

3-जनपद बागपत के विकास खण्ड छपरौली के ग्राम राठौड़ा में अम्बेडकर स्कूल से लेकर होश्यारी देवी गर्ल्स इण्टर कालेज तक मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका।

श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ †

श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत धूर्वाजून बरवा खुर्द के बीच में नाले के ऊपर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका

2-जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत वासुचक ग्राम सभा में रेलवे स्टेशन के बगल में जोगिया वीर बाबा मन्दिर का सौन्दर्यीकरण व लाइट की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

3-जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर-चोचकपुर मार्ग से रामपुर रामाशीष पाण्डेय के बगल से मान्ती पाण्डेय के मकान होते हुए बिल्लू पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मान्ती पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक-पल्हनी में आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग से उकरौड़ा से ककरहटा होते हुए सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्नान अहमद व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत आजमगढ़ भदुली-निजामाबाद मार्ग से रशीदगंज बाजार होते हुए सेमरा पटखौली ग्राम अरया तक क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवपरसन यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक-पल्हनी में आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग से कोठहरा होते हुए मनचोभा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत आजमगढ़ भदुली-निजामाबाद से घोरट जूनियर हाईस्कूल से जाफरपुर होते हुए नीबी बेलैइचा, आजमगढ़ वाराणसी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक-पल्हनी में आजमगढ़ शहर बाईपास से आहोपट्टी मनचोभा, ममरखापुर तक लगभग ल0 4.00 किमी0 सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के नगला पदी स्थित नजूल भूमि प्लाट नं0-3 की भूमि पट्टे धारक स्व0 सिद्ध बिहारी की संतानों को हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश तवकले, निवासी जनपद-आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सहारनपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ †

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद सहारनपुर की तहसील देवबन्द के विकास खण्ड नागल के अन्तर्गत भाटखेरी से खजुरवाला मार्ग तक लम्बाई 1 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मान सिंह सैनी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर की तहसील देवबन्द के विकास खण्ड नागल के अन्तर्गत ग्राम-जोला से नन्दपुर मार्ग तक तारकोल सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर की तहसील देवबन्द के विकास खण्ड नागल के अन्तर्गत ग्राम बसेड़ा से ताजपुर मार्ग तक लेपन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रेश त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

4-जनपद सहारनपुर की तहसील देवबन्द के विकास खण्ड नागल के अन्तर्गत चन्देना कोली गांव से बाहर देवबन्द की ओर सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौ0 राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-हमीरपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ †

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम बरहरा में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद व अन्य निवासीगण, जनपद हमीरपुर की याचिका तथा

2-जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम बरहरा (ब्रम्हानन्द धाम) में स्थित अति प्राचीन बजरंग आश्रम की चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद व अन्य निवासीगण, जनपद हमीरपुर की याचिका।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ †

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा अन्तर्गत विकास खण्ड असोहा सोहरामऊ थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम चौपाई एवं गोमापुर बाजार के मध्य पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेरा यादव व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा अन्तर्गत संदाना मोड़ से कालूखेड़ा (लउवा सिंघनखेड़ा) उन्नाव-रायबरेली सीमा के मध्य पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड असोहा एवं पुरवा अन्तर्गत लंगरपुर-ऊँचागाँव किला-मंगतखेड़ा स्थित बनकई झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत एम0एम0यू0 से छीटू खेड़ा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के ग्राम कन्दरपुर में पूर्व प्राइमरी विद्यालय के भवन का नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम मवैया से चैनपुर के बीच के मार्ग ल0 500 मी0 के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

7-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के ग्राम कन्दरपुर एवं असोहा में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर बदलवाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री ओम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित याचिका††

श्री ओम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड हल्दौर के ग्राम शेरपुरा में आर्य समाज मन्दिर मार्ग से सतीश के मकान तक लगभग 700 मी0 सी0सी0 रोड/सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना के ग्राम भोजपुर के अन्तर्गत रामबचन कालू के घर से छांगुरराम के घर तक 300 मी0 मार्ग का नवनिर्माण कार्य/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

---

†† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना के ग्राम लहुआखुर्द (लोधापुर) के अन्तर्गत कन्हैया राजभर के घर से खनचू नाई के घर के पास पिच रोड तक लगभग 600 मी0 तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना के ग्राम रायपुर सालवाहन के अन्तर्गत पूर्व प्रधान बब्लू की दुकान से राजेश के घर तक लगभग 01.00 किमी0 तक नवनिर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बदलू व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना के ग्राम रायपुर सालवाहन के अन्तर्गत पल्हना-जिगिनी मार्ग से गोविन्द राजभर के घर तक लगभग 01 किमी0 मार्ग का नवनिर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के ग्राम शिरसेड़ी एवं विकास खण्ड लालगंज के ग्राम मिर्जापुर आदमपुर, विकास खण्ड पल्हना के सिंहपुर, कबुतरा तक बेसोनदी की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री आनन्द शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-चित्रकूट से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ †

श्री आनन्द शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत रैपुरा स्थित गुन्ता बांध के अन्तर्गत किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कोटरा खांभा विकास खण्ड मऊ के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 रोड बरमबाबा से दुर्गापाल के डेरा तक लगभग 02 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के नगर पंचायत मानिकपुर शास्त्री नगर, विकास खण्ड मानिकपुर के अन्तर्गत दिलावर के डेरा से लेकर मारकुण्डी रोड तक लगभग 04 किमी0 बाईपास रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेन्द्र श्रृंगी ऋषी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत ददरी एन0एच0-35 से गुन्ता माइनर की शाखा होते हुए समय लाल के घर के आगे लगभग 3 किमी0 ग्राम पंचायत कोंपा तक रोड एवं मार्ग के बीच में खरसहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

5-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कौबरा, विकास खण्ड मानिकपुर के अन्तर्गत तालापुरवा से केशवपुरवा तक सम्पर्क मार्ग लगभग 02 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

6-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत लपांव, विकास खण्ड मऊ के अन्तर्गत उसरा बांध का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम शत्रुहन कौल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

7-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत ददरी के मौजा पुरा लालता रोड, विकास खण्ड मऊ के अन्तर्गत खसहा नदी में बने बांध का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

8-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत करही, विकास खण्ड मऊ के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल करही से गुन्ता माइनर नहर की पटरी होते हुए लालता रोड तक लगभग 04 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश कोरी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

9-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कोटरा खांभा, विकास खण्ड मऊ के अन्तर्गत गंजरी रोड से कोटरा खांभा तक लगभग 1.5 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त बलुआ व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

10-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत इटवा, विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत एन0एच0-35 से मइकी मोड़ होते हुए महुलिहा तक लगभग 09 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंगरौल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत विकास खण्ड कोंच के नवाब के मकान से अफसर खाँ के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे महाराज व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद जालौन के तहसील एवं विकास खण्ड कोंच के ग्राम जखौली में सिंचाई विभाग के पास नहर हमीरपुर शाख से निकला गन्दा नाला पर ग्राम जखौली के पास टूटी पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आत्मा राम पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के तहसील एवं विकास खण्ड कोंच के ग्राम विरगुंवा खुर्द में प्रेम नारायण पाल के मकान से मनोज पाल के मकान तक सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम नारायण पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के तहसील एवं विकास खण्ड कोंच के ग्राम भेपता में रिंकू पटेल के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के तहसील एवं विकास खण्ड कोंच के ग्राम कमतरी में प्रा0पा0 से लेकर रामखिलौने के मकान से होते हुए बाईपास रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश बुधौलिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-खीरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ †

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम सभा जंग बहादुरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कान्त द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका,

2-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत पसगवां में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका,

3-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत जमुनिया घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका तथा

4-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत गन्ना किसान महाविद्यालय में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र रस्तोगी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ†

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत भीटी महरूआ से चन्दापुर तक मार्ग (ल0 लगभग 2 किमी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत चन्दौनी खंजावा मार्ग से मुन्नीलाल वर्मा के खेत से कोटवा का पुरा कोड़रा तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1 किमी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत चन्दौनी खंजावा मार्ग से बाबा विश्राम दास की कुटी से श्री सभाजीत वर्मा के आवास होते हुए ग्राम लोनियनवाँ भरतपुर ग्रिन्ट मार्ग जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1 किमी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत टाण्डा बरूआ जलाकी उतरेथू अन्य जिला मार्ग का 7 मी0 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

5-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम फरीदपुर कला से महमदपुर दानपुर जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1 किमी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

6-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत अकबरपुर गौहनिया मार्ग से ग्राम नन्दूपुर मार्ग तक (ल0 लगभग 1.0 किमी0) लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सूरत व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

7-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत केदार नगर अरसावाँ मार्ग से अलीगंज होते हुए ग्राम कलेसर तक सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.5 किमी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

8-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत अकबरपुर इल्तिफागंज सम्पर्क मार्ग से ग्राम जियापुर कर्बला तक के कच्चे मार्ग (ल0 लगभग 500 मी0) पर लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

9-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर एकसार (धोबहिया) विनोद के आवास से माइनर तक (ल0 लगभग

800 मी0) मार्ग पर लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका तथा

10-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत मया टाण्डा मार्ग से सबिकापुर दलित बस्ती श्यामफल के आवास तक खड़न्जा मार्ग (ल0 लगभग 02.00 किमी0) लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम हटवा हरदास में श्मशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

2-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर में विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत बहराइच शहर में तिरमुहानी घाट में भैरव मन्दिर के बगल में भैरव घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल राय व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम चिलवरिया में बाबा ध्यानदास जी के पोखरे का सुन्दरीकरण एवं तीन तरफ सीढ़ियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

4-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम आनन्दपुर में सिकाही घाट सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

5-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम कटघरा कला में सिकाही टेपरा में एक कजबय पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका।

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-अमेठी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद अमेठी विकास खण्ड भेटआ के अन्तर्गत स्थित पशु चिकित्सालय का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

2-जनपद अमेठी विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभा सरायखेमा में शंकर जी के मन्दिर के सामने हरिजन कालोनी से हालापुर हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

3-जनपद अमेठी विकास खण्ड भेटआ के अन्तर्गत बैसड़ा पिच रोड से भेटुआ पिच रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

4-जनपद अमेठी विकास खण्ड भादर के अन्तर्गत ग्राम सभा अमटाही में मालती नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम ओझा व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका तथा

5-जनपद अमेठी के अन्तर्गत अमेठी कोरारी चौराहे से महादेवन होते हुए पीटीपुर पक्की तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका।

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 12 याचिकाएँ तथा जनपद-हरदोई से सम्बन्धित 01 याचिका†

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिराजाबाद के ग्राम किशनदासपुरा में लोकेन्द्र सिंह निषाद के घर से लखपति सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र सिंह निषाद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर के बूथ संख्या-229 में स्टेशन रोड पर जितेन्द्र कुमार के घर से पुष्पेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर के बूथ संख्या-227 में बिन्दिया रानी के घर से वाल्मीकि समाज श्मशान घाट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री शिवम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर के बूथ संख्या-232 में जयवीर चूड़ी वाले की दुकान से तारा सिंह मास्टर के प्लॉट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मुरारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम किशनदासपुरा की ठार में कालीचरण के घर से सत्यराम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री कालीचरण व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद में ग्राम मिश्री का पुरा में होलीराम के खेत से नर्सरी तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री राजेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम सिकहरा में रामनज के मकान से मुरारीलाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम जलालपुर में विद्याराम के घर से रवी कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री बनवारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम फारौल नगरिया मजरा, नई नगरिया में प्रा0वि0 नई नगरिया से हरी शंकर के घर होते हुए वासुदेव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री हरी शंकर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम ढकपुरा में सादौन सिंह के घर से राम सेवक के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री सोनू कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम फतेहपुर आनन्दीपुर में रामभरत के घर से भगवान सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री सौरभ शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम सिकहरा में सिकहरा सड़क से शीलेश फौजी के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री शीलेश फौजी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

13-जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के ग्राम हरदलमऊ में गाटा संख्या 310 मि0 भूमि पर याची को कब्जा दिलवाने के सम्बन्ध में श्री मो0 मुबीन निवासी जनपद हरदोई की याचिका।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 08 याचिकाएँ †

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम ढकिया डाम पर कुल्ली नदी का जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शाही में पश्चिम की ओर किछा नदी के बाढ़ का पानी कस्बे में भरने से रोकथाम हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में शंखा नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पनथरा से पनथरिया के बीच सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम रास से मोहनपुर के बीच सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरस्वरूप मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम केरा से मगरउ के बीच सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम प्रेमपुर गौटिया मजरा गौतारा को रामगंगा नदी द्वारा किये गये कटान से बचाव हेतु स्थायी ठोकरे बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

8-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत राजकीय महिला पालीटेक्निक सी0बी0 गंज बरेली में जर्जर विद्युत तार को बदले जाने के सम्बन्ध में श्री द्वारिका प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम मलखनपुर में गढ़चम्पा रोड से किशोरी के घर तक लगभग 1 किमी0 काली रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम सिसवां में शिवमूरत के घर से नन्हे प्रधान सरोज के घर तक लगभग 800 मी0 इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमृत लाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया में ग्राम देवापुर में अवधेश के मशीन से धर्मेन्द्र के घर तक लगभग 500 मी0 इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया में ग्राम घमौर में लखन चौराहा से अभईपुर से जाने वाली पक्की सड़क पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम जमुई में काली रोड सम्पर्क मार्ग से होते हुए भुअर के खेत तक बगल से होते हुए राजकुमार के घर तक लम्बाई लगभग 500 मी0 सड़क का इण्टरलाकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 06 याचिकाएँ †

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ जानकीपुरम गार्डेन की आन्तरिक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम सीता बिहार की आन्तरिक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के वार्ड अयोध्यादास द्वितीय मदेयगंज खदरा एवं शिवलोक घना का पुरवा में पेयजल हेतु ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विश्वविद्यालय न्यू कैम्पस में ऑडीटोरियम गेस्ट हाउस एवं लाइब्रेरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव मेहरोत्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

5-जनपद लखनऊ के वार्ड जानकीपुरम छुईयापुर गांव के निकट स्थित श्मशान घाट की बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृपा शंकर मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

6-जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज, केशव नगर क्षेत्र में विजय कुमार अवस्थी के मकान नं0-613/ख-258 से संदीप अग्रवाल के घर तक लगभग 200 मी0 कच्ची सड़क को पक्का और नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

डॉ0 अरुण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 अरुण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के 124 शहर विधान सभा क्षेत्र बरेली में राजकीय पुस्तकालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं

1-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड दानपुर अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर के मेरठ-बदायूँ दौलतपुर रोड से रामफल के घर तक रोड का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में डॉ0 इला सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड दानपुर अन्तर्गत हनुमान चौराहे से सुल्तानपुर बिलोनी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड दानपुर अन्तर्गत ग्राम दोंका में मनवीर जाटव के घर से रणवीर सिंह के घर तक सड़क का इण्टरलॉकिंग का कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड डिबाई अन्तर्गत ग्राम कर्णवास में श्मशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अनूपशहर के अन्तर्गत ग्राम तैलिया नगला में पवन की दुकान से हरि प्रकाश के घर तक सी0सी0 सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

[11:29] उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 3 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (एक–क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

(एक–क) समूह 'क' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में ऐसे दिनांक को और से, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 गजट में प्रकाशित किया जाय, रिक्तियों का पाँच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम की धारा 3 का उपबन्ध, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा और शेष उपबन्ध, दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 8 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

किसी चीनी कारखाना का अध्यासी, अपने द्वारा अंतरित किये गये, विक्रय किये गये या आपूर्ति किये गये शीरे पर ऐसी दर, जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर अवधारित करे, पर प्रशासनिक प्रभार का विहित रीति से राज्य सरकार को भुगतान करने के लिये दायी होगा।

धारा 16 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द "नियंत्रक" के स्थान पर शब्द "नियंत्रक या अन्य कोई अधिकारी, जो विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो," रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[11:33] उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021

फण्डामेन्टल रूल 56 में अग्रतर संशोधन करने और तद्धीन या तत्सम्बन्ध में कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 28 नवम्बर, 2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के मूल नियम 56 का संशोधन

2–समय–समय पर यथा संशोधित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 में, विद्यमान नियम 56 (क) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

56 (क) इस नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करे, के अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु कोई सरकारी सेवक, जिसकी जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक, जिसने नवम्बर, 2001 के प्रथम दिवस को या उसके पूर्व अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा विस्तार पर हो, अपनी विस्तारित सेवा अवधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

(क–1) किसी सरकारी सेवक को सेवा में साठ वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा :

परन्तु यह कि किसी ऐसे सरकारी सेवक, जो आय–व्ययक कार्य व्यवहृत कर रहा हो, या किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो जिसे अल्प समयावधि में परिसमाप्त किया जाना हो, का सेवा विस्तार, लोक हित में सरकार द्वारा अनधिक तीन मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु यह और कि सरकार को किसी सरकारी सेवक के स्थायी होने की स्थिति में अन्यून तीन मास या उसके अस्थायी होने की स्थिति में एक मास की लिखित नोटिस देकर या ऐसी नोटिस के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का अधिकार होगा।

विधिमान्यकरण

3–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचना संख्या जी0–2–605/दस–534(19)-57, दिनांक 27 जून, 2002 के निबन्धनों में नियम 56 के उक्त खण्ड (क) के अधीन या तत्सम्बन्ध में कृत या की गयी तात्पर्यित कोई बात और की गयी या किये जाने हेतु तत्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित और विधिमान्यकृत उक्त नियम 56 (क) के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु, और सदैव से कृत या की गयी समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव विधिमान्यकृत समझी जायेंगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान् समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[11:35] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा की सिफारिशें रह गयी थीं, उसको मैं पढ़ दूँ।

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 मार्च, 2021 की बैठक में सिफारिश की है कि दिनांक 04 मार्च, 2021 को निम्नलिखित विधेयकों की विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जाय :-

1-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021

2-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

3-उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल-56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021

शेष कार्यक्रम यथावत रखा जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[11:36] वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक की समस्त अनुदानों की मांगों एवं मतदान सम्बन्धी मदों पर आज ही विचार किये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता बसपा, मा0 नेता कांग्रेस और मा0 नेता सुहेलदेव समाज पार्टी ने बजट के बारे में जो कुछ कहा है, उससे मैं पूरी तरीके से असहमति व्यक्त करता हूँ। मा0 योगी जी की सरकार का यह चौथा बजट सर्वहितकारी, सर्वकल्याणकारी, हर वर्ग, हर समुदाय और खासतौर से जो ''सबका साथ, सबका विकास'' का नारा है, उसको पूर्ण रूप से चरितार्थ किया गया है। हर स्तर पर यह सोचा गया कि बिना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी भेद-भाव के सभी का कल्याण हो। मान्यवर, इसलिए मैं समझता हूँ कि बजट का पास होना जरूरी है। अब मैं आपकी अनुमति से अनुदान माँगों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, पहले आप यह प्रस्ताव ले आएं कि आय-व्ययक के समस्त अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान की मदें आज ही ले ली जाएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ठीक है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के समस्त अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान की मदें आज ही ले ली जाएं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के समस्त अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान की मदें आज ही ले ली जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[11:37] वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँग पर मतदान अनुदान सं0-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 95

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये पाँच लाख चार सौ उन्नीस करोड़ सत्तर लाख तिरसठ हजार (रुपये 5,00,419,70,63,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। जिसका विवरण निम्नवत्त है :-

अनुदान संख्या-**01-आबकारी विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **3375814000** रुपये **(तीन सौ सैंतीस करोड़ अट्ठावन लाख चौदह हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**02-आवास विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **33505431000** रुपये **(तीन सौ पचास करोड़ चौवन लाख इकतीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या-**03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **8835045000** रुपये **(आठ सौ तिरासी करोड़ पाचस लाख पैंतालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **599955000** रुपये **(उनसठ करोड़ निन्यानवे लाख पचपन हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **1081251000** रुपये **(एक सौ आठ करोड़ बारह लाख इक्यावन हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **3438433000** रुपये **(तीन सौ तैंतालीस करोड़ चौरासी लाख तैंतीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **1525065529000** रुपये **(पन्द्रह हजार दो सौ पचास करोड़ पैंसठ लाख उन्तीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **2117221000** रुपये **(दो सौ ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**09-ऊर्जा विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **296399767000** रुपये **(उन्तीस हजार छः सौ उन्नातलीस करोड़ सत्तानवे लाख सड़सठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **12132068000** रुपये **(एक हजार दो सौ तेरह करोड़ बीस लाख अड़सठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **63150507000** रुपये **(छः हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ पांच लाख सात हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **7408612000** रुपये **(सात सौ चालीस करोड़ छियासी लाख बारह हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **173712817000** रुपये **(सत्रह हजार तीन सौ इकहत्तर करोड़ अट्ठाइस लाख सत्रह हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **132660133000** रुपये **(तेरह हजार दो सौ छियासठ करोड़ एक लाख तैंतीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **20608275000** रुपये **(दो हजार दो साठ करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **2031237000** रुपये **(दो सौ तीन करोड़ बारह लाख सैंतीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **3609371000** रुपये **(तीन सौ साठ करोड़ तिरानवे लाख इकहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **8455923000** रुपये **(आठ सौ पैंतालीस करोड़ उनसठ लाख तेइस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **510603000** रुपये **(इक्यावन करोड़ छः लाख तीन हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **1280735000** रुपये **(एक सौ अट्ठाइस करोड़ सात लाख पैंतीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**21-खाद्य तथा रसद विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **181019623000** रुपये **(अट्ठारह हजार एक सौ एक करोड़ छियानवे लाख तेइस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**22-खेल विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **2547569000** रुपये **(दो सौ चौवन करोड़ पचहत्तर लाख उनहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **2918608000** रुपये **(दो सौ इक्यानवे करोड़ छियासी लाख आठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **2918608000** रुपये **(दो सौ इक्यानवे करोड़ छियासी लाख सत्तासी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**25-गृह विभाग (कारागार)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **12044098000** रुपये **(एक हजार दो सौ चार करोड़ चालीस लाख अट्ठानवे हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**26-गृह विभाग (पुलिस)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **302028748000 (तीस हजार दो सौ दो करोड़ सत्तासी लाख अड़तालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **231544000 (तेइस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **3690484000 (तीन सौ उनहत्तर करोड़ चार लाख चौरासी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशलय तथा अन्य व्यय)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **70060000 (सात करोड़ साठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **87107273000 (आठ हजार सात सौ दस करोड़ बहत्तर लाख तिहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **104322580000 (दस हजार चार सौ बत्तीस करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **13658459000 (एक हजार तीन सौ पैंसठ करोड़ चौरासी लाख उनसठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **5677099000 (पांच सौ सड़सठ करोड़ सत्तर लाख निन्यानवे हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **87408715000 (आठ हजार सात सौ चालीस करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **11472924000 (एक हजार एक सौ सैंतालीस करोड़ उन्तीस लाख चौबीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**37-नगर विकास विभाग** के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **200669847000 (बीस हजार छियासठ करोड़ अट्ठानवे लाख सैंतालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**38-नागरिक उड्डयन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **23071902000** रुपये **(दो हजार तीन सौ सात करोड़ उन्नीस लाख दो हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**39-भाषा विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **474459000** रुपये **(सैंतालीस करोड़ चौवालीस लाख उनसठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**40-नियोजन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **41857464000** रुपये **(चार हजार एक सौ पचासी करोड़ चौहत्तर लाख चौंसठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**41-निर्वाचन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **5084449000** रुपये **(पांच सौ आठ करोड़ चौवालीस लाख उनचास हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**42-न्याय विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **52314595000** रुपये **(पांच हजार दो सौ इकतीस करोड़ पैंतालीस लाख पंचानवे हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**43-परिवहन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **4103679000** रुपये **(चार सौ दस करोड़ छत्तीस लाख उन्यासी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**44-पर्यटन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **10759153000** रुपये **(एक हजार पचहत्तर करोड़ इक्यानवे लाख तिरपन हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**45-पर्यावरण विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **143062000** रुपये **(चौदह करोड़ तीस लाख बासठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**46-प्रशासनिक सुधार विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **230728000** रुपये **(तेइस करोड़ सात लाख अट्ठाइस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**47-प्राविधिक शिक्षा विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **7124805000** रुपये **(सात सौ बारह करोड़ अड़तालीस लाख पांच हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 30078898000** रुपये **(तीन हजार सात करोड़ अट्ठासी लाख अट्ठानवे हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 97813058000** रुपये **(नौ हजार सात सौ इक्यासी करोड़ तीस लाख अट्ठावन हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 13576075000** रुपये **(एक हजार तीन सौ सत्तावन करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 36318627000** रुपये **(तीन हजार छः सौ इकतीस करोड़ छियासी लाख सत्ताइस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 47226163000** रुपये **(चार हजार सात सौ बाइस करोड़ इकसठ लाख तिरसठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 16840000** रुपये **(एक करोड़ अड़सठ लाख चालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 28723231000** रुपये **(दो हजार आठ सौ बहत्तर करोड़ बत्तीस लाख इकतीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**55-लोक निर्माण विभाग (भवन)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 2153985000** रुपये **(दो सौ पन्द्रह करोड़ उन्तालीस लाख पचासी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 3500000000** रुपये **(तीन सौ पचास करोड़ रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 26034300000** रुपये **(दो हजार छः सौ तीन करोड़ तैंतालीस लाख रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **213226770000** रुपये **(इक्कीस हजार तीन सौ बाइस करोड़ सड़सठ लाख सत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **4598583000** रुपये **(चार सौ उनसठ करोड़ पचासी लाख तिरासी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**60-वन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **15057440000** रुपये **(एक हजार पांच सौ पांच करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **185643243000** रुपये **(अट्ठारह हजार पांच सौ चौंसठ करोड़ बत्तीस लाख तैंतालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **632905206000** रुपये **(तिरसठ हजार दो सौ नब्बे करोड़ बावन लाख छः हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **2959083000** रुपये **(दो सौ पंचानवे करोड़ नब्बे लाख तिरासी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **3563612000** रुपये **(तीन सौ छप्पन करोड़ छत्तीस लाख बारह हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **125578000** रुपये **(बारह करोड़ पचपन लाख अठहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**67-विधान परिषद् सचिवालय** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **815820000** रुपये **(इक्यासी करोड़ अट्ठावन लाख बीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**68-विधान सभा सचिवालय** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **2435182000** रुपये **(दो सौ तैंतालीस करोड़ इक्यावन लाख बयासी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **11375687000** रुपये **(एक हजार एक सौ सैतीस करोड़ छप्पन लाख सत्तासी हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **5420734000** रुपये **(पांच सौ बयालीस करोड़ सात लाख चौंतीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **578677123000** रुपये **(सत्तावन हजार आठ सौ सड़सठ करोड़ इकहत्तर लाख तेइस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **138653690000** रुपये **(तेरह हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **36785624000** रुपये **(तीन हजार छः सौ अठहत्तर करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **23259017000** रुपये **(दो हजार तीन सौ पच्चीस करोड़ नब्बे लाख सत्रह हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **2356093000** रुपये **(दो सौ पैंतीस करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **7679131000** रुपये **(सात सौ सड़सठ करोड़ इक्यानवे लाख इकतीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**77-श्रम विभाग (सेवायोजन)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **1314829000** रुपये **(एक सौ इकतीस करोड़ अड़तालीस लाख उन्तीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**78-सचिवालय प्रशासन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 12500072000** रुपये **(एक हजार दो सौ पचास करोड़ बहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 27274903000** रुपये **(दो हजार सात सौ सत्ताइस करोड़ उनचास लाख तीन हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 55328077000** रुपये **(पांच हजार पांच सौ बत्तीस करोड़ अस्सी लाख सतहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 13357410000** रुपये **(एक हजार तीन सौ पैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**82-सतर्कता विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 857375000** रुपये **(पचासी करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 303629138000** रुपये **(तीस हजार तीन सौ बासठ करोड़ इक्यानवे लाख अड़तीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**84-सामान्य प्रशासन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 4312667000** रुपये **(चार सौ इकतीस करोड़ छब्बीस लाख सड़सठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**85-सार्वजनिक उद्यम विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 77914000** रुपये **(सात करोड़ उन्यासी लाख चौदह हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**86-सूचना विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि**ए 5764447000** रुपये **(पांच सौ छिहत्तर करोड़ चौवालीस लाख सैंतालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**87-सैनिक कल्याण विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **772693000** रुपये **(सतहत्तर करोड़ छब्बीस लाख तिरानवे हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**89-राज्य कर विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **11532461000** रुपये **(एक हजार एक सौ तिरपन करोड़ चौबीस लाख इकसठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**91-स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **4205663000** रुपये **(चार सौ बीस करोड़ छप्पन लाख तिरसठ हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**92-संस्कृति विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **1793142000** रुपये **(एक सौ उन्यासी करोड़ इकतीस लाख बयालीस हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **126825072000** रुपये **(बारह हजार छः सौ बयासी करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **135653051000** रुपये **(तेरह हजार पांच सौ पैंसठ करोड़ तीस लाख इक्यावन हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-**95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **53291515000** रुपये **(पांच हजार तीन सौ उन्तीस करोड़ पंद्रह लाख पन्द्रह हजार रुपये)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये पांच लाख चार सौ उन्नीस करोड़ सत्तर लाख तिरसठ हजार (रुपये 5,00,419,70,63,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)
(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी)

[11:40] उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021†

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021

31 मार्च, 2022 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2021 कहा जायेगा ।	**संक्षिप्त नाम**
2- ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रूपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 585910,42,77,000 रूपये (रुपये पाँच लाख पचासी हजार नौ सौ दस करोड़ बयालीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो ।	**उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2021-2022 के लिए 585910,42,77,000 रूपये का निकाला जाना**
3- इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं ।	**विनियोग**

† दिनांक 16 मार्च, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	33596.75	--	33596.75
		पूंजी :	161.39	--	161.39
02	आवास विभाग	राजस्व :	49442.31	9.66	49451.97
		पूंजी :	285612.00	115.36	285727.36
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	85562.84	6.00	85568.84
		पूंजी :	2787.61	--	2787.61
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	5594.55	--	5594.55
		पूंजी :	405.00	--	405.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	10812.51	--	10812.51
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	34384.32	--	34384.32
		पूंजी :	0.01	--	0.01
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	325450.97	--	325450.97
		पूंजी :	1199614.32	--	1199614.32
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	20579.26	--	20579.26
		पूंजी :	592.95	--	592.95
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	2079613.93	363794.42	2443408.35
		पूंजी :	884383.74	439552.62	1323936.36
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	119525.78	227.40	119753.18
		पूंजी :	1794.90	--	1794.90
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	577890.59	20.05	577910.64
		पूंजी :	53614.48	--	53614.48
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	74086.12	--	74086.12

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	347558.17	17.50	347575.67
		पूंजी :	1389570.00	--	1389570.00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1286006.25	--	1286006.25
		पूंजी :	40595.08	--	40595.08
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	186601.52	13.79	186615.31
		पूंजी :	19481.23	--	19481.23
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	12312.37	--	12312.37
		पूंजी :	8000.00	--	8000.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	36093.71	9.50	36103.21
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	77059.23	1538.12	78597.35
		पूंजी :	7500.00	3325.18	10825.18
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1106.03	--	1106.03
		पूंजी :	4000.00	--	4000.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	12807.35	10081.82	22889.17
		पूंजी :	--	231.44	231.44
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	49990.74	6.00	49996.74
		पूंजी :	1760205.49	0.50	1760205.99
22	खेल विभाग	राजस्व :	15545.23	--	15545.23
		पूंजी :	9930.46	--	9930.46
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	26886.08	2.00	26888.08
		पूंजी :	2300.00	--	2300.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	8824.87	--	8824.87
		पूंजी :	63937.00	--	63937.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	87067.85	10.00	87077.85
		पूंजी :	33373.13	--	33373.13
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	2723413.38	105.00	2723518.38
		पूंजी :	296874.10	--	296874.10
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	2315.41	--	2315.41
		पूंजी :	0.03	--	0.03
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	36854.84	--	36854.84
		पूंजी :	50.00	--	50.00
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	2334.36	2334.36
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	700.60	--	700.60
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	430494.33	--	430494.33
		पूंजी :	440578.40	--	440578.40
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	807676.23	20.00	807696.23
		पूंजी :	235549.57	--	235549.57
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	123525.28	--	123525.28
		पूंजी :	13059.31	--	13059.31
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	54665.98	--	54665.98
		पूंजी :	2105.01	--	2105.01
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	779390.44	35.00	779425.44
		पूंजी :	94696.71	--	94696.71
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	95664.38	2.00	95666.38
		पूंजी :	19064.86	--	19064.86
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	1966621.47	--	1966621.47

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	40077.00	--	40077.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	10119.02	--	10119.02
		पूंजी :	220600.00	--	220600.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	4744.59	--	4744.59
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	28723.14	--	28723.14
		पूंजी :	389851.50	--	389851.50
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	49594.48	--	49594.48
		पूंजी :	1250.01	--	1250.01
42	न्याय विभाग	राजस्व :	295479.92	68152.85	363632.77
		पूंजी :	227666.03	650.00	228316.03
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	33983.80	0.01	33983.81
		पूंजी :	7052.99	--	7052.99
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	12188.10	--	12188.10
		पूंजी :	95403.43	--	95403.43
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	1430.62	--	1430.62
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	2307.28	--	2307.28
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	51557.86	--	51557.86
		पूंजी :	19690.19	--	19690.19
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	239348.49	1.80	239350.29
		पूंजी :	61440.49	--	61440.49
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	952564.25	--	952564.25
		पूंजी :	25566.33	--	25566.33
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	122206.75	17.00	122223.75

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	13554.00	--	13554.00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	359186.27	--	359186.27
		पूंजी :	4000.00	--	4000.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	464484.45	22.50	464506.95
		पूंजी :	7777.18	7.88	7785.06
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	168.40	--	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	287177.83	4.00	287181.83
		पूंजी :	54.48	--	54.48
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	12345.00	719.00	13064.00
		पूंजी :	9194.85	80.00	9274.85
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	पूंजी :	35000.00	--	35000.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	14100.00	--	14100.00
		पूंजी :	246243.00	--	246243.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	604385.70	15010.29	619395.99
		पूंजी :	1527882.00	9500.00	1537382.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	35307.72	--	35307.72
		पूंजी :	10678.11	--	10678.11
60	वन विभाग	राजस्व :	93688.66	13.70	93702.36
		पूंजी :	56885.74	--	56885.74
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1780923.43	4159914.02	5940837.45
		पूंजी :	75509.00	3443852.76	3519361.76
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	6319452.06	111.31	6319563.37
		पूंजी :	9600.00	--	9600.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	29265.83	--	29265.83
		पूंजी :	325.00	--	325.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	34143.12	--	34143.12
		पूंजी :	1493.00	--	1493.00
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	1255.78	21255.45	22511.23
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	7318.45	100.55	7419.00
		पूंजी :	839.75	--	839.75
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	22503.19	180.20	22683.39
		पूंजी :	1848.63	25.00	1873.63
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	95610.87	--	95610.87
		पूंजी :	18146.00	--	18146.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	52207.34	--	52207.34
		पूंजी :	2000.00	--	2000.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	5748087.12	--	5748087.12
		पूंजी :	38684.11	--	38684.11
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	1337804.89	--	1337804.89
		पूंजी :	48732.01	--	48732.01
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	331661.71	--	331661.71
		पूंजी :	36194.53	--	36194.53
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	230908.56	--	230908.56
		पूंजी :	1681.61	--	1681.61
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	22101.70	--	22101.70
		पूंजी :	1459.23	--	1459.23

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	49720.31	--	49720.31
		पूंजी :	27071.00	--	27071.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	12957.88	--	12957.88
		पूंजी :	190.41	--	190.41
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	124109.72	--	124109.72
		पूंजी :	891.00	--	891.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	256762.20	--	256762.20
		पूंजी :	15986.83	--	15986.83
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	553280.77	--	553280.77
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	99759.99	--	99759.99
		पूंजी :	33814.11	--	33814.11
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	8518.74	870.43	9389.17
		पूंजी :	55.01	30.10	85.11
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1737871.44	--	1737871.44
		पूंजी :	1298419.94	--	1298419.94
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	2955.67	--	2955.67
		पूंजी :	40171.00	--	40171.00
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	779.14	--	779.14
86	सूचना विभाग	राजस्व :	55543.47	--	55543.47
		पूंजी :	2101.00	--	2101.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	7146.93	--	7146.93
		पूंजी :	580.00	--	580.00

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
89	राज्य कर विभाग	राजस्व :	112274.61	6545.50	118820.11
		पूंजी :	3050.00	--	3050.00
91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	41946.63	0.02	41946.65
		पूंजी :	110.00	--	110.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	9401.38	0.05	9401.43
		पूंजी :	8530.04	--	8530.04
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	62595.72	--	62595.72
		पूंजी :	1205655.00	--	1205655.00
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	540556.00	--	540556.00
		पूंजी :	815974.51	500.00	816474.51
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	532915.15	50.00	532965.15
	योग :	राजस्व :	36483153.80	4651201.30	41134355.10
		पूंजी :	13558816.83	3897870.84	17456687.67
	महायोग :		50041970.63	8549072.14	58591042.77

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

[11:43] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 106 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये सभी सूचनाएं स्वीकृत हुईं।

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि नियम-51 की सभी सूचनाओं को वक्तव्य हेतु स्वीकृत कर दीजिए ताकि सरकार की तरफ से उसका जवाब आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपके सुझाव पर विचार कर लिया जायेगा। आज नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित कुल 106 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। समस्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पहली सूचना श्री रामगोविन्द चौधरी की प्रदेश के कतिपय विभागों में समूह घ के कर्मचारियों को विनियमित किये जाने एवं पेंशन का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में क्षतिग्रस्त विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स बदले जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्या की भू-माफियाओं द्वारा जमीन क्रय में की गई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर की डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक, मूल्यांकन विभाग द्वारा महिला उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा की जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा की जनपद जालौन के ग्राम छिरावली में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभ क्षेत्र कालपी में कतिपय मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के जामिया अरबिया में फर्जी नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर नगर स्थित उर्सला सिविल लाइन्स में पानी टंकी एवं झकरकटी टंकी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड धानी में असंवैधानिक तरीके से की गई नीलामी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में 300 बेडों के अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री आशीष कुमार सिंह पटेल ''आशू''

की नगर पालिका परिषद मल्लावां, हरदोई के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित व्यक्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज के सिसवां बाजार गन्ना समिति एवं गडौरा गन्ना समिति को अलग-अलग कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की राजकीय मेडिकल कालेज में रोक के बावजूद भी चाइना मेड उपकरणों की खरीद के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की होमगार्ड विभाग के अवैतनिक कर्मचारियों को वेतन भत्ता एवं लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के खड्डा में होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री निर्मला शंखवार की कानपुर देहात में रसूलाबाद में राज्य मार्गों को रिंग रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद लखनऊ के आई0आई0एम0 रोड के कतिपय पोल हटाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया की जनपद बदायूं की सिंचाई परियोजना हेतु शेष भूमि अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली में पीलिया नदी को संरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत एप्रोच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की उ0प्र0 में आई0सी0एस0ई0 एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों के अभिभावकों की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री श्रीकांत कटियार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में राजकीय आई0टी0आई0 स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड बहुआ में पालीटेक्निक कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री बीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्द्राराऊ में ट्रामा सेन्टर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री महेश कुमार गोयल की जनपद आगरा में राजकीय कन्या इन्टर कालेज, खेरागढ़ को भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू की जनपद देवरिया के देवरिया ब्लॉक में नया बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री काली प्रसाद की जनपद देवरिया में कतिपय मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत की जनपद महोबा के अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका अध्यक्ष, चरखारी, महोबा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर में विद्युत सब स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत ग्रीन बेल्ट पार्क के अन्तर्गत अधिग्रहीत योजना से भूमि मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के रुदौली के दो चिकित्सालयों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह

राठौर की जनपद एटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में कान्हा गौशालाओं को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के जिला विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद सीतापुर में निर्मित सड़क की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्धी पम्प कैनाल का जीर्णोद्धार व पक्कीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के फरीदपुर में पहुँच मार्ग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में फाटक/अन्डर ब्रिज/ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर में किसानों के खेतों में दूषित पानी पहुँचाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा की जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत तालाब का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के कटरा के अन्तर्गत काश्तकारों को चकबन्दी का लाभ दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम ''राईनी'' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती में सी0ओ0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई के विकास खण्ड टड़ियावाँ के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा में ट्रांसफार्मरों को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री नईम उल हसन की जनपद मेरठ के अन्तर्गत भू-अभिलेखों में नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में स्कूलों का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री हरिशंकर माहौर की चिकित्सा अनुभाग-7 एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय की मिलीभगत से किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे की चिकित्सा अनुभाग-7 एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय की मिलीभगत से किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री नाहिद हसन की निरीक्षक थाना कोतवाली कैराना द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद जौनपुर के शाहगंज में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर के पंजीकृत व्यापारियों को पेंशन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री हरिओउम यादव की प्राविधिक शिक्षा

निदेशालय में निदेशक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नया विद्युत सब स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के जंगीपुर में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के मुँगरा बादशाहपुर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ढबिया नाले पर निर्मित पुल की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर के जिला अस्पताल तथा सामुदायिक केन्द्रों पर एन्टी रेबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री रफीक अन्सारी की जनपद मैनपुरी के तहसील भोगाँव में भू-माफियाओं से भूमि मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद लखनऊ के सेन्टर फॉर न्यूरो साइंस एण्ड ट्रामा अस्पताल की लापरवाही से हुई मृत्यु की जाँच कराते हुए डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री लकी यादव की जनपद मेरठ के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की श्रीमती पुष्पांजलि मित्रा गौतम ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री महेश कुमार गोयल की यू0पी0 रेरा द्वारा वादों की सुनवाई प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री संजीव कुमार गौड़ की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में इंटर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जंग बहादुर सिंह इंटर कालेज में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के लालगंज में कतिपय सड़कों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में मेट्रो रेल परियोजना को विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री सोहिल अख्तर अंसारी की जनपद कानपुर नगर के क्षेत्रवासियों को पेयजल की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सम्पत्तियों को फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर में कतिपय ग्रामों को चकबन्दी प्रसार में शामिल कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत लालगंज टाउन एरिया हेतु बाई-पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के ऊँचाहार में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत की प्रदेश में विद्युत दुर्घटनाओं एवं किसानों की जमीनों का मुआवजा एवं लाभांश दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल हेतु आर0ओ0बी0 से फ्लोरलीफ के निर्माण के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना मौ0 फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद के बिलारी नगर में दरगाह एवं मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नासवीं सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना पं0 राधाकृष्ण शर्मा की जनपद हरदोई निवासी मारूफ को अपराधी आफाक से लगातार मिल रही धमकी के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की जनपद सीतापुर में राम जानकी मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के सफीपुर में कतिपय मार्ग एवं नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के दुबग्गा में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री हरी राम की एन0सी0एल0 परियोजना की कम्पनियों द्वारा नियम संगत रोजगार न दिये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना डॉ0 लीना तिवारी की सिंचाई विभाग में व्याप्त भष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को अनावश्यक परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' की जनपद मेरठ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री राज कुमार पाल की जनपद बागपत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की सेवानिवृत्त लिपिक मदरसा दर्सगाहे आलिया इस्लामिया मुरादाबाद की पेंशन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री पल्टू राम की जनपद बलरामपुर में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद लखनऊ की महानगर कालोनी की जर्जर हालत के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना डॉ0 संग्राम यादव की जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा में धांधली की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद लखनऊ के हबीरपुर नीलमथा में सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चानबेवीं सूचना श्री जमुना प्रसाद सरोज की सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा किये गये घोटाले की जाँच टी0एस0सी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम राईनी (एडवोकेट) की उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र की जनपद हमीरपुर के गोहाण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठान्नबेवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिरजापुर में

चील्ह से पुतली घर तक फोर-लेन सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्रीमती राजबाला की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहाबाद रामपुर में व्याप्त अराजकता के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की प्रदेश में कार्यरत लाखों शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनद इटावा के भरथना में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री विनय शाक्य की थाना अतरौली के गाटा संख्या-806 में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद गाजियाबाद के मण्डी परिषद के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट के मानिकपुर के महाविद्यालय की जर्जर बिल्डिंग को पुनर्निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवीं सूचना श्रीमती गरिमा सिंह की जनपद अमेठी में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा एक सौ छठवीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित नर्सरी स्कूल हेतु आरक्षित भू-खण्ड को श्रीराम पब्लिक स्कूल के पक्ष में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है।

[11:43] सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार

श्री अध्यक्ष-

इस साल के सत्र में सदन की कार्यवाही बहुत सुन्दर और निर्बाध रूप से चली। बहुत सुखद वातावरण में प्रश्नकर्ता भी बहुत शालीन और मर्यादित रहे और उत्तरदाता भी। एक बहुत सुन्दर वातावरण में आज हम लोग सदन की कार्यवाही समाप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष के सभी माननीय सदस्य या मंत्रिगण हैं, उन सबके बीच स्वाभाविक ही जब हम विदा होते हैं तो थोड़े भावुक हो जाते हैं, तो ऐसे अवसर पर मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी से अनुरोध करूँगा कि वह अपनी बात कहें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, अब क्या सत्र नहीं होगा ? यह विदाई समारोह नहीं है। विदाई तो तब होती है जब सत्र नहीं होना होता है क्योंकि विदाई समारोह के बाद सदन नहीं बैठता है। हम यह सोच रहे थे कि लेखानुदान या भविष्य में शायद सदन बुलाया जायेगा लेकिन अब भगवान मालिक है।

माननीय अध्यक्ष जी, जितने दिन भी यह सदन चला, आपने सुचारु रूप से चलाया और यह महसूस नहीं हुआ विपक्ष को भी कि आप हमारे गार्जियन नहीं हैं। पूरा संरक्षण दिया आपने, इसलिए हम लोग आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पहली दफे कल माननीय नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाषण दिया तो उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। (किसी सदस्य के टोकने पर) हलुवा आ रहा है। हलुवा चाहे हम मँगायें, चाहे विपक्ष मँगाये, उमाशंकर जी मँगायें लेकिन आप खाना ही नहीं चाहते। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई

देता हूँ कल के भाषण के लिये कि कम से कम विपक्ष का गला उन्होंने छोड़ दिया। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनके आज बजट पास होने पर भी उनको वित्त मंत्री के रूप में बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जो इन्होंने सदन का संचालन आपके माध्यम से करवाया वह भी अद्वितीय था। हम लोगों की बातों को सुना गंभीरता से, जो इनको करने की जितनी हैसियत थी, उसको करा भी, जो नहीं करने की हैसियत थी, उसके लिए आश्वासन दिया कि हम मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे, इसके लिए मैं इनको संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बहुत-बहुत बधाई देता हूँ (मेजों की थपथपाहट) सभी माननीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, जिन्होंने कोशिश की माननीय सदस्यों के उत्तर सही तरीके से दें और उसमें कहीं बाधा भी उत्पन्न हुई तो मैंने महसूस किया कि कोई भी मंत्री बोलते समय गर्म, सर्द और उस तरीके का भाव नहीं प्रदर्शित किया। इसलिए मैं सभी मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

जितने भी माननीय सदस्य हैं और क्योंकि लम्बे अरसे से मैं इस सदन में आ रहा हूँ। मैंने देखा कि जो नये विधायक चुनकर आये हैं, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात यहाँ सदन में रखी और पक्ष और विपक्ष का आलोचना तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अपने विधान सभा के क्षेत्रों की बात को बहुत अच्छी तरीके से रखा। इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे विपक्ष के साथी बसपा विधान मण्डल के नेता माननीय लाल जी वर्मा जी की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि नेता विरोधी दल तो मैं हूँ लेकिन मार्गदर्शन यदा-कदा यह हमारा करते रहे। कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता आराधना मिश्रा जी का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने नेता विरोधी दल के तौर पर हमको हमेशा सहयोग देने का काम किया। माननीय नेता, भाजपा का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी नेता विरोधी दल के तौर पर हमारा सहयोग किया। अब जब अंतिम भाषण हो रहा है तो दुःख व्यक्त करने की तो कोई बात है ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, दो-तीन बातें हमको कहनी हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को बजट सत्र के दौरान सुबह जल्दी आकर देर रात तक कार्य करना पड़ता है। कई वर्षों से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट सत्र में मेहनत, लगन एवं निष्ठापूर्वक काम करने के फलस्वरूप अधिकारियों और कर्मचारियों को मानदेय दिया जाता रहा है। विगत बजट सत्र 2020-21 में माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा 11,500 रुपये पुरस्कार के रूप में प्रदान किये गये थे। विगत वर्षों की भांति महँगाई को देखते हुए पुरस्कार धनराशि में एक हजार रुपया बढ़ा दिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करेंगे, समस्त विधान सभा कर्मी आपके आभारी रहेंगे।

उत्तर प्रदेश सचिवालय और उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् के जो समीक्षा अधिकारी हैं उनका एच0आर0ए0 (हाउस रेन्ट) एक है, जबकि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा जो भवन आवंटित किये जा रहे हैं उसमें भेदभाव बरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के

समीक्षा अधिकारियों को टाइप-3 और विधान सभा, विधान परिषद् के समीक्षा अधिकारियों को टाइप-2 के आवास का आवंटन किया जा रहा है जोकि भेदभाव पूर्ण है, इसको जरा आप दिखवा लीजियेगा। आपसे न्याय की उम्मीद भी है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दिनांक 27 फरवरी, 2021 को सदन में यह मामला लाया गया था जिस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में आश्वासन भी दिया था कि मामले पर विधिवत विचार किया जायेगा। आप सहृदय हैं, विचार भी करेंगे और इनके साथ न्याय भी हो जायेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अस्थाई रूप से जो कर्मचारी विधान सभा में काम कर रहे हैं। 4, 5, 6, 7 वर्ष हो गये हैं। इतनी उम्र तो उनकी बीत गई। कृपा करके उनको यहाँ बनाये रखियेगा। अगर नहीं बनाये रखियेगा तो फिर वह क्या करेंगे। 4, 5, 6 वर्ष काम करने के बाद वह बेकार हो जायेंगे। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूँ कि संविधान के अनुरूप गठित विधान सभा सचिवालय में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना हम लोग चाहते थे लेकिन उनको आप कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनको स्थाई रूप से काम करने का आप आदेश भी देंगे क्योंकि विधान सभा का काम बहुत बढ़ भी गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, अब तो बधाई हो रही है।

झूठ सच्चाई का हिस्सा हो गया है।
इक तरह से यह भी अच्छा हो गया है।।
उसने इक जादू भरी तकरीर की।
कौम को नुकसान पूरा हो गया है।।

मैं पुनः आपको, माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, सभी माननीय मंत्रीगण को, सभी दल के नेतागण को, सभी माननीय सदस्यों को एक बार पुनः तहे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरे किसी शब्द से किसी को कष्ट हुआ हो, चाहे माननीय मुख्य मंत्री जी को, चाहे किसी माननीय मंत्रीगण को, चाहे किसी माननीय सदस्य को, चाहे आपको, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करेंगे कि किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल गयी हो जो आपको अच्छी न लगी हो तो मैं उसको भूलने के लिए आपसे आग्रह करता हूँ और पुनः सबको बहुत-बहुत बधाई। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभूतपूर्व बजट पास किया, उसके लिए आपको बार-बार बधाई, बार-बार बधाई, बार-बार बधाई।

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने को माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करता हूँ। हम लोग यह सोचकर आये थे कि बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने आज ही सत्रावसान या सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का विचार बना लिया है। अच्छा होता कि अगर यह सदन 10 मार्च तक चलता, लेकिन फिर भी इस बार का सत्र पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अच्छा चला। साथ ही साथ मैं सबसे ज्यादा आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में, अध्यक्षता में जितने दिन भी सत्र चला, अच्छे ढंग से चला। सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का, नेता कांग्रेस का, नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, नेता अपना दल का और सभी माननीय मंत्रीगण का, सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से कम दिन ही सही, लेकिन जितने दिन भी चला, वह सुचारु ढंग से, अच्छे ढंग से चला। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सबको बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मेरा जो विचार है, और व्यक्तिगत रूप से मैं जिस तरह से सदन को वाद-विवाद का मंच समझता हूँ, इस बार मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम दिन ही सही, लेकिन उस परम्परा का निर्वहन हुआ है और ठीक ढंग से सदन चला है। इस तरह से चलने के बाद भी हमें अपेक्षा थी कि इतने बढ़िया ढंग से चल रहा है, देर रात तक चला, 8-9 बजे तक भी चला, कल रात 10 बजे तक भी चला, उसमें भी सभी लोगों ने यहां रहकर हिस्सेदारी करने का काम किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय वित्तमंत्री जी का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने विपक्ष की बातों का संज्ञान लेने का काम किया है और जिन बिन्दुओं पर आश्वासन देना चाहिए था, उसमें उन्होंने कोई हीलाहवाली नहीं की। उस पर उन्होंने आश्वासन देने का काम किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज अभूतपूर्व ढंग से जो बजट पास किया गया है, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ।

अच्छे ढंग से हिस्सा लेते हैं और अपनी बात को जो उनकी आवश्यकता है, जो उनका नैतिक कर्तव्य है, उस दिशा में उन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया तो मैं आपका और अधिष्ठाता मण्डल के सभी सदस्यों का जिन्होंने आपकी अनुपस्थिति में वहाँ पर रहकर सदन को संचालित करने में सहयोग किया, उनको भी आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बहुत-बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरह से सदन में हम सब जिसमें विशेषकर आपका संरक्षण हम सबको मिला पांचवाँ बजट सेशन था जो नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, माननीय नेता बसपा श्री लालजी वर्मा ने अपनी बात रखी, उससे सम्बद्ध करते हुए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपका संरक्षण सदन के सभी सदस्यों को मिला, खासकर विपक्ष को मिला जिसमें हम सब अपनी बात इस सदन में रख पाए, इसके लिए आपका आभार है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का, जिन्होंने आज बजट जिन भी परिस्थितियों में जैसे भी

उसको पास कराया, वह अलग बात है, पर मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। सारी बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा ने कह दी है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ। आज सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ, हम सब चाहते थे कि जितना लम्बा सदन चलेगा, उसमें पक्ष-विपक्ष के सारे सदस्य बोलेंगे, अपनी बात को कहेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, वह हक आज छीन लिया गया, पर कम से कम जब बजट हो रहा था तो मुझे उम्मीद थी कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी सरकार की तरफ से इन सदस्यों के बारे में सोचकर इनको घर ले जाने के लिए कुछ तो तोहफा देंगे जिस तरह से आज अन्त में भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमारे सदस्यों, चाहे वह इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, उनकी बात को नजरअंदाज किया। मैं पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि यह वह सदस्य हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल की वजह से इस सत्र को संक्षेप में रखा जा रहा है।

याद कीजिए जब इतना बड़ा संवैधानिक संकट आया था, तब भी यह सारे सदस्य परिवार और अपने शुभचिंतकों के विरोध के बावजूद सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने सारे सदस्य आए थे जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। आज जब यह सदस्य वापस जाएंगे तो यह अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या लेकर जाएंगे, कम से कम इनके बारे में सोच लीजिए। मेरा पुनः अनुरोध है कि कम से कम दो-दो सौ हैण्ड पम्प इन सारे सदस्यों को दे दिया जाए। यह चुनाव का अन्तिम वर्ष है। यह जाएं तो अपने क्षेत्र में कुछ लेकर जाएं नहीं तो जब यह जाकर जनता को बताएंगे कि हवाई अड्डा बन गया, हवाई जहाज चलने वाला है तो क्षेत्र की जनता न तो इनकी बात सुनेगी, न हमारी बात सुनेगी। हमारे मुख्य मंत्री जी तो इतनी बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और हमेशा उनका हाथ देने के लिए उठता है, तो मैं अनुरोध करूँगी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कि कहें कि दो-दो सौ हैण्डपम्प और कम से कम 10-10 किमी0 सड़क सभी सदस्यों को दी जाए ताकि हम लोग अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें। इसके अतिरिक्त महंगाई का बोझ केवल जनता पर ही नहीं है इस सदन के सदस्यों के ऊपर भी है, उनका भी परिवार है। जो महंगाई भत्ता मिलता है, इसकी धनराशि पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। उसको भी बढ़ाना चाहिए कोरोना की मार सब पर पड़ी है, सदस्यों पर भी पड़ी हैं। मैं चाहती हूँ कि इसको भी बढ़ाने पर सरकार विचार करे। आपसे मेरा अनुरोध है कि इसकी सिफारिश माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से हम सभी सदस्यों की तरफ से कर दें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती लीना तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति और संसदीय कार्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करूँगी कि आपने सदन के बजट सत्र का संचालन बहुत ही कुशलतापूवक और विवेक से

किया, जिससे हम सभी पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों को बजट के विषय में अपनी बात रखने का अवसर मिला।

हम सभी नये सदस्यों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिला। लोकतंत्र के इस पवित्र मन्दिर में मैं यह बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि वित्त मंत्री जी के द्वारा जो वर्तमान बजट पेश किया गया है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ सम्मानित जनता के प्रति उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने पूरा का पूरा खरा उतरने का काम किया है। भारतीय संस्कृति का पोषक व सनातन धर्म की परम्पराओं को जिन्दा रखने वाला हमारा उत्तर प्रदेश मा0 यशस्वी मुख्य मंत्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली के कारण भारत का उत्तम प्रदेश बन गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं आपके प्रति, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति, मा0 नेता व सदन के प्रति, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता कांग्रेस, मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी, मा0 नेता सुहेलदेव पार्टी तथा पक्ष व विपक्ष के समस्त सम्मानित सदस्यगण तथा सदन के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के प्रति अपनी पार्टी अपना दल (एस0) की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं अन्त में दो लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगी।

चिरागों को आँखों से महफूज रखना, सफर में न जाने कहाँ रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी-मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

***श्री कैलाश नाथ सोनकर-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम और हमारा दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा, नेता कांग्रेस के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं। मा0 सभी मंत्रिगण, आदरणीय सदस्यगण और मा0 अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा संरक्षण जो आपका प्राप्त हुआ, वास्तव में हमें लगा कि हमारे गार्जियन स्वरूप आप बैठे हैं और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई और इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कुशल नेतृत्व में सदन का संचालन हुआ, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से मा0 मुख्य मंत्री जी का और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का, आदरणीय सदन के मा0 सदस्यों का और हमारे उप मुख्य मंत्री परम आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही इस विधान सभा के प्रमुख सचिव और उनके सभी अधिकारी, कर्मचारी व सुरक्षा कर्मियों के प्रति भी आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा कि सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सदन को संचालित करने में अपना सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं और मेरी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपका और सभी का आभार प्रकट करती है और बहुत-बहुत धन्यवाद देती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका क्षमा प्रार्थी होते हुए कहना चाहूँगा कि मेरी एक बात छूट गयी थी कि आपके प्रमुख सचिव और सचिवालय के जितने भी अधिकारी-कर्मचारी हैं, आपके अधिकार में जितने सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनको भी मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपसे और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इन सुरक्षा कर्मियों की वेतन विसंगति भी है और ऐसा सुना जा रहा है कि छठे वेतनमान के बाद इनको पुलिस के साथ अटैच करने की योजना है, जबकि हमेशा से यह आपके अंग रहे हैं। सुरक्षा कर्मी विधान सभा अध्यक्ष के अंग हैं। विधान सभा में सुरक्षा कर्मियों का एक अलग कैडर है और उसी कैडर में इनको रहने दिया जाये, पुलिस के साथ इनको न जोड़ा जाये और इनकी वेतन विसंगतियों को दूर करके इनके साथ न्याय किया जाये। मैंने सभी को बधाई तो दे ही दी है। एक बार पुनः सबको बहुत-बहुत बधाई और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को पुनः बधाई। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, चिरागों को आँखों में महफूज रखना, सफर में न जाने कहाँ रात होगी। यह बहुत अच्छा शेर है। बशीर बद्र जी का शेर है। मान्यवर, नेता विरोधी दल...

श्री अध्यक्ष-

आपके पास एक विधेयक होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हाँ, मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से कहना चाहते हैं कि कुछ विधेयक बिलकुल अप्रासंगिक हो गये हैं। प्रचलन में नहीं हैं, उपयोगिता भी नहीं है। लॉ कमीशन की सिफारिश आई है निरसन की कि इसको समाप्त किया जाये तो मा0 अध्यक्ष जी अगर आपकी अनुमति हो तो (नेता विपक्ष एवं नेता बहुजन समाज पार्टी द्वारा बीच में बोलने का प्रयास किया गया) ठीक है, मैं समझ गया। पुरःस्थापित तो कर ही दें ?

श्री अध्यक्ष-

हाउस अभी स्थगित नहीं हुआ है।

श्री लालजी वर्मा-

दुबारा आप बैठेंगे, तब कर लीजियेगा। जब यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो दुबारा कर लीजियेगा, इससे कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा।

[12:34] उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021†

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 को पुनःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन संचालन हेतु आभार प्रकट करने के पश्चात् नई मद लिये जाने पर आपत्ति

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह पूरी तरह से गलत है।

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

यह अभी आ गया।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो अधिकारी आपको लाकर ये दिये हैं आपको उसको दण्डित करना चाहिए कि जब बधाई और धन्यवाद प्रस्ताव हो गया है तो उसके बाद वह आपको लाकर क्यों दिया गया ?

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी यह एक बिल्कुल गलत परम्परा डाली जा रही है। सारी गलत परम्पराओं का रिकार्ड आपने तोड़ दिया है लेकिन यह पूरी तरह से गलत परम्परा है कि जब हम उठने जा रहे हों और आप अनिश्चितकाल के लिए उठने से पहले धन्यवाद देने के लिए सबको पुकार लिये हों, उसके बाद कोई नई मद लेना ठीक नहीं है। मान्यवर, माफ करियेगा अगर आपकी अध्यक्षता में ऐसा निर्णय होगा तो यह बिल्कुल गलत होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गलत परम्पराओं में पूरी तरह विश्वास है और ये रिकार्ड पर रिकार्ड स्थापित कर रहे हैं। संसदीय मर्यादाओं की धज्जियाँ पर धज्जियाँ उड़ाते जा रहे हैं लेकिन मान्यवर, अगर यह होता है तो यह उससे भी ज्यादा गलत हो जायेगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात को कतई इजाजत देने का काम न करें। मान्यवर, यह दुबारा आ जायेगा, हमारे अधिकारों का इतना हनन मत करिये, हमें उस पर अपने विचार रखने हैं। मान्यवर, यह

---

† दिनांक 9 मार्च, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिल्कुल गलत हो जायेगा। आपसे निवेदन करना चाहूँगा और यह आपकी मर्यादा के अनुकूल भी नहीं होगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए इजाजत न दें। अगली बैठक में फिर आ जायेगा, इससे कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है और अगर जरूरत होगी तो अध्यादेश ले आयेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बैठ जाइये, मेरी बात सुन लीजये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी मैं यह कह रहा हूँ कि हम लोग यह सोचकर वापस आये कि आज सदन उठ रहा है, हम लोग राष्ट्रगान में सम्मिलित होने के लिए आये थे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें हो गयीं लेकिन फिर क्यों आप ऐसा कर देते हैं कि सब खराब हो जाता है। हमने आपकी इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ किसी संसदीय कार्य मंत्री की यहाँ से नहीं हुई होगी जितनी मैंने कर दी है और करता भी हूँ। इसके बावजूद आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम मत करिये।

सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार (क्रमागत)

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

ठीक है, आप बैठ जायें। मा0 अध्यक्ष जी, आज हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपके कुशल संचालन में, मैं और आप जैसे संरक्षक के मार्गदर्शन में यह सदन लगातार बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित हुआ, हम लोगों का यह सौभाग्य है कि आप जैसा माननीय अध्यक्ष मिला, जो चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे साहित्य के विभिन्न पहलू हों, सभी प्रकार से आप बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी हैं और हर विषय के ऊपर आप अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं, यह हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम यह जरूर चाहेंगे कि आपका संरक्षण बराबर बना रहे। मान्यवर, नेता विरोधी दल इस सदन के सबसे पुराने सदस्य हैं। जब यह 1977 में आते थे तो यहाँ गेट पर इनको पुलिस वाले रोक देते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो ? तो यह बताते थे, अपना परिचय देते थे कि हम विधायक हो गये हैं और इसलिए हमको रोका नहीं जाना चाहिए। तब यह कई लोगों की गवाही के बाद अंदर आ पाते थे। जब लोग इनको वेरीफाई करते थे कि हाँ यह वास्तव में विधायक हो गये हैं तभी इनकी इन्ट्री अंदर होती थी लेकिन नेता विरोधी दल अब धीरे-धीरे सुधर रहे हैं और आज इनका सुधार का रवैया सीट से दिखाई पड़ा। इसके लिए हम इनको बहुत बधाई देते हैं क्योंकि उधर से हमेशा शोले आते थे। हम तो कहते थे कि हमें चिंगारी न इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन शोलों के आगे चिंगारी ठहर नहीं पाती थी इसलिए हम विशेष रूप से इनको बधाई देते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी प्रकार से ईश्वर इनको ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रेरणा देता रहे कि और अधिक जनसेवी भावना से काम करते रहें और शोले फेंकना बंद करें और कम से कम एक बात जरूर करें कि सदन में जिस बात की यह वकालत करते रहे कि यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके, सत्य बोला करें। वैसे आज इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और मुझे लगा कि वास्तव में संसदीय परम्पराओं को इसी प्रकार निर्वहन करना चाहिए, मैं भी काफी दिनों से सदन में हूँ और यह दिन जब भी सत्र समाप्त होता है तो इसी प्रकार आता कि हम जब भी बैठते हैं, मिलते हैं तो खुशी होती है और जब सदन क्लोज होता है तो थोड़ा सा लगता है कि एक लगातार चलने वाली परम्परा है, उससे थोड़ा सा तकलीफ भी होती है। माननीय वर्मा जी बहुत विद्वान हैं। बहुत अधिक जानकार हैं। लेकिन कभी-कभी वर्मा जी ऐसी बात कहते हैं जिसके ऊपर कमेन्ट करना लाजमी हो जाता है और मैं आज विशेष रूप से हमारा यह विश्वास है कि राजनीति को धर्म से अलग करना यह सबसे बड़ी गलती है। धर्म हमको कर्तव्य सिखाता है, धर्म हमको केवल अंधविश्वास नहीं सिखाता है, धर्म हमको प्रेरणा देता है, तमाम अच्छी बातों की प्रेरणा देता है। मान्यवर, हम न तो अंधविश्वासी हैं और न हम भाग्यवादी हैं, हम ईश्वरवादी तो जरूर हैं लेकिन पुरुषार्थ के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और हम अगर आज बजट पर बोलते तो हम इस बात का जवाब जरूर देते कि यह कम से कम इस बात को जरूर सोच लेना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में पहुंच गये। मान्यवर, पहले गंगा की कसम खाकर लोग झूठ नहीं बोलते थे। मान्यवर, गंगा क्या है, लेकिन आज अपनी माँ की कसम खाकर लोग झूठ बोलते हैं, यह ह्रास क्यों हुआ ?

यह गिरावट क्यों आई, हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देते हैं लेकिन गिरावट पूरे माहौल में आई है और मेरा विश्वास है कि हमने अपने आपको जितना धर्म से अलग किया, अपने कर्तव्यों से अलग किया, छोटे-बड़े के लिहाज से अलग किया, हम उतना पीछे चले गये। जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर धर्म पर विश्वास करते हैं। धर्म हमें ज्यादातर अच्छी बातें बताता है। घर में, परिवार में, खानदान में, गली-मुहल्ले में, स्कूल में सब जगह पर यह हमें अपना कर्तव्य बोध कराता है। हम तो पूरी तरीके से गीता के अनुयायी हैं। गीता के अट्ठारहवें अध्याय का चौदहवां श्लोक कहता है कि-

अधिष्ठानं तथाकर्ता करणं च पृथग्विधम्।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पज्जमम्।।

इसका स्पष्ट रूप से भावार्थ यह है कि किसी भी काम की पूर्ति के लिए पांच बातों की जरूरत होती है। एक स्थान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा विविध प्रकार की चेष्टायें और तब कहीं जाकर ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड जिसको हम मानते हैं, उसकी कृपा। यदि हम इसका ब्रेकअप करें और इसको बाइफरकेट करें तो 20 परसेन्ट स्थान का, 20 परसेन्ट कर्ता का, 20 परसेन्ट चेष्टाओं का, 20 परसेन्ट करण का स्थान होता है। इस प्रकार 80 परसेन्ट

स्थान पुरुषार्थ का है। मैं समझता हूँ कि जीवन की फिलासफी में सबको इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब हम किसी काम को पूरा करने के लिए चलते हैं और किसी उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं तो 80 परसेन्ट पुरुषार्थ और 20 परसेन्ट ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड जिसको भी मानते हैं उसकी कृपा और दया पर निर्भर करता है। हम इस सोच के अनुयायी हैं लेकिन पाखण्ड और अंधविश्वास जैसे शब्दों का प्रयोग हमारे लिए किया गया। इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि हमें अलौकिक जगत भी देखना है और सांसारिक जगत भी देखना है, लेकिन सांसारिक जगत में हम पूरी तरीके से इसके पक्षधर हैं कि हम जितना-जितना धर्म से अलग होंगे उतना ही हम अपने कर्तव्यों से विमुख होंगे और उतनी ज्यादा ही अराजकता बढ़ेगी। यह हमारा विश्वास है और हो सकता है कि हमसे कोई असहमति रखता हो, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को किसी हाल पर ना छोड़ें। हम आपकी बात से सहमत हैं कि राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से धर्म को किसी रूप में नहीं लाना चाहिये लेकिन धार्मिक मान्यताओं को अलग कर देना यह किसी प्रकार की बुद्धिमानी नहीं है। जैसा हम सोचते थे, वैसा हमने कह दिया, यह मेरा अपना विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वर्मा जी, सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और विधान परिषद में भी रहे हैं। यह अच्छे जानकार भी हैं। थोड़ी सी बात मन में थी इसलिए हम उसी दिन से कहना चाहते थे लेकिन आज मैंने कह दिया। इसके पीछे हमारी कोई दूसरी भावना नहीं है, लेकिन अपनी बात जरूर आनी चाहिये। फिर भी मैं हृदय से वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ और उनका आभारी हूँ कि सदन में कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है जब उनका विचार ही प्रवेल करता है। इसलिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। मान्यवर, कांग्रेस की नेता बहुत सौम्य, बहुत शिष्ट और बहुत कायदे-करीने से अपनी बात रखने वाली हैं। यह अच्छा है क्योंकि बाकी सदस्य सीनियर लोगों को देखते हैं और खासतौर से जो दल के नेता हैं उनका अनुसरण करके उसी प्रकार से बनने की कोशिश करते हैं। इनके पिता जी तो इस सदन में हमारे साथ बहुत वर्षों तक रहे हैं। वह लगभग 25 साल साथ में ही रहे होंगे लेकिन यह यहां पर एक अच्छी परम्परा का निर्वाह कर रही हैं जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारी बहन श्रीमती लीना तिवारी जी जो अपना दल की इस समय नेता हैं क्योंकि कई दिनों से नील रतन जी नहीं आ रहे हैं, तो विशेष रूप से वह उनके स्थानापन्न के रूप में फर्ज अदा कर रही हैं, उनके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं।

मान्यवर, हमारे सुहेलदेव समाज पार्टी के सदस्य ने जो कुछ भी कहा है उनको भी बधाई देता हूँ और सदन के जितने भी पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, सभी माननीय समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, हमारे अपना दल पार्टी के, सुहेलदेव पार्टी के तथा भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्रीगण का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी भी ऐसे मौके पर आ गये हैं, मैं विशेष रूप से उनको भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उनको भी कल बोलना था। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इस सदन की सबसे ज्यादा

इच्छा यह थी कि उनकी विधायक निधि को बहाल किया जाये। मान्यवर, जो धन क्वांटीफाई किया गया है, जिसे आज सदन ने पारित भी किया है। 15 सौ 12 करोड़ रुपया किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। 3 करोड़ रुपये की जो बात हुई थी, सभी लोगों को जो गाइडलाइंस विधायक निधि की हैं, उन्हीं के आधार पर खर्च करने का अधिकार दे दिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जायेगी। (सदन में मेजों की थपथपाहट)। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि उसका नाम है, वह आपके क्षेत्र विकास के लिए है। उसमें आप विकलांगों को साइकिल दें, चाहे 25 लाख रुपये तक बीमारों को सहायता दें या दूसरे किसी प्रांत में आवश्यकता पड़े, किसी दैवी आवश्यकता के लिए उसमें 5 लाख रुपये देने का प्रोवीजन है, वह भी दे सकते हैं। इसको स्थगित करने से पहले आप जिस प्रकार से उसको खर्च करते थे, आपको उसका अधिकार मिल गया है। मोना जी कह रही थीं कि हम लेके क्या जायेंगे ? कम से कम यह बता दीजियेगा कि योगी जी की सरकार ने जो स्थगित किया था, उसको बहाल कर दिया गया है।

मान्यवर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए आप नल मांग रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए बजट में 17 हजार करोड़ रुपये का प्रोवीजन है। 15 हजार करोड़ रुपये का ग्रामीण क्षेत्र में और 2000 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र के लिए है। भारत सरकार भी इसमें पूरा सहयोग करेगी। युद्ध स्तर पर हर घर नल योजना पूरे साल और उससे आगे भी चलेगी। इसलिए किसी को भी इस बात का गिला नहीं होना चाहिए कि हमको नल नहीं मिल रहा है। आपके घर में टोटी से पानी मिलेगा। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने दो-तीन बातों की ओर इशारा किया था। एक तो कर्मचारियों के लिए है। मान्यवर, यह तो आपका क्षेत्राधिकार है। यहां पर जो अस्थाई रूप से काम करते हैं। वह कई सालों से यहां रह गये हैं। यह तो आप ही को तय करना है। हमारी सहानुभूति उनके साथ पूरी है। साथ ही साथ विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को बजट सत्र में मेहनत, लगन और निष्ठा से कार्य करने के फलस्वरूप 2020 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 11500 रुपये दिये गये थे। हमने उसमें 1000 रुपये बढ़ाकर, 12500 रुपये की व्यवस्था जैसा कि विगत वर्षों की भांति 11500 प्लस 1000 यानी 12500 रुपये की पुरस्कार धनराशि दिये जाने की सहमति देता हूँ। एक बार फिर से हम सभी लोगों को बधाई देते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

[12:30] उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने जो धमाकेदार स्वागत किया है एक तरह से मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों ने अपेक्षा की है। मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन के सम्पूर्ण सदस्यों को यह आश्वस्त करता हूँ। वैसे सरकार के सभी विभाग अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं और उसका आप सबको अपने-अपने क्षेत्रों में लाभ भी मिल रहा है। लेकिन यह आश्वस्त

कर रहा हूँ कि सड़क के मामले में आप सब सदस्यों को, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, किसी को अपने क्षेत्र की जनता की शिकायत का सामना करके अगली बार यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कोई कहता है कि 05 किमी0, कोई कहता है 10 किमी0, मैं समझता हूँ कि सभी मा0 सदस्यों के क्षेत्र में प्रयास किया गया है कि बिना भेदभाव के जो सबका साथ, सबका विश्वास के रास्ते पर हमारी केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार चल रही है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मैं आप सबको भरोसा दिला रहा हूँ कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और जो प्रस्ताव आयेंगे उसमें प्राथमिकता के आधार पर आप सबके क्षेत्र में जो जरूरत है, उसको पूरा करने का काम किया जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, पिछली बार मैंने कहा था कि सभी मा0 सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में 10-10 करोड़ तक के प्रस्ताव दें तो मैंने कई क्षेत्रों में 100-100 करोड़ तक के काम करा दिये। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 करोड़ अलग से, तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि सभी प्रकार के आप प्रस्ताव दीजिये। चाहे वह नवनिर्माण के हों, चाहे वह सुधार के हों, चाहे चौड़ीकरण के हों, चाहे कोई छोटे पुल-पुलिया के हों, चाहे आर0ओ0बी0 के हों, चाहे नदी सेतु के हों, चाहे फ्लाईओवर के हों, कोई बाईपास के हों, आप सबको मैं खुला आह्वान करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सबको इस बात की शिकायत नहीं होगी कि आपके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि उनके क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया गया। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपके क्षेत्र में बनाकर देने का काम करेंगे। आप सब जो भी प्रस्ताव देंगे, मैं आप सबको भरोसा दिला रहा हूँ कि हमारी प्राथमिकता जनहित है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है।

अगर हम इधर और उधर के बीच में भेदभाव करते तो शायद हम न्याय नहीं कर पाते। हमारा प्रयास है कि इधर हों चाहे उधर हों, सभी जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हैं और सबको अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना होता है। मैं किसी मा0 सदस्य का उल्लेख करके यहाँ बताऊँ तो वह उचित नहीं लगता है क्योंकि पिछली बार मैं उल्लेख कर चुका हूँ। कोई मा0 सदस्य चाहें तो मेरे कार्यालय में जाकर अपने विधान सभा का नम्बर बताकर प्रिंट आउट लेकर आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितना काम हो चुका है ? बहुत सारे मा0 सदस्यों को ध्यान भी नहीं रहता है। वैसे मैं आपको आज जनपदवार किताब बनाकर देना चाह रहा था लेकिन वह आज नहीं तैयार हो पायी जिसके कारण से वह अब आपको आपके निवास पर भिजवाने का काम करेंगे कि आपके जनपद की जो विधान सभा है, प्रत्येक विधान सभा के अनुसार किन-किन सड़कों का निर्माण किया गया है, कितने लघु सेतु, कितने दीर्घ सेतु, कितने बाईपास, कितने फ्लाईओवर यह सारे विवरण के साथ हम आपको उपलब्ध कराने का काम करेंगे और आगे जो आप प्रस्ताव, अभी कोई 10 किमी0 कह रहे थे मैं तो कह रहा हूँ कि आप 20 किमी0 का प्रस्ताव दे दीजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 (क्रमागत)

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

(मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता बसपा एवं मा0 नेता कांग्रेस के द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, निरसन में क्या दिक्कत है, इसको हो जाने दें।

सदन संचालन हेतु आभार प्रकट करने के पश्चात् नई मद लिये जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, आप हम लोगों को निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए क्योंकि यह संभव नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको स्थगित कर दीजिए। यह सारी परम्पराओं को तोड़कर ही मानेंगे, क्या ? इसको बजट पास करने से पहले ही कर लेना चाहिए था।

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, जन-गण-मन से पहले हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अब आप यह चाह रहे हैं कि हम लोग जन-गण-मन में भी भाग न लें। आप वर्ष 1952 से लेकर आज तक देख लीजिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह अनुचित है क्योंकि आपने सारी परम्पराओं को ताक पर रख दिया है और हम लोग इसलिए आये थे क्योंकि हम लोग जन-गण-मन में शामिल होना चाहते थे। यह ठीक नहीं है। इसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हम जितनी मर्यादाओं का ख्याल रख रहे हैं, उतना ही मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हो। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मान गये थे लेकिन उन्होंने उसी बात को फिर से दोहरा दिया। हम तो आपका स्वागत कर चुके और आप फिर अलोकतांत्रिक से अलोकतांत्रिक कदम उठाते जा रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें अलोकतांत्रिक क्या है ?

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बधाई तब होता है जब अनिश्चितकाल का प्रस्ताव आने वाला होता है। आपने हम सभी को धन्यवाद देने के लिए बुला दिया।

श्री अध्यक्ष-

अभी अनिश्चितकाल का प्रस्ताव कहाँ आया है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अनिश्चितकाल का प्रस्ताव आया नहीं है। लेकिन आपने उसी आधार पर कहा है और बीच में नया प्रस्ताव ला रहे हैं। यह तो एकदम परम्परा का उल्लंघन है। मान्यवर, कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा लेकिन यह आपकी मर्यादा के खिलाफ हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के रहते हुए आपकी मर्यादा का उल्लंघन हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको आप स्थगित कीजिए और अगले सत्र में या कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अध्यादेश के माध्यम से, जो भी चाहें, कर सकते हैं। सत्रावसान करेंगे, अध्यादेश के माध्यम से हो जायेगा। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि आज ही आना जरूरी हो। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आपके सदन की कुर्सी पर रहते हुए कोई इस तरह का कार्य न हो कि जो परम्पराओं और मर्यादाओं के बिलकुल विपरीत हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको वापस ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग सदन में आये तो हम लोग यह समझें कि अब राष्ट्रगान होगा तो हम लोगों को सदन में रहना चाहिए। वित्त मंत्री के रूप में जो गैर-कानूनी तरीके से, गैर-संसदीय तरीके से बजट पास किया है तो हम लोगों ने उसके लिए भी बधाई दे दी है, हम लोगों ने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी बधाई दे दी है। आपने ही पुकारा, तो इसका मतलब है कि इसके बाद सदन उठेगा या तो जब हम लोग आये तो इसको उसी समय प्रस्तुत करवा दिये होते और अगर इसको रखना ही था तो हमको पुकारने के पहले, वर्मा जी को पुकारने के पहले या मोना जी को पुकारने के पहले ही इसको रखवा दिये होते। जब आपने हम लोगों से बधाई संदेश दिलवा दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी भी बधाई संदेश दे रहे थे, उसी रास्ते पर चल रहे थे और उन्होंने दे भी दिया। उसके बाद फिर इसको ले आने के लिए, मैं सही कह रहा हूँ कि यह तो आपकी मर्यादा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी पूरी भावना और बात का आदर करता हूँ लेकिन जो आप कह रहे थे कि हमने बुलाया, सबसे पहले आपको बुलाया, फिर सभी मा0 नेताओं को बुलाया कि आप लोग एक-दूसरे को बधाई दीजिये। वह जो बधाई दी जा रही थी, वह भी सदन की कार्यवाही का भाग था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, अब यह ठीक नहीं है। हम लोग आपकी बहुत इज्जत, बहुत प्रशंसा करते हैं और आप उस लायक भी हैं, कोई जबरिया नहीं करते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस कदम के हम गवाह नहीं बनेंगे और सरकार के इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, यह सरकार का अलोकतांत्रिक तरीका है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने मा0 नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर यह कहा भी कि इसे नहीं लेंगे तो दोबारा इसे लाने का क्या औचित्य है ? इस पर आप संज्ञान लें, यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और इस तरह से मर्यादा का हनन होगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यह कहते हैं कि विधान मण्डल पुस्तकालय के कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करते हैं तो पूरा पक्ष-विपक्ष इनका सहयोग करता और हम लोग मेज भी थपथपाते, लेकिन उनकी वेतन विसंगति आप दूर कर नहीं पाये। आपने बधाई संदेश सबको दे दिया, वह भी दे दिये इसलिए यह आपकी कुर्सी की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन अभी हमने बधाई कहां दी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं है, हम लोग उसे महसूस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी भावना का आदर करते हैं, लेकिन हम बधाई बाद में देते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने इस सत्र के उठने से पहले बधाई के लिए हमको बुलवा लिया, सारे दलीय नेता भी बोल लिये, मा0 संसदीय कार्य मंत्री भी बोल लिये, फिर उसके बाद विधेयक ले आना सदन का अपमान है, दलीय नेताओं का अपमान है, ये आपका भी अपमान कर रहे हैं और आपका अपमान हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है इसलिए हम सदन से बायकॉट करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

राम गोविन्द जी, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप बैठिये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

यह इस सदन के लिए अपमानजनक है और दलीय नेताओं के लिए भी अपमानजनक एवं अलोकतांत्रिक है। जिस तरह से सदन में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

[12:42] उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन व्यावृत्ति

2–नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

3–इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,–

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न किये गये हों।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	संयुक्त प्रान्त कपास नाशि कीट नियंत्रण अधिनियम,1936 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1936)
2	संयुक्त प्रान्त प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1938 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1938)
3	उत्तर प्रदेश औषधि नियन्त्रण (संशोधन और अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1951)
4	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1952)
5	उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम,1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1953)
6	उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1953)
7	उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1954)
8	उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1957 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1958)

9	दण्ड विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1961)
10	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम,1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1962)
11	उत्तर प्रदेश बांट तथा मांप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1963)
12	उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1963)
13	उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1964)
14	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1965)
15	उत्तर प्रदेश बांट तथा मांप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1966)
16	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा विधिमान्यकरण), अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1970)
17	उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1970)
18	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1970)
19	उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1971)
20	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1972)
21	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1972)
22	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1973)
23	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1974)
24	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1974)
25	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1976)
26	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1978)
27	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 24 सन् 1978)
28	उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1978)
29	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1979)
30	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1982)
31	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1982)
32	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1983)
33	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1984)
34	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1985)
35	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1985)

36	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1985)
37	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1986)
38	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1987)
39	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1989)
40	उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1989)
41	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1990)
42	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1990)
43	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1991)
44	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1992)
45	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1995)
46	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1995)
47	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1997)
48	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1998)
49	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1998)
50	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1999)
51	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1999)
52	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1999)
53	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2000)
54	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2000)
55	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2000)
56	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2000)
57	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2001)
58	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2001)
59	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2006)
60	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2009)
61	महा प्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2011)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[12:43] सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार (क्रमागत)

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि आज जब सदन समाप्ति की ओर है तो आपका भी मार्गदर्शन ऐसे मौके पर बहुत आवश्यक है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी मा0 सदस्यों का मार्गदर्शन करें।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस पवित्र सदन में, सत्र की समाप्ति के अवसर पर अपने घर के तैयार, तत्पर सभी प्रिय और आदरणीय महानुभाव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, केशव जी, मौर्या जी, मोती सिंह जी, अन्य सभी मंत्रीगण और सहयोगी विधायकगण, संसदीय जनतंत्र दुनिया की सबसे आकर्षक व्यवस्था मानी जाती है और जहाँ दुनिया के तमाम देशों में संसदीय जनतंत्र की माँग बढ़ी है, आन्दोलन हो रहे हैं, वहीं जहाँ-जहाँ संसदीय जनतंत्र लम्बे समय तक चल रहा है, वहाँ इसके सामने तमाम चुनौतियाँ भी आयी हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा, जहाँ पर पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने यहाँ जनतंत्र को ठीक से नहीं चला पा रहा है। कभी सेना के कब्जे में हो जाता है, कभी आतंकवादियों के कब्जे में हो जाता है। कहीं न कहीं वहाँ जनतंत्र जैसी परिस्थिति नहीं दिखायी पड़ती। वहीं अपने यहाँ तमाम अन्तर्विरोध, क्षेत्रीय अन्तर्विरोध, वर्ग और समूह के अन्तर्विरोध, हम इस राज्य के हैं कि हम उस राज्य के हैं, इसमें अन्तर्विरोध, फिर दलीय अन्तर्विरोध, तमाम तरह के अन्तर्विरोधों को झेलते हुए भारत का संसदीय जनतंत्र सारी दुनिया में अग्रणी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह जनतंत्र और भी मजबूत हुआ है। हम लोगों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्मरण होगा कि मोदी जी जब पहली बार लोक सभा भवन पहुँचे थे, तो उन्होंने साष्टांग लेटकर प्रणाम किया था। यह एक सीखने की बात है कि उनके मन में श्रद्धा संसद भवन के प्रति, संसदीय संस्था के प्रति कितनी थी। हम सब उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य उसी की कड़ी हैं। संसदीय जनतंत्र की और विचार की दृष्टि से समूचे समाज को एकात्म बनाना, उसके लिए लोकमत तैयार करना, उसके लिए स्वयं को संस्कारित रूप में प्रस्तुत करना। उसके लिए लिखना, बोलना और भाषण करना, गवास करना, अभियान चलाना, भारतीय संस्कृति के लिए हर तरह से सक्रिय रहना, यह हम सबका कर्तव्य है और इसी भारतीय संस्कृति में हमारे देश के लोकतंत्र के बीच पर दुनिया के अन्य देश संसदीय जनतंत्र नहीं चला पा रहे हैं, तमाम अन्तर्विरोध हैं। हम इसलिए चला पा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऋग्वेद के रचनाकाल से और बहुत पहले से परामर्श, पंचायती संस्थाएँ, सभा, समितियाँ विद्यमान रहीं। उसी परम्परा में आपको अपने सभी धर्म-ग्रन्थों में कहीं न कहीं पंचायत मीटिंग होती दिखायी पड़ती है जो आयुर्वेद का ग्रन्थ है, चरक संहिता, वह भी बैठक में निकला था। कई ऋषियों के बीच में महीनों तर्क चला, तो चरक संहिता बनी। हमारा चरक संहिता की तरफ ध्यान आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं है। इरादा इस बात पर है कि जो बन कर तैयार हुई, वह मीटिंग में बनी, अर्थात् हमारे पूर्वज मीटिंग को, बैठक को, सभा को, समिति को, तर्क को, प्रति तर्क को और कुतर्क को भी महत्व देते थे, इसलिए कि बहस में प्राण रहते हैं लोकतंत्र के। इस आधार पर जो भारत का लोकतंत्र बना यद्यपि हमारे यहाँ अंग्रेजी राज था तो वहाँ की तमाम संवैधानिक परम्पराएँ भारत में भी आती चली गईं। लेकिन एक अनूठा लोकतंत्र भारत के हमारे पूर्वजों ने विकसित किया, संविधान निर्माता बैठे ढाई-ढाई साल तक और लगातार वह काम करते रहे। उत्तर प्रदेश का, संविधान सभा में बहुत बड़ा योगदान था और इस दृष्टि से यह सदन ऐतिहासिक भी है कि हमारे तमाम लोग उत्तर प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे और बहस करते थे, तर्क करते थे। उसी परम्परा में यह हम सब, निचले स्तर पर हैं, परम्परा बहुत पुरानी है, बहुत वरिष्ठजनों की परम्परा प्रवाहित होते हुए हम तक आयी है और हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यगण, उस परम्परा की ओर तमाम असहमतियों, बहस के बाद चलते हैं।

आज हमारे सामने चुनौती है कि माननीय विधायक के रूप में हमारी प्रतिष्ठा, हमारे क्षेत्र में लगातार बढ़नी चाहिए। कई कारणों से वह गड़बड़ हो जाती है तो उस ओर ध्यान देना होगा और जिस-जिस विचारधारा के हम हैं, सबकी विचारधारा अलग होती है, सबका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अलग होता है तो ऐसे जिन-जिन विचारों में जो लोग हैं, अपनी विचारधारा के लिए काम करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस सदन की गरिमा और महिमा बनाने की जिम्मेदारी हम पर, आप पर है। अब मैं दो मिनट में अपनी बात कर लूँ। हमारा काम इस सदन में बड़ा टेढ़ा है, हम किसी को बोलने को मना करते हैं तो वह नाराज हो जाता है। कोई-कोई यह कहता है कि ये ही नहीं बुलवाते, नहीं तो हम तो अब तक बोल लेते। इस प्रकार किसी बोलते को रोक देना, कभी-कभी मंत्री को भी टोक देना तो यह काम अप्रिय लगता

है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह दायित्व है जो आप सब वरिष्ठों ने हमको सौंप रखा है तो इसमें अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो, रोकने में, टोकने में और निश्चित रूप से हुआ होगा क्योंकि अबकी बार हाउस में बोलने में आपस में प्रतिस्पर्धा बहुत रही है और यह अच्छी बात है कि विधायकों में जिज्ञासा रही कि हम बोलें। रात्रि में 10 बजे यहाँ पर संख्या कम रह गई थी और जो हमने गिनवाया तो बहुत कम संख्या थी। फिर मा0 खन्ना जी से हमारा परामर्श हुआ, उस परामर्श के अन्तर्गत अन्तर यह हुआ कि अब जितने लोग हैं, वे सब बोलेंगे तो सदन लगभग सवा 10 बजे तक चला और अच्छा रहा कि अन्तिम वक्ता तो स्वयं बोल रहे थे और स्वयं ही सुन रहे थे। उसकी जो संख्या मेरे पास हमारे कार्यालय ने दी है, वह मा0 मुख्य मंत्री जी को छोड़कर जो बोलने वाले मा0 सदस्य हैं उसमें मा0 मंत्रीगण 01, सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य 67, सत्ता पक्ष की महिला मा0 सदस्य 12। महिलाएँ कहती हैं कि हमको बोलने को नहीं मिलता है। इसमें समाजवादी पार्टी के 20, बहुजन समाज पार्टी के 08, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 03, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 03, राष्ट्रीय लोकदल के 01 मा0 सदस्य बोले, इस प्रकार सत्ता पक्ष के 81 विधायक बोले और विपक्ष में कुल 35 विधायक बोले। इसमें संख्या के अनुपात में न विपक्ष, न पक्ष कोई मा0 सदस्य यह नहीं कह सकता कि हमको बोलने का अवसर नहीं मिला। फिर भी जो लोग छूट गये हों तो वे अपनी नाराजगी दूर रखें, अगली बार जब सत्र होगा तो हम उनका ख्याल रखेंगे।

हमारे सचिवालय ने इस सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में रात-दिन जागकर परिश्रम किया है। मैं श्री प्रदीप दुबे, प्रमुख सचिव और उनकी पूरी टीम, इस सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना योगदान बहुत सतर्कतापूर्वक, बहुत कायदे से किया है। मा0 नेता प्रतिपक्ष यहाँ नहीं हैं और नेता प्रतिपक्ष की भारतीय जनतंत्र में बहुत गहरी भूमिका है और दूसरा जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रेरित होते हैं, वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत अद्भुत है। ब्रिटेन के अर्सकिन में की एक किताब जो वहीं लन्दन की छपी हुई है, वह किताब संसदीय प्रणाली, पार्लियामेण्ट्री सिस्टम पर है तो उसमें उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि मैं हमेशा सरकार के विरोध में रहता हूँ लेकिन सरकार जो अच्छे काम कर रही है, देश के लिए जो अच्छा है, उसमें मुझे उनके साथ भी रहना पड़ता है तो मैं एक साथ, साथ भी रहता हूँ और विरोध भी करता हूँ लेकिन इस तरह की परिपाटी अभी अपने यहाँ नहीं हो पाई है, होती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मा0 राम गोविन्द जी ने भिन्न-भिन्न मुद्दों पर अपने ढंग से विचार व्यक्त करते हुए इस सदन को समृद्ध किया है और उनसे, यह जो बैठक चली है, यह बहुत रिच हो गई है। मा0 लालजी वर्मा तमाम आंकड़ों के जानकार हैं और यह सौभाग्य है कि वर्मा जी भी संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और हमारे संसदीय कार्य मंत्री तो आपके परिचित हैं ही और ये भी कि हम भी थोड़े दिन संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, तो इस तरह तीन-तीन संसदीय कार्य मंत्री एक जगह जुटते थे। मैं इस अवसर पर सबको धन्यवाद देता हूँ और एक बार फिर

से शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप सब अपने-अपने जीवन में जो चाहें सो पायें, उन्नति करें हर दृष्टि से। मुझसे रोकने, टोकने में जो गलती हुई हो, क्षमा करें मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था आज भी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं विशेष रूप से आपके सचिवालय के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी और उनके सभी सहयोगियों को भी एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरी लगन और परिश्रम के साथ इस सदन की कार्यवाही के संचालन में जो सहयोग दिया उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ।

[12:56] सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, जन-गण-मन होने जा रहा है विपक्ष के मा0 सदस्यों को कहलवा दिया जाये कि यदि वे चाहें तो सदन में आ जायें।

श्री अध्यक्ष-

विपक्ष के मा0 सदस्य यदि हमारी आवाज सुन रहे हों तो जन-गण-मन में सम्मिलित होने के लिए कृपया पधारने का कष्ट करें। अब हम जन-गण-मन के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंग।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय, जय हे।

इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 58 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
दिनांक 04 मार्च, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 12 विधान सभा (13)-29-04-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।